

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]



[खंड 11 में अंक 21 से 30 तक हैं]
[Vol.XI contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 24, शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 1967/24 अग्रहायण, 1889 (शक)
No. 24, Friday, December 15, 1967/Agrahayana 24, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
691. रत्नगिरि में अल्युमीनियम कारखाना	Aluminium Factory at Ratnagiri ..	3377—3380
692. सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन योजना	Cotton Textile Export Promotion Scheme..	3380—3381
697. कपड़े का निर्यात	Export of Textile Goods ..	3381—3385
693. बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण कार्य	Construction work of Bokaro Steel Plant ..	3385—3390
695. हावड़ा स्टेशन पर उतारे गये खाद्यान्न	Unload Foodgrains at Howrah ..	3390—3393
699. ब्रिटेन, कनाडा, हालैण्ड और बैल्जियम को प्रतिनिधिमंडल	Delegation to Britain, Canada, Holland and Belgium ..	3393—3394
नियम 40 के अन्तर्गत मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न	Question to be answered under Rule 40	
1. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन	Action taken report on the Thirty Sixth Report of P. U. Committee ..	3394—3395

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

694. कपड़ा बनाने की आयातित मशीनें	Imported Textile Machinery ..	3395
698. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की उत्पादन दिशा में परिवर्तन	Diversification of Heavy Engineering Corporation ..	3396

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
700. चाय पर निर्यात शुल्क	Export Duty on Tea	.. 3396
701. पश्चिम जर्मनी के साथ व्यापार	Trade with West Germany	.. 3396—3397
702. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा बोनस अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Bonus Act by N.C.D.C.	.. 3397
703. गैर-सरकारी फर्मों के साथ इस्पात के सौदों की जांच करने के लिये सरकार समिति	Sarkar Committee to enquire into Steel deals with Private Firms	.. 3397—3398
704. रेलवे द्वारा लकड़ी के स्लीपरो की खरीद	Purchase of Wooden Sleepers by Railways	.. 3398
705. इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, लंदन द्वारा मांगे गये टेंडर	Tenders invited by International Construction Company Limited, London	.. 3398
707. आयात लाइसेंस देना	Issue of imports licences	.. 3399
708. कृषकों को बेचे गये भारतीय ट्रैक्टर	Indian Tractors sold to farmers	.. 3399—3400
709. मोटरकार किस्म नियंत्रण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Motor car quality Committee Report	.. 3400
710. आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की मात्रा	Tobacco stocks in Andhra Pradesh	.. 3400—3401
711. पेरिस में चमड़े की वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय मेला	International leather goods fair, Paris	.. 3401
712. संयुक्त संघंत्र समिति	Joint Plant Committee	.. 3401
713. गोहाना से पानीपत तक रेलवे लाइन को पुनः चालू करना	Restoration of Railway Line from Gohana to Panipat	.. 3402
714. पुराने कपड़ा मिलों को सुव्यवस्थित करना	Rehabilitation of old Textile Mills	.. 3402
715. कोयले का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Coal	.. 3402—3403
716. हैदराबाद में छोटे उद्योगों के लिये टूल रूम की स्थापना	Setting up of tool room for small Industries in Hyderabad	.. 3403
716. -क हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by the Employees of Heavy Electricals Ltd., Bhopal	.. 3404
717. कच्चे पटसन का मूल्य	Price of Raw Jute	.. 3404—3405

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
718. राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्चे पटसन की खरीद	Purchase of Raw Jute by STC ..	3405—3406
719. भारतीय अम्रक समवाय, बिहार	Indian Mica Companies, Bihar ..	3406
720. राजहारा खान के कर्मचारियों की मजूरी बोर्ड द्वारा निश्चित दरों पर मजूरी का भुगतान किया जाना	Payment of Wage Board Rates to Rajhara Mine Workers ..	3406—3407
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4419. उदयपुर में जस्ते की खानें	Zinc Mines in Udaipur ..	3407
4420. छर्रे बनाने के कारखाने	Pelletisation Plants ..	3407—3408
4421. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारन्टी कारपोरेशन लिमिटेड	Export Credit and Guarantee Corporation Ltd. ..	3408—3410
4422. निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम	Export Credit and Guarantee Corporation Ltd. ..	3411
4423. इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन	Indian Motion Pictures Export Corporation ..	3412
4424. खनन उद्योग के लिये स्वामिस्व की नयी योजना	New Scheme of Royalty for Mining Industry ..	3412—3413
4425. पश्चिमी रेलवे में रेल दुर्घटनाएं	Railway Accidents on Western Railway ..	3413
4426. गुजरात में एल्युमिनियम कारखाना	Aluminium Plant in Gujarat ..	3413—3414
4427. गुजरात का विमान द्वारा सर्वेक्षण	Aerial Survey of Gujarat ..	3414
4428. गुजरात में कुटीर उद्योग स्थापित करने की सम्भावना	Scope of Cottage Industries in Gujarat ..	3414
4429. जयपुर सवाई माधोपुर सैक्शन पर अतिरिक्त रेलगाड़ी का चलाया जाना	Additional Train on Jaipur Sawai Madhopur Section ..	3415
4430. महाराष्ट्र में कपड़ा मिलें	Cotton Mills in Maharashtra ..	3415
4431. लिपटन की पार्लियामेंट ब्रांड चाय	Parliament Brand Lipton Tea ..	3415

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4432. मध्य प्रदेश के लिये निर्यात संवर्धन परिषद्	Export promotion Council for Madhya Pradesh ..	3416
4433. उद्योगों को लाइसेंस देना	Grant of Licences to Industries ..	3416—3417
4434. सिंचाई कार्यों के लिये निर्मित वस्तुओं के मूल्य	Prices of items manufactured for Irrigation	3417
4435. दक्षिण रेलवे को निजामबाद जिले से वार्षिक आय	Annual Income to S. C. Railway from Nizamabad District ..	3417
4436. बासर रेलवे स्टेशन	Basar Railway Station ..	3418
4437. पूर्वी यूरोप के देशों से व्यापार समझौते	Trade Agreement with East European States ..	3418—3419
4438. पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार समझौते	Trade agreements with East European States ..	3419
4439. राजकीय व्यापार निगम द्वारा मशीनरी का आयात	Import of Machinery by STC ..	3419—3420
4440. बिड़ला सार्थ समूह को लाइसेंस देना	Grant of Licences to Birla Firms ..	3420
4441. दुर्गापुर इस्पात कारखाने के सुरक्षा अधिकारी	Security Officers of Durgapur Steel Plant	3420—3421
4442. रेलगाड़ियों का देरी से चलना	Late running of Trains ..	3421—3422
4443. मिनरल एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Employees of Mineral and Metals Trading Corporation ..	3422—3423
4444. स्टेनलैस स्टील के आयात के लिये फिल्म अभिनेता को दिया गया लाइसेंस	Licence to a Film Star for Import of Stainless Steel ..	3423—3424
4445. कटक और पारादीप पत्तन के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Cuttack and Paradeep Port ..	3424
4446. सोडा ऐश और कास्टिक सोडा का आयात	Import of Soda Ash and Caustic Soda ..	3424
4447. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रशिक्षण	Chartered Accountant Trainees ..	3424—3425
4448. रेलवे वर्कशाप, कोटा	Railway Workshop, Kota ..	3425
4449. लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा बकाया धनराशि की वसूली	Recovery of dues by Iron and Steel Controller ..	3425—3426

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4450. ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की चीनी मिलें	B. I. C. Sugar Mills ..	3426
4451. सोयाबीन का आयात	Import of Soyabean ..	3426—3427
4452. रेलगाड़ियों में अधिक डिब्बे तथा मालडिब्बे लगाना	Running of Additional Bogies and Wagons	3427
4453. 432 अप बिरार स्थानीय रेलगाड़ी के ड्राइवर की मृत्यु	Death of Driver of 432 UP Virar Local Train ..	3427—3428
4454. विदेशी सहयोग के लिये आवेदनपत्र	Application for Foreign Collaboration ..	3428
4456. कांडला पत्तन स्टेशन	Kandla Port Station ..	3428—3429
4457. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के उत्पाद की दिशा बदलने का प्रभाव	Effect of Diversification on HEC ..	3429—3430
4458. पाकिस्तान चीन व्यापार	Pak. China Trade ..	3430
4459. पाकिस्तान से पटसन का आयात	Import of Jute from Pakistan	3430
4460. उदयपुर के निकट सीसे, जस्ते तथा चांदी की खाने	Lead, Zinc and Silver Mines near Udaipur ..	3430—3431
4461. बिजली का सामान बनाने के लिये सिंगापुर में कारखाने की स्थापना	Setting up of a Factory in Singapore for the Manufacture of Electrical Appliances ..	3431
4462. वूल पैक का निर्यात	Export of Wool Packs ..	3431—3432
4463. हल्के और भारी वाहनों पर से मूल्य नियंत्रण को हटाना	Price Decontrol of light and Heavy Vehicles ..	3432—3433
4464. रूसी टायरों की कमी	Shortage of Russian Tyres ..	3433
4465. लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद् द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Iron and Steel Advisory Council ..	3433—3434
4466. घटिया किस्म के भूरे कोयले का प्रयोग किया जाना	Use of low grade Brown Coal ..	3434
4467. बीयर (जौ की शराब) का मूल्य	Price of Beer ..	3434
4468. बीयर बनाने के लिये नये लाइसेंस	New Licences for Manufacture of Beer ..	3434—3435

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4469. शराब की खपत	Consumption of Liquor ..	3435
4470. मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा मिलें	Textile Mills in M. P. ..	3435
4471. मध्य प्रदेश में उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र	Production cum-training Centres M.P. ..	3435—3436
4473. मध्य प्रदेश में ऊपरि नीचे के पुल	Over/under Bridges in Madhya Pradesh ..	3436
4474. तिमारनी रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) का पुनर्निर्माण	Remodelling of Timarni Station (C.Rly.) ..	3436
4475. कागज और गत्ते की फैल्ट	Paper and Board Felts ..	3436—3437
4476. रेलवे भोजन व्यवस्था विभाग	Railway Catering Department ..	3437
4477. राजस्थान में तांबा पिघलाने का कारखाना	Copper Smelter in Rajasthan ..	3437—3438
4478. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश के खनिज संसाधनों का विकास	Development of Mineral Resources in Rajasthan and Andhra Pradesh ..	3438
4479. जापान के साथ व्यापार	Trade with Japan ..	3438—3439
4481. सीमेंट का मूल्य	Price of Cement ..	3439—3440
4482. राजस्थान के वैमानिक सर्वेक्षण का कार्य स्थगित किया जाना	Postponement of Aerial Survey of Rajasthan ..	3440
4483. श्री लंका तथा अन्य देशों को कोयले की सप्लाई	Supply of Coal to Ceylon and other countries ..	3440—3441
4484. खनिज स्वामित्व की दरों का पुनरीक्षण	Revision of Mineral Royalty Rates ..	3441—3442
4485. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट लिमिटेड द्वारा वुड ब्लैक के बक्सों की खरीद	Purchase of Boxes wood Blanks by National Instruments Ltd. ..	3442
4486. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	National Small Industries Corp. Ltd. ..	3443—3444
4487. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की क्षमता तथा उसका उत्पादन	Capacity of H. M. T. and its production ..	3444
4488. कारों का मूल्य	Price of Cars ..	3445

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4489. सीमेंट का उत्पादन	Production of Cement	.. 3445
4490. मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore	.. 3446
4491. मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore	.. 3446
4492. जहाजों से भेजे जाने के लिये बन्दरगाहों में पड़ा मैंगनीज अयस्क का स्टॉक	Stocks of Manganese Ore lying Unshipped	.. 3446
4493. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा खान मालिकों को दिया गया ऋण	Loan given to Mine Owners by M.M.T.C.	.. 3447
4495. मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore	.. 3447
4496. दिल्ली में उद्योग	Industries in Delhi	.. 3447
4497. दिल्ली से निकटवर्ती स्टेशनों को बिजली से चलने वाली गाड़ियां	Electric Trains from Delhi to nearby Stations	.. 3448
4498. कोयम्बतूर सयंलुगोलम सोमराज नगर के बीच रेलवे लाइन का बिछाया जाना	Coimbatore Saymlugaolam Somraj Nagar Rail Link	.. 3448
4499. उत्तर रेलवे हस्पताल दिल्ली	Northern Railway Hospital, Delhi	.. 3449
4500. विदेशों में भारतीय ट्रैक्टर कारखाना	Indian Tractor Factories in Foreign Countries	.. 3449—3450
4501. रेल तथा सड़क परिवहन में प्रतियोगिता	Rail Road Competition	.. 3450
4502. साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर मुठभेड़	Clash at Sahibabad Railway Station	.. 3450—3451
4503. सईदराजा और करमनासा रेलवे स्टेशनों के बीच माल-गाड़ी की दुर्घटना	Goods Train accidents between Saidraja and Karamnasa stations	.. 3451
4504. भारतीय उद्योगों के लिये रूसी सहायता	Soviet Aid for Indian Industries	.. 3451—3452
4505. पटसन की वस्तुओं का निर्यात	Export of Jute Goods	3452
4506. दिल्ली में गाड़ियों के लिये परिवहन प्रणाली	Transit System for Trains in Delhi	3452

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4507. माल परिवहन सेवा	Goods Service	.. 3452—3453
4508. उत्तर रेलवे पर क्रमबद्ध कार्य विश्लेषण	Systematic Job Analysis on the Northern Railway	.. 3453
4509. बिहार उड़ीसा और राजस्थान में लघु उद्योगों का विकास	Growth of Small Industries in Bihar Orissa and Rajasthan	.. 3453—3454
4510. मध्य रेलवे के स्टेशनों पर माल बुक करने की सुविधाएं	Booking Facilities at Stations of Central Railways	.. 3454
4511. केरल में उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र	Production cum-Training Centres Kerala	3455
4512. स्कूटरों का दिया जाना	Allotment of Scooters	.. 3455
4513. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के नये संयंत्र	New H.M.T. Plants	.. 3455—3456
4514. टेलीविजन सेटों का आयात	Import of T. V. Sets	.. 3456
4515. खुदाई के रिगों का आयात	Import of Drilling Rigs	.. 3456
4516. आंध्र प्रदेश में हथकरघे के कपड़े की बिक्री पर उपभोक्ताओं को छूट	Rebate to consumers in A. P. on sale of Handloom cloth	.. 3456—3457
4517. आन्ध्र प्रदेश में अपेक्स तथा प्राइमरी बुनकर सहकारी समितियों को छूट की बकाया राशि	Arrears of rebate to Appex and Primary Weavers' Cooperatives in Andhra Pradesh	.. 3457
4518. रुई के आयात पर वसूल किया गया प्रीमियम	Premium Collected on Cotton Imports	.. 3457—3458
4519. आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा के कपड़े का जमा हो जाना	Accumulation of Handloom cloth in Andhra Pradesh	.. 3458
4520. हथकरघे के लिए रंगीन साड़ियों का उत्पादन	Production of Coloured sarees for handloom	.. 3458—3459
4521. सीमेंट के मूल्य के लिये नया फार्मूला	New Formula for price of cement	.. 3459
4522. सीमेंट के भंडारों का जमा होना	Accumulation of stocks of cement	3459
4523. रूरकेला से पुरी तक सीधी एक्सप्रेस गाड़ी का चलाया जाना	Direct Express Train from Rourkela to Puri	.. 3459—3460

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4524. स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर	Station Masters and A. S. Ms.	.. 3460
4525. पूर्वी यूरोप के देशों को निर्यात	Exports to East European Countries	.. 3460—3461
4527. माल डिब्बों की कमी	Shortage of goods wagons	.. 3461
4528. मैलानी होते हुए शाहजहांपुर तक रेलवे लाइन	Railway line upto Shahjahanpur Mailani	.. 3461—3462
4529. दिल्ली, अम्बाला, कालका और दिल्ली रोहतक भटिंडा रेलवे लाइन को दोहरा बनाना	Doubling of Delhi Ambala Kalka and Delhi Rohtak Bhatinda Railway Lines	.. 3462
4530. रेल पटरियों के साथ की भूमि	Lands along Railway Tracks	.. 3462—3463
4531. रेलवे लाइन द्वारा रोहतक तथा हिसार को सोनीपत के रास्ते मेरठ से मिलाना	Linking of Rohtak and Hissar with Meerut by Railway via Sonapat	.. 3463
4532. उद्योग संबंधी मशीनों का आयात	Import of Industrial Machinery	.. 3463—3464
4533. चिकित्सीय अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे अस्पताल, समस्तीपुर	Medical Officer N. E. Railway Hospital Samastipur	.. 3464
4534. कोयले की यातायात के लिये चार पहियों वाले माल डिब्बे	Four Wheeler Wagons for Transport of Coal	.. 3464—3465
4535. विद्युतीकरण कार्य	Electrification Works	3465
4536. ड्रम बनाने के लिये इस्पात की चादरों की सप्लाई	Steel sheets for making Drums	.. 3465—3466
4537. कपड़ा मिलों को रई की सप्लाई	Supply of Cotton to Textile Mills	.. 3466
4538. सिगरेट फैक्ट्रियां	Cigarette Factories	.. 3466—3467
4539. नई कम्पनियां	New Companies	.. 3467—3468
4540. पूर्वी तथा पूर्वोत्तर रेलवे में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में शौचालय और स्नान गृह की सुविधायें	Toilet and Bath facilities in First Class Compartments on Eastern and N. E. Railways	.. 3468

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4541. दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट कोड़िया पुल	Koria Bridge near Delhi Railway Station ..	3468—3469
4542. इन्जिनों, माल डिब्बों तथा यात्री डिब्बों का निर्माण कर रहे उद्योग	Industries Manufacturing Locomotives Wagons and Coaches ..	3469
4543. रूरकेला में चौथी धमन भट्टी	Fourth Blast Furnace, Rourkela ..	3469—3470
4544. बन्द हो गई सूती कपड़ा मिलें	Closed Textile Mills ..	3470
4546. चूने के पत्थर की खान, मुदुक्कराई का बन्द किया जाना	Closure of lime stone quarry, Madukkarai ..	3470—3471
4548. सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला खानें	Collieries in Public Sector vis-a-vis ..	3471
4549. औद्योगिक नीति	Industrial Policy ..	3471—3472
4550. प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये लघु उद्योग	Small Scale Industries for Defence Requirements ..	3472
4551. आयातित इस्पात के हैंडलिंग एजेंटों से बकाया राशि की वसूली	Recovery of Dues from Handling Agents of Imported Steel ..	3472
4552. लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के कर्मचारी	Staff of Office of the Iron and steel Controller ..	3472—3473
4553. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कर्मचारियों का धीरे काम करो का रवैया	Go Slow Attitude of H. M. T. Employee ..	3473
4554. लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद् द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Iron and Steel Advisory Council ..	3473—3474
4555. भारी इन्जीनियरिंग निगम, रांची का निर्माण कार्य	Construction of Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	3474—3475
4556. गैर-सरकारी क्षेत्र के निगमों के प्रबन्धक निदेशक	Managing Directors in Private Sector Corporations ..	3475—3476
4557. नर्मदा नदी पर रेल का पुल	Railway Bridge over River Narbada ..	3476
4558. जापान को हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात	Export of Handicraft Goods to Japan ..	3476

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4559. मिलों द्वारा रंगीन साड़ियों का उत्पादन	Production of Coloured Sarees by Mills ..	3477
4560. बादली स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Badli Station ..	3477
4561. गुजरात में रुई का स्टॉक पकड़ा जाना	Seizure of cotton stocks in Gujarat ..	3477—3478
4562. पब्लिक लिमिटेड समवायों के प्रबन्धक निदेशक	Managing Directors of Public Limited Companies ..	3478
4563. इस्पात का आयात	Import of Steel ..	3478—3479
4564. दिल्ली से बाहर टायर ले जाने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Movement of Tyres out of Delhi ..	3479
4565. इण्डिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स, सीरामपुर के शेयरों का घोटाला	Share Scandal of India Belting and Cotton Mills, Serampore ..	3479—3480
4566. इण्डिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स, लिमिटेड सीरामपुर की लेखा-परीक्षा	Audit of India Belting and Cotton Mills Ltd. Serampore ..	3480—3481
4567. अमरीका को इंजनों का निर्यात	Export of Rolling Stock to USA ..	3481
4568. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला	International Trade Fairs ..	3481—3482
4569. द्वितीय श्रेणी के नये शयन डिब्बे	New Second Class Sleeping Coaches ..	3482
4570. नायलोन के धागे का आयात	Import of Nylon Yarn ..	3482—3483
4571. इंजनों का निर्यात	Export of Locomotives ..	3483—3484
4573. रद्दी रेल की पटरियां	Scrap Rails ..	3484—3485
4574. चाय का निर्यात	Export of Tea ..	3485
4575. बागमेर और खण्डवा स्टेशनों के बीच गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment between Bagmar and Khandwa Stations ..	3485
4576. मनीपुर के सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों को कार और स्कूटर खरीदने के लिये ऋण दिया जाना	Loan for purchase of cars and Scooters given to public servants and Ministers of Manipur ..	3486

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4577. लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद् द्वारा इस्पात मूल्य ढांचे में सुझाये गये परिवर्तन	Changes in steel price structure suggested by Iron and Steel Advisory Council ..	3486
4578. ड्राइवरों और गाड़ों को मील भत्ता	Mileage Allowance to Drivers and Guards ..	3487
4579. कन्डक्टरों तथा गाड़ों को यात्रा भत्ता	Travelling Allowances to Conductors and Guards ..	3487
4580. "ए" तथा "बी" ग्रेड के रेलवे गाड़	'A' & 'B' Grade Railway Guards ..	3487—3488
4581. पैसेन्जर गाड़ों का स्थानान्तरण	Transfer of passenger guards ..	3488—3489
4582. रेलवे गाड़ों के वेतनक्रम	Pay scale of Railway Guards	3489
4583. त्योहारों के अवसर पर रेल गाड़ियां न चलाई जाना	Cancellation of Trains on Festivals ..	3489
4584. कल्याणी में स्कूटर बनाने का कारखाना	Scooter Factory at Kalayani ..	3490
4585. कोयले का उपयोग	Coal Utilisation ..	3490
4586. विदेशों से औद्योगिक सहयोग	Industrial Collaboration with Foreign Countries ..	3490—3491
4587. समवाय पंजीयक का कार्यालय, पश्चिमी बंगाल	Office of the Registrar of Companies, West Bengal ..	3491—3492
4588. फिल्मों का निर्यात	Export of Films ..	3492
4589. सरकारी क्षेत्र में विनियोजन	Public Sector investment ..	3492—3493
4590. गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के निदेशक	Director of Companies in Private Sector ..	3493
4591. पटसन की मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Jute Mills ..	3493
4592. पौण्ड के अवमूल्यन का निर्यात पर प्रभाव	Effect of Devaluation of Pound Sterling on Exports ..	3494
4593. खुर्दा तथा बोलंगिर के बीच रेलवे लाइन	Railway line between Khurda and Bolangir ..	3494
4594. रूरकेला संयंत्र विस्तार के लिये जर्मन इंजीनियर और तकनीशन	German Engineers and Technicians for Expansion of Rourkela Steel Plant ..	3495

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4595. फूलबनी जिले में रेलवे लाइन	Railway line in Phulbani District ..	3495
4596. रेलवे का सामान खरीदने के लिये ठेका	Contract for purchase of Railway Equipment ..	3495—3496
4597. रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Railway Employees ..	3496
4598. संधारण आयात	Maintenance Imports ..	3496
4599. पश्चिमी बंगाल में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in West Bengal ..	3496—3497
4600. पश्चिमी बंगाल में 1967-68 में स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक एकक	Industrial Units to be set up in West Bengal in 1967-68 ..	3497
4601. भोपाल तथा इन्दौर के बीच रेलवे लाइन	Railway line between Bhopal and Indore ..	3497—3498
4602. मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Enterprises in Madhya Pradesh ..	3498
4603. इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्	Engineering Export Promotion Council ..	3498
4604. रेलवे भोजन व्यवस्था के कर्मचारी	Railway Catering Staff ..	3499
4605. नाइलोन के धागे का आयात	Import of Nylon Yarn ..	3499—3500
4606. आयातित कच्ची ऊन का आवंटन	Allocation of Imported Raw Wool ..	3500
4607. ऊनी कपड़ा उद्योग के लिये कच्चे माल का आयात	Import of Raw Material for Woollen Industry ..	3501
4608. आस्ट्रेलिया से प्राप्त ऊन	Wool received from Australia ..	3501—3502
4609. हेयर बैल्टिंग टॉप्स के लिये धन का नियतन	Allocation for Hair Belting Tops ..	3502
4610. इस्पात के मूल्य ढांचे में परिवर्तन	Changes in Steel price Structure ..	3502—3503
4611. माल डिब्बे बनाने की क्षमता	Wagon Building Capacity ..	3503
4612. रेलवे किरायों तथा भाड़ों में कमी	Shortfall in Railway Fares and Freight ..	3504

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4613. सूती तथा बालों के औद्योगिक पट्टे और होज पाइपों का निर्माण	Manufacture of cotton and Hair Industrial Beltings and Hose Pipes ..	3504
4614. सूत और बालों से बनने वाले पट्टों और होज पाइपों का उत्पादन	Manufacture of cotton and hair belts and hose pipes ..	3505
4615. उड़ीसा के फूलबनी जिले का सर्वेक्षण	Survey of Phulbani Distt. of Orissa ..	3505—3506
4616. वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings under the Ministry of Commerce ..	3506
4617. सरकारी क्षेत्र के निगम तथा स्वायत्तशासी निगम	Public Sector and Autonomous Corporations ..	3506
4618. मद्रास में अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग और व्यापार मेला	International Industries and Trade Fair in Madras ..	3506—3507
4619. केलों का निर्यात	Export of Bananas ..	3507—3508
4620. मध्य प्रदेश में रेलवे लाइनों	Railway lines in Madhya Pradesh ..	3508
4621. फीरोजपुर डिवीजन में अनुसचिवीय कर्मचारियों का संवर्ग निर्धारित करना	Cadre Fixation of Ministerial Staff of Ferozepur Division ..	3508—3509
4622. उत्तर रेलवे डिवीजनों में अवकाश पर गये लोगों के स्थान पर काम करने वाले अनुसचिवीय कर्मचारियों की संख्या	Leave Reserve Strength of Ministerial Staff on the Northern Railway Divisions ..	3509
4623. पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान रेलवे कर्मचारियों की अनुपस्थिति	Absence from duty of Railway staff during Pakistani Aggression ..	3509—3510
4624. नारियल जटा का निर्यात	Export of Coir Yarn ..	3510
4625. मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore ..	3510
4626. चन्दा जिले में निम्न तापीय कार्बनीकरण कारखाना	Low Temperature Carbonisation Plant in Chanda District ..	3510—3511
4627. कापसेती रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) से बम्बई के रेलवे टिकटों का गायब हो जाना	Disappearance of Railway Tickets for Bombay from Kapseti Railway Station (N. Rly.) ..	3511

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4628. चाय का निर्यात	Export of Tea	.. 3511—3512
4629. राज्य व्यापार निगम के माध्यम से टायरों का आयात	Import of Tyres through S.T.C.	.. 3512
4630. बरौनी और धनबाद रेलवे यार्ड में चोरियां	Thefts in Barauni and Dhanbad Railway Yards	.. 3512
4631. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों के द्वारों पर स्नानगृह	Pit Head Baths at N.C.D.C. Collieries	.. 3513
4632. भारतीय सीमेन्ट निगम द्वारा जांच	Investigation by Cement Corporation of India	.. 3513
4633. अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर सीटों का आरक्षण	Reservation of Seats at Ambala Cantt. Railway Station	.. 3513—3514
4634. भिलाई इस्पात कारखाने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को रोजगार दिया जाना	Employment of S. C. and S. T. persons in Bhilai Steel Plant	.. 3514
4635. भिलाई इस्पात संयंत्रों में पदों का भरा जाना	Filling up of posts in Bhilai Steel Plant	.. 3514—3515
4636. आयात सम्बन्धी करार	Import Contracts	.. 3515
4637. मध्य प्रदेश के कोयले के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of M. P.	.. 3515—3516
4639. नारियल जटा उद्योग पर निर्यात शुल्क	Export Duty on Coir Industry	.. 3516
4640. उत्तरपाड़ा स्टेशन के निकट दुर्घटना	Accident near Uttarpara Station	3517
4641. लोनबेला नगर में से गुजरने वाली सड़क पर ऊपरी पुल का निर्माण	Overbridge at Lonavela City crossing Road	.. 3517
4642. बम्बई डिवीजन की उप-नगरीय स्थानीय रेलगाड़ियों की आय	Earnings of Suburban local Trains of Bombay Division	.. 3517—3518
4643. रेलवे स्टेशनों पर शब्दों के हिन्दी समानार्थक शब्दों का प्रयोग	Use of Hindi equivalents of words at Raiway Stations	3518

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4644. रेलवे लाइनों को बन्द किया जाना	Closing down of Railway Lines ..	3518
4645. दिल्ली अहमदाबाद लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Delhi Ahmedabad line into B. G. ..	3519
4646. चाय और पटसन का निर्यात	Export of Tea and Jute ..	3519—3520
4647. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर	Hindustan Zinc Ltd., Udaipur ..	3520—3521
4648. चित्तौड़ तथा कोटा के बीच रेलवे लाइन	Railway line between Chittor and Kota ..	3521
4649. रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर	Promotion Avenues of Class IV Railway Employees ..	3521
4650. पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे कर्मचारियों का निलम्बन	Suspension of Railway Employees on Northern Eastern Railway ..	3521—3522
4651. रूरकेला इस्पात कारखाने को घाटा	Loss of Rourkela Steel Plant ..	3522
4652. पूर्वी अफ्रीका को रेलवे के डिब्बों की सप्लाई	Supplies of Railway Wagons to East Africa ..	3522—3523
4653. अलौह धातुओं का निर्यात	Export of Non-ferrous Metals ..	3523
4654. मनीपुर में सीमेंट बनाने का कारखाना	Cement Plant in Manipur ..	3523
4655. मनीपुर की हथकरघा वस्तुओं के इम्पोरियम (प्रदर्शनालय)	Emporia of Handloom Products of Manipur ..	3523—3524
4656. मनीपुर में सहकारी कताई मिल की स्थापना	Setting up of Co-operative Spinning Mill in Manipur ..	3524
4657. मनीपुर में हथकरघा वस्तुओं का उत्पादन	Manufacture of Handloom Products in Manipur ..	3524—3525
4658. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	Khadi and Village Industries Commission ..	3525
4659. नई दिल्ली के सुपर बाजार में खादी ग्रामोद्योग भवन की शाखा	Branch of Khadi Gramodyog Bhawan in Super Bazar, New Delhi ..	3525—3526
4660. वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापक सर्वेक्षण	Comprehensive Commodity Surveys ..	3526—3527

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4661. कारतूसों का आयात	Import of cartridges ..	3527
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
छिपे नागाओं के साथ वार्ता	Negotiation with Underground Nagas..	3528—3529
सदस्य को न्यायिक हिरासत के लिये प्रतिप्रेषित करना	Remand of Member ..	3529
श्री रामगोपाल शालवाले	Shri Ram Gopal Shalwale ..	3529
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	3530
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	Eleventh Report ..	3530—3531
राज्य भाषा (संशोधन) विधेयक खंड 2	Official Languages (Amendment) Bill Clause 2 ..	3531—3538
गैर-सरकारी सदस्य के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
सत्रहवां प्रतिवेदन	Seventeenth Report	3538
विधेयक पुरस्थापित	Bills Introduced ..	3538
1. भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 312 का हटाया जाना) श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा का	1. Indian Penal Code (Amendment) Bill (Omission of section 32) by Shri Inder J. Malhotra ..	3538—3539
2. संसद् सदस्य के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक (धारा 3,6 इत्यादि का संशोधन) श्री पन्ना लाल बारूपाल का	2. Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill (Amendment of Sections 3, 6 etc.) by Shri Panna Lal Barupal ..	3539—3540
स्थगन प्रस्ताव—अस्वीकृत हुआ	Motion for Adjournment—Negatived	
दिल्ली में कथित पुलिस राज और उत्तर प्रदेश के दो मंत्रियों के साथ दुर्व्यवहार	Alleged Police Rule in Delhi and Man-handling of two U. P. Ministers ..	3540—3548
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma ..	3540—3541
श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah ..	3541—3542

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री सम्बन्धन	Shri S. K. Sambandhan	.. 3542
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	.. 3542
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	.. 3542
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabarata Barua	.. 3642—3543
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	.. 3543
श्री चन्द्र जीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	.. 3543—3544
श्री जी० भ० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	.. 3544
श्री राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	.. 3544—3545
श्री शशिभूषण वाजपेयी	Shri Shashibhushan Bajpai	.. 3545
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Shree Nivas Misra	.. 3545
श्री शिवप्पा	Shri N. Shivappa	.. 3546
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	.. 3546—3548
सभा की मानहानि	Contempt of the House	.. 3548—3549
जनरल कोल द्वारा लिखित 'अनटोल्ड स्टोरी' के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion Re. Untold Story by Gen. Kaul	.. 3549
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	.. 3549

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 1967/24 अग्रहायण, 1889 (शक)
Friday, December 15, 1967/Agrahayana 24, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
MR. SPEAKER *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Aluminium Factory at Ratnagiri

*691. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the capital outlay, production programme and the number of persons likely to be employed in the Aluminium factory to be set up at Ratnagiri in Maharashtra ;

(b) whether the survey has been completed by the committee constituted for this purpose ; and

(c) the stage at which the project stands at present ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a), (b) and (c). A statement giving the required information is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The capital cost of the project proposed to be set up at Ratnagiri (Maharashtra) has been provisionally estimated at Rs. 68.88 crores (plus Rs. 4.55 crores for the township) by the Bharat Aluminium Company, who have been entrusted with its implementation. The project will have a capacity for the manufacture of 50,000 tonnes per annum of aluminium metal (including 25,000 tonnes electrolytic grade aluminium wire rods, 10,000 tonnes of alloys and 15,000 tonnes of aluminium ingots) with supporting facilities for bauxite mining and extraction of alumina therefrom. The project is likely to employ at the operating stage

about 2,000 persons including workers, supervisory, technical and administrative personnel, according to the tentative estimate made by the West German Consultants.

(b) A Committee of technical officers was constituted in September, 1964, which went into the question of most suitable location for the proposed aluminium project. After discussion with the West German Consultants, it has been decided to locate the project at Ratnagiri.

(c) The Government of India have generally decided to implement the Ratnagiri (Maharashtra) aluminium project and are at present reviewing certain aspects of the project mainly relating to maximising the use of indigenous equipment and services.

Shri Baswant : Ratnagiri Project has not yet been implemented but it appears from the reply that Government is going to establish Aluminium factory in Ratnagiri. May I know the cost of the project to be borne by State Government and Government of India.

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : It is true that investigations have been carried out for many years but as a result of the report submitted by the Committee of Technical officers in consultation with West German consultants which has examined the question of suitable location for the Aluminium Project, it has been decided to establish this factory in Ratnagiri. We shall see that we make use of maximum indigenous equipment and services. The provisional cost of the project is Rs. 68.88 crores plus Rs. 4.55 crores for the Township is estimated. There is no contribution on behalf of State Government.

Shri Baswant : The Hon'ble Minister has stated that Government of India would try to make use of maximum indigenous equipment and services but if indigenous equipment is not available in time whether the working of the project would be postponed ?

Dr. Channa Reddy : It is true that our policy is to make use of maximum indigenous equipment that we can manufacture ourselves and we are examining this aspect and it is hoped the examination would be completed within two weeks.

Shri George Fernandes : About Ratnagiri Project it has been mentioned on page 469 of Third Five Year Plan that

“The target of 87,500 tonnes set for 1965-66 is to be achieved as a result of the following projects in the private sector which have already been cleared for implementation” and there are three numbers in it.

“establishment of a smelter at Koyna of 20,000 tonnes annual capacity.”

Further it has been stated on page 263 of Fourth Five Year Plan :—

“The public sector schemes included in the Fourth Plan are : the Koyna aluminium project with a capacity of 50,000 tonnes.....

Now, Sir, one thing is that these things have no meaning. These things are submitted once in a five years and then placed in the library. But the question is that this project was placed at the hands of private sector and some progress was also made but at what time it was decided to transfer this project from private sector to public sector. He has just stated in his statement that a committee of Technical Officers was appointed in September, 1964. May I know the reason for delay in not making any progress during these three years ?

Dr. Channa Reddy : The thing is that Tandulkar and Co., a private concern has been working on it for four years but when even then there was no progress, the Central Government took it over and the project was handed over to Bharat Aluminium Company for its implementation. Besides we had set up a committee of Technical Officers in September, 1964 which had submitted its report in 1965 after consultation with West German consultants. Then there was wide gulf between different views on the location of plant and it was finally decided in 1966 that this project would be established in Ratnagiri. Thereafter the point was raised as to how much equipment is required to be purchased from there. This point was examined and decision was also taken two months ago but West Germany insisted that they should be final authority to determine the extent of indigenous equipment to be used and this suggestion is not acceptable to us and we are still examining this point that we should make use of maximum indigenous equipment.

Shri Deorao Patil : Whether this committee had suggested some place in Vidarbha for location of this plant and second thing I want to know the details of indigenous and foreign equipment to be used in this project ?

Dr. Channa Reddy : There are three or four places which were considered for location of this project and these places were Jaigarh, Paidambi, Takari, Kolhapur, Devrukh and Ratnagiri. After examining these six places, Ratnagiri was considered most suitable place because other facilities are available there. It is estimated that we have to import the equipment worth Rs. 18 crores for this Rs. 68.88 crore project. I agree that this is too much but we are trying to reduce it as much as we can.

Shri Rabi Ray : Is it not a fact that specialists had suggested to Government of India to place this project in Public Sector at the very inception but as the Hon'ble Minister had not agreed to it, the establishment of factory has been delayed ?

Dr. Channa Reddy : The views of the specialists to whom the Hon'ble Member has referred were as follows :

"This is a remote and under-developed area ; it will be difficult to create necessary infrastructure ; the limited water potential inhibits further expansion of the plan".

This was their report. It is not a fact the Ministry had rejected it without any examination.

Shri Tulshidas Jadhav : Had the Maharashtra Government made any suggestion about this project that more facilities would be available to locate this project in Ratnagiri and this indigenous material would be available there more easily ? Have the Government asked for the opinion of Maharashtra Government ?

Dr. Channa Reddy : The representative of Maharashtra Government was also member of that committee and their first recommendation was about Devrukh or Paidambi but when German Experts came in and their views were also considered then it was generally agreed that Ratnagiri is more suitable place for establishing this factory.

Shri Chandra Jeet Yadav : Is it a fact that when some countries collaborate in public sector then they insist that we should not use our indigenous equipment and material available in our country but we should import the same from those countries ; if so, whether Government of India have agreed to it and whether such a policy is good ? Whether West Germany

is insisting that we should not make use of our capacity in full and if so, whether Government has thought it proper to negotiate with some other country so that we may use maximum indigenous material and secure the collaboration of some other country on better terms to establish this factory ?

Dr. Channa Reddy : It is generally difficult and at the same time not proper to express this opinion publicly about any other country. It is the opinion of collaborators of West Germany that they have assured us that we shall make use of indigenous equipment as far as possible. Anyhow final decision has yet to be taken and Government would see that we make use of maximum indigenous equipment.

Shri Chandra Jeet Yadav : My question was this that if West Germany is not agreeable to this and it results in bottleneck in the work of Project, whether Government is negotiating with any other country which could agree to carry on the work of the project according to our terms ?

Dr. Channa Reddy : That stage has not come as yet. The negotiations are still going on. We are watching as to how far N.I.D.C. can work. Thereafter if West Germany collaborators do not agree only then we have to consider all these things.

Shri Jagannath Rao Joshi : It has appeared in the newspapers today that Bhopal Heavy Electricals would supply goods worth Rs. 2 crores to Aluminium factory going to be established in Belgaon. Is it a fact or this matter has been shelved because of border dispute ?

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । अगला प्रश्न ।

सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन योजना

*692. श्री मधु लिमये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अबमूल्यन से पूर्व की सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन योजना मूल रूप से सूती कपड़े के लिये थी ;

(ख) क्या बाद में एक अधिसूचना नियम/परिपत्र के द्वारा सिले-सिलाये कपड़ों को भी इस योजना के क्षेत्राधिकार में लाने का निर्णय किया गया था ;

(ग) क्या राजकीय गजट अथवा समाचार-पत्रों में घोषणा के द्वारा सिले-सिलाये कपड़ों के निर्माताओं को उनके व्यापार पर इस योजना के लागू किये जाने की सूचना दी गई थी ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सिले-सिलाये कपड़ों के जिन निर्माताओं को प्रोत्साहन स्वरूप धन मिला है, उनके नाम क्या हैं और उन्हें इससे कितना लाभ हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित की गई थी ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ड) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कपड़े का निर्यात

*697. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सूती कपड़े को हांगकांग के सूती कपड़े का कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है जिसके फलस्वरूप हमारा सूती कपड़े का निर्यात व्यापार कम हो रहा है ;

(ख) क्या हांगकांग द्वारा किये गये अवमूल्यन के फलस्वरूप स्थिति अधिक खराब हो जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारतीय सूती कपड़े को हांगकांग तथा अन्य स्थानों के सूती कपड़े का मुकाबला करना पड़ता है और उसका निर्यात कम हो रहा है।

(ख) आरम्भिक अवमूल्यन के बाद हांगकांग ने अपनी मुद्रा के मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है और अब अवमूल्यन लगभग 5-7 प्रतिशत रह गया है। फिर भी इससे हांगकांग में सूती कपड़े के निर्माताओं को मुकाबला करने की अधिक शक्ति मिलेगी।

(ग) इस स्थिति पर विचार किया जा रहा है।

Shri Madhu Limaye : I want to refer to the notification referred to by the Hon'ble Minister and published in the Gazette and say that some amount has been quoted therein about which the details will be given by the Hon'ble Minister later. I want to know whether this assistance is given in accordance with the opinion expressed by P.A.C. in their 50th Report ? Whether this assistance has been given to the textile manufacturers and exporters or industrialists ; if so, whether this scheme is going to be introduced afresh irrespective of recommendations of P. A. C. ?

Shri Dinesh Singh : So far as the question of P. A. C. is concerned, this matter is being discussed between our Ministry and P. A. C. Even yesterday the secretary of our Ministry has discussed this matter. I would request the Hon'ble Member to wait for the final Report of P. A. C. before taking any final decision. The scheme which has been introduced is still in force. There is ofcourse, some amendment therein but it is in force. We shall take further course of action keeping in view the decision to be taken by P. A. C.

Shri Madhu Limaye : P. A. C. had given their opinion but devaluation has taken place thereafter. After devaluation Export Incentive Scheme was discontinued. Now it is being introduced again. In view of this would it not be better to know the opinion of P. A. C. ?

Shri Dinesh Singh : The incentive scheme is still in force. In case this scheme is discontinued it would affect our exports. We have expressed certain view before the P. A. C. and we are running this scheme accordingly. If our view goes against the decision of P. A. C., we would reconsider the matter.

Shri Madhu Limaye : That decision has already been taken.

Shri Dinesh Singh : The matter is still being discussed. If we discontinue the scheme all of a sudden then the entire scheme comes to stand still. Therefore we are running it.

Shri Madhu Limaye : He has mixed up both the questions. The main reason for the difficulties being experienced in the export of textiles is that the countries to which we export our textiles, they sell the same to other countries at cheaper rates. I have raised the question several times. This has always been contradicted by the Hon'ble Minister. I wanted to see whether the Hon'ble Minister would produce all the facts before the House honestly? But he has not done so. Now I have got a letter of Textile officer, Consul General of India in West Germany. His name is Shri Ratnam. I would place this letter on the Table of the House with your permission but at present I would like to read out some portion of the same for the information of House. This letter is addressed to the Ambassador :

“When I met you in Rotterdam on 27th April, I gave a brief report to you about the switch trade in our cotton textiles practised by some of the East European countries some of the leading importers of Indian cotton greys also have connections in East Europe and import greys from these countries. Our cloth bought by Eastern Europe is shipped from Bombay to Trieste. In Trieste the bales are diverted to Rotterdam to the account of the importer in Netherlands. It has been reported that countries like Bulgaria, Hungary, Rumania, etc. have some sort of an organisation in Trieste, to carry out the switch trade smoothly.

One importer, who wanted his name to be kept out, even frankly confessed that he would not like to buy grey cloth directly from us when he can get our greys from Eastern Europe at 15 per cent lower prices.”

I wish that our trade with East European countries is increased. But besides that I want to know the action taken by the Hon'ble Minister to keep the existing trade and Markets intact? I want to know whether the Hon'ble Minister is prepared to say that this letter is genuine or not? He has not brought forward this fact before the House so far.

Shri George Fernandes : This should be laid on the Table of the House.

Shri Madhu Limaye : I shall do so.

Shri Dinesh Singh : It will not be proper to say that the letter is genuine or not. The letters are received by Government

Shri Madhu Limaye : Sometime we also receive.

Shri Dinesh Singh : This is not proper.

Shri Madhu Limaye : I shall definitely place it on the Table of the House to expose them.

Shri Dinesh Singh : This is not the proper manner.

Shri Madhu Limaye : This is our right. The House of Commons has also recognised it. It is not an improper way. Mr Speaker, I seek your ruling on this subject. Such papers can be laid on the Table of the House. This right has been recognised in this House as well. I want to expose them.

Shri Dinesh Singh : I was telling that it is not proper that Government letters should go to outsiders. It is for the Speaker to decide whether this letter is allowed to be laid on the Table of the House or not. I have nothing to say in this matter.

He has mentioned about switch trade. When we receive such report, we enquire into the matter. One or two cases were brought to our notice and we took up the cases with respective Governments. The respective Governments took action against the persons who have been indulging in such a trade. We cannot bring anything to the notice of House unless it is proved. There is no question of concealing any fact.

श्री वि० ना० शास्त्री : भारतीय सूती कपड़े के निर्यात में कमी का रुख देखते हुए क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार निर्यात शुल्क में कुछ रियायत देने जा रही है ?

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप यह तो स्वीकार करेंगे कि मेरे लिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि सरकार क्या करने जा रही है क्योंकि इससे सारी योजना में गड़बड़ हो जायेगी। जब कार्यवाही पूरी हो जायेगी तभी मैं सभी तथ्य सभा के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय को पता है कि 10 या 12 वर्ष पूर्व कई करोड़ रुपये के सिले-सिलाये कपड़े सिंगापुर, मलाया, बर्मा आदि को निर्यात किए जाते थे और ये कपड़े छोटे-छोटे दर्जियों की दुकानों पर तैयार किये जाते थे जिनमें से बहुत सी कलकत्ता के आस-पास के उपनगरों में स्थित हैं ? परन्तु इस बीच की कालावधि में निर्यात पर पाबन्दियां लगने के कारण यह व्यापार बिल्कुल ठप्प हो गया और दर्जियों की इन दुकानों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। क्या इस प्रोत्साहन योजना का क्षेत्र बढ़ा दिया जायेगा जिससे ये छोटे व्यापारी—लगभग सभी कुटीर उद्योग भी इसमें सम्मिलित किये जा सकें—उनका व्यापार काफी है और विदेशी मुद्रा कमाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन क्यों न दिया जाये ?

श्री दिनेश सिंह : मेरे विचार में इस सम्बन्ध में कुछ भ्रान्ति है। निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है बल्कि निर्यात के लिये सुविधायें दी जाती हैं। यदि छोटे पैमाने की दर्जियों की दुकानें यदि निर्यात करें तो हम उसका स्वागत करेंगे। जहां तक प्रोत्साहन योजना का सम्बन्ध है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वह तो नहीं, परन्तु एक और योजना है जिसके अन्तर्गत सिले-सिलाये कपड़े तैयार करने वालों द्वारा निर्यात करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं।

श्री दामानी : पिछले कुछ महीनों के दौरान हमारे सूती कपड़े के निर्यात में वृद्धि हो रही है परन्तु पाँड के अवमूल्यन के कारण निर्यात में प्रगति बन्द हो गई है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि निर्यात को बहाल करने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय कब तक निर्णय कर लेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : इस प्रकार अनुमान लगाना ही हानिकारक है। यदि ब्रिटिश पाँड का अवमूल्यन हुआ है तो उसके बारे में हमें इतनी चिन्ता क्यों होनी चाहिये ? हमारी अपनी मुद्रा है और हम बहुत से क्षेत्रों में निर्यात कर रहे हैं जहां ब्रिटिश पाँड का सम्बन्ध नहीं है। केवल यह विचार कि क्योंकि ब्रिटिश पाँड का अवमूल्यन हो गया है, हमें भी कुछ करना चाहिए और लोग उसे अपने पास रोकना आरम्भ कर दें—इससे हमारी हानि हो सकती है। हमें उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

श्री हुमायून कबिर : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि निर्यात में कमी के कारणों में से एक मुख्य कारण यह है कि जो नमूना भेजा जाता है और बाद में जो वास्तव में वस्तु भेजी जाती, उन दोनों में बहुत अन्तर होता है ? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस्म पर नियंत्रण रखने और निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दिनेश सिंह : सभा को इस बात का पता है कि मैंने किस्म पर नियंत्रण रखने के लिये कई बार उल्लेख किया है। हम इस सम्बन्ध में उन लोगों पर काफी जोर डालते रहते हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : मंत्री महोदय ने इस बात का तो उल्लेख किया है कि हमारे निर्यातकों को अन्य देशों का कड़ा मुकाबला करना पड़ता है, परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें मंत्रालय का भी मुकाबला करना पड़ता है। एक ऐसी चीज अमरीका को सूती कपड़ा निर्यात करने के बारे में है जहाँ वही पुरानी कोटा प्रणाली चलती है और नवीन निर्यातकों को निर्यात के आदेश नहीं मिलते क्योंकि अमरीका के आयातकर्ता अधिकतर उन्हीं लोगों से सामान मंगवाना पसन्द करते हैं जो कोटा प्रणाली का अनुसरण करते हैं क्योंकि वे औसत रूप से कम मूल्य लेते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें विदेशी मुद्रा की पर्याप्त हानि होती है जो हमें अमरीका को कपड़ा निर्यात करके मिल सकती है बशर्ते कि कोटा प्रणाली की अनुमति न दी जाये। इसलिए क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यदि कोटा प्रणाली न रहे तो भारत के कपड़ा निर्यात में कुल कितनी वृद्धि हो सकती है ? क्योंकि हमें मूल्यवान विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है तो क्या सरकार कोटा प्रणाली को समाप्त करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : मेरे विचार में कोटा प्रणाली से, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, हमारे निर्यात में कोई कठिनाई नहीं हुई। परन्तु अब माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है तो मैं इस पर पुनर्विचार करूँगा।

श्री रा० बरुआ : अमरीका तथा अन्य विकसित देशों द्वारा व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार का ठीक तरह पालन नहीं किया जाता। क्या मंत्री महोदय इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि क्या विकसित देशों को सूती कपड़ा निर्यात करने के लिए इस सम्बन्ध में कोई दीर्घावधि व्यवस्था की जा सकती है या की जा रही है ?

श्री दिनेश सिंह : जी, हाँ। व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार नामक संस्था में हम चर्चा करते रहते हैं और राष्ट्र संघ व्यापार तथा विकास सम्मेलन में भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे।

श्री पीलु मोडी : मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा है कि निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, बल्कि निर्यात के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या उन्होंने इस देश से किसी वस्तु का निर्यात किया है ? यदि नहीं तो मैं उन्हें ऐसे अनेक प्रतिबन्ध बता सकता हूँ जो इस देश के निर्यात व्यापार में बाधा डाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सामान्य प्रश्न है ।

श्री पीलु मोडी : वह इस बात का उत्तर दें कि क्या उन्होंने निर्यात किया है या नहीं ।

बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण कार्य

+
*693. श्री मरंडी :

श्री मयाबन :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार ने बोकारो इस्पात कारखाने के सिविल इन्जी-
नियरिंग और निर्माण कार्य में विलम्ब के बारे में चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो कारखाने के निर्माण कार्य को तेज करने के लिए सरकार क्या कार्य-
वाही कर रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण कार्य में 9 महीने की विलम्ब पर रूस सरकार और भारत सरकार, दोनों को चिन्ता थी । रूसी अधिकारियों के साथ पुनरीक्षित निर्माण कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने की दृष्टि से बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रबन्धक निदेशक ने अगस्त, 1967 में रूस का दौरा किया । इस बीच पुनरीक्षित निर्माण कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार सामग्री और उपकरण आने आरम्भ हो गये हैं । रूसी परामर्शदाताओं के साथ निरन्तर रूप से संपर्क रखा जा रहा है । हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कांस्ट्रक्शन लिमिटेड से सिविल कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिये नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है । सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से माल के संभरण के लिये प्रबन्ध को अन्तिम रूप दे दिया गया है और निजी क्षेत्र के उद्योगों के साथ प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

Shri Marandi : May I know the extent to which Soviet Government will suffer a loss as also the extent to which Government of India will have to expiate ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : The question of loss does not arise.

Shri S. S. Kothari : May I know the expenditure so far incurred on the Bokaro Steel Plant and the township separately and the present strength of the establishment of Bokaro Steel Plant ?

Dr. Channa Reddy : Nothing has so far been incurred on township as the work relating to this has not been undertaken so far. Work relating to levelling has, however been completed at a total expenditure of Rs. 30 crores. The number of employees is roughly two thousand.

Shri Mrityunjay Prasad : This is an item of civil engineering for which no foreign exchange is required. Have all the necessary working drawings for civil works been received from Russia as this is the preliminary thing and the machines are to be installed only afterwards ?

Dr. Channa Reddy : After the agreement was finalised, the work commenced after December, 1966. So far as the equipment of Construction is concerned that includes not only the civil engineering items but also the installation of machinery, design work etc, 1,77,166 ton material was to be imported, out of this 15,393 ton has already arrived or is on its way. This material is both for construction and wood work. The nine months delay was because of the difficulties encountered in acquiring land etc.

श्री कृष्ण मूर्ति : क्या 26 नवम्बर, 1966 को मद्रास की एक सर्वदलीय समिति ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन पत्र दिया था जिसमें कहा गया था कि बोकारो में 750 करोड़ रु० का एक बड़ा संयंत्र लगाने की बजाय, इसे छोटे-छोटे भागों में बांटकर विभिन्न स्थानों पर लगाया जा सकता है ? सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

डा० चन्ना रेड्डी : मुझे इसका पता नहीं है ।

श्री कृष्ण मूर्ति : यह कोई उत्तर नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : बोकारो करार पर मैंने हस्ताक्षर किये थे ।

श्री पीलु मोडी : परन्तु हम पिछली गलतियों के लिये अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ।

श्री कृष्ण मूर्ति : मंत्री को उत्तर देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उनके पास कोई उत्तर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : परियोजना के निर्माण कार्य में कितनी बार विलम्ब हुआ है और मूल विनियोजन कार्यक्रम की तुलना में वर्तमान विनियोजन कार्यक्रम क्या है और क्या सरकार समझती है कि इन विनियोजन कार्यक्रमों से कभी कोई लाभ हो सकेगा ?

डा० चन्ना रेड्डी : विभिन्न देशों के साथ सहयोग के प्रश्न पर विभिन्न चरणों पर विचार किया गया था और वास्तविक सहयोग करार रूस के साथ किया गया । जहां तक काम की प्रगति का सम्बन्ध है मैं पहले बता चुका हूँ कि केवल 9 महीनों की देरी हुई है और इतनी बड़ी परियोजना में यह कोई बड़ी देरी नहीं है । कार्य निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ।

श्री कार्तिक ओराओं : बस्ती तथा परियोजना के पूरा करने के लिये मूल कार्यक्रम क्या था और उत्पादन का लक्ष्य क्या था ? यदि कोई विलम्ब हुआ है तो सरकार कार्य को गति देने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

डा० चन्ना रेड्डी : निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलना तो व्यावहारिक रूप से और भौतिक रूप से असम्भव होगा । इसलिये, अब हम बोर्ड और रूसी सहयोगियों के साथ इस बात पर सहमत हो गये हैं कि हम दूसरे कार्यक्रम को बना पायेंगे और इसे 9 महीने के लिये बढ़ा देंगे । इसको पूरा करने का हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye : About two months back I had visited this area and I found that about one Lakh Villagers have been rendered homeless there. May I know whether any scheme is being formulated to absorb the children of those people in this plant after giving them training ?

Dr. Channa Reddy : It is our general policy to consider for employment the persons rendered displaced due to the acquisition of land. I have already mentioned the steps that we are taking in this regard.

Shri K. N. Tiwary : May I know whether the difficulties so far encountered have been got over and whether the work will now adhere to the schedule and whether the 9 months delay will not further magnify ?

Dr. Channa Reddy : We hope that the second schedule will be adhered and the delay of 9 months will not further magnify.

Shri Maharaj Singh Bharati : Is it a fact that had all the machinery for this plant been imported as in the case of other steel plants, the plant would have gone into production according to the schedule, but the Russians are adamant on supplying only those machines which cannot be manufactured here and therefore the difficulty of Indian currency is coming in the way ?

Dr. Channa Reddy : It is true that as compared to other Steel Plants, we are installing more locally manufactured machines in this plant. There is no difficulty of money as such, but we have got to maintain such a physical programme.

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री या भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा इस सभा में दिये गये आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश कार्य चतुर्थ योजना में पूरा कर लिया जायेगा—अब सुनने में आता है कि कोई योजना अवकाश चल रहा है—मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस अवकाश के बावजूद भी इस परियोजना को चतुर्थ योजना में पूरा कर लिया जायेगा और यदि नहीं, तो कब ।

डा० चेन्ना रेड्डी : योजना अवकाश का कोई प्रश्न नहीं है । जहां तक विशिष्ट परियोजना का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने बताया, मार्च, 1971 के मूल लक्ष्य की बजाय अब दिसम्बर, 1971 का लक्ष्य होगा । हमें आशा है कि इसे पूरा कर लिया जायेगा ।

श्री सूपकार : विवरण में पुनरीक्षित निर्माण कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है । क्या इसके परिणामस्वरूप योजना की कुल लागत में अन्तर पड़ेगा ? दूसरे रूस से जो 1 लाख टन से भी अधिक उपकरण आने थे उनके केवल 15,000 टन की मात्रा में आने के क्या कारण हैं ?

डा० चेन्ना रेड्डी : मैंने यह कहा था कि पूरी अवधि में कुल 1,77,000 टन उपकरण आने थे । सारे सामान को पहले से मंगा लेना भी उपयोगी और लाभप्रद न होगा । जहां तक लागत का सम्बन्ध है, विलम्ब के कारण इसमें वृद्धि न होगी ।

श्री० स० च० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि पहले सरकार का विचार बोकारो प्लांट को अपने साधनों और व्यक्तियों द्वारा चलाने का था। यदि यह सच है तो क्या सरकार उन परामर्शदाताओं की सेवाओं से लाभ उठा रही है जो सरकार को सहायता देने आये हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चेन्ना रेड्डी) : मेरे विचार से ऐसा कभी नहीं कहा गया कि यह प्लांट हम अपने साधनों से स्वयं पूरा कर लेंगे। परन्तु अब स्थिति यह है कि 90 प्रतिशत इस्पात यंत्रों में से 64 प्रतिशत प्लांट और यंत्र सम्बन्धी और 96 प्रतिशत गलन सम्बन्धी यंत्र देश में उत्पादित किये जाते हैं। केवल बाकी के यंत्र रूस से आयात किये जाते हैं। जहां तक हमारे तकनीकी व्यक्तियों का प्रश्न है उन्हें रूस में प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। हमें विभिन्न चरणों में 572 रूसी तकनीशियनों को नियुक्त करना पड़ेगा। परन्तु 5 से 10 वर्ष के भीतर इन सब के स्थान पर भारतीय तकनीशियनों की नियुक्ति कर दी जायेगी।

श्री स० च० सामन्त : क्या इस परियोजना में परामर्शदाताओं की सेवाओं का भी लाभ उठाया गया है।

डा० चन्ना रेड्डी : इसमें से अधिकांश कार्य रूसी परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। कुछ भाग हमारे अपने परामर्शदाता डास्टर एण्ड कम्पनी द्वारा किया गया है।

श्री हेम बरुआ : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्लांट के निर्माण में विलम्ब होने के लिये भारत सरकार को दोषी ठहराया है। यदि यह सच है तो इस सम्बन्ध में सरकार को क्या स्पष्टीकरण देना है।

डा० चन्ना रेड्डी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस सम्बन्ध में हमारे से कुछ विलम्ब हुआ है और कुछ सीमा तक रूस सरकार से भी विलम्ब हुआ है। परन्तु इसको रोका नहीं जा सकता था और हम एक दूसरे की कठिनाइयों को समझते हैं।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न भिन्न था। रूस सरकार ने परियोजना में देरी होने का दोष भारत सरकार पर लगाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि रूस सरकार का यह कहना कहां तक सच है।

डा० चेन्ना रेड्डी : मैं इसको स्पष्ट करता हूं। रूस सरकार ने इसके कुछ डिजायन सप्लाई करने में देरी की। भारतीय परामर्श दाता बोकारो के लिये आवश्यक विशेष प्रकार के संयंत्रों को उपलब्ध न कर सके। बड़ी प्रयोजना में इस प्रकार की कठिनाई को नहीं रोका जाता। हम एक दूसरे की कठिनाइयों को समझते हैं।

श्री रमानी : माननीय मंत्री ने आठ दस दिन पूर्व उज्जैन में बताया था कि इस विलम्ब का कारण यह था कि भारतीय रचक यंत्र निर्माता निर्धारित समय के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या यह सच है या क्या सरकार पर बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि बोकारो प्लांट सरकारी क्षेत्र में स्थापित न किया जाये या क्या विश्व बैंक ने सरकार पर दबाव डाला है ?

डा० चेन्ना रेड्डी : कोई दबाव नहीं डाला गया है। देरी के सम्बन्ध में मैं पहले ही स्पष्टीकरण दे चुका हूँ। विस्तृत तौर पर देरी के कारण भूमि का अर्जन करना निर्माण कार्य डिजाइन इत्यादि है।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि रूसी इंजीनियरों के निवास के लिये बोकारो प्लान्ट के क्षेत्र में होस्टल प्रणाली के होटलों का निर्माण किया गया था और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था। अब यह होटल खाली पड़ा है और नये मकानों का निर्माण किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक धन का अपव्यय हो रहा है। क्या यह सच है कि जो भूमि भवन निर्माण के लिए अर्जित की गई है उसमें से अधिकतर भूमि बहुत उपजाऊ है उसमें धान की बहुत अच्छी खेती होती है जबकि उसके पास स्थित पथरीली भूमि को इस प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया गया। उपजाऊ भूमि को खेती के लिये छोड़ा जा सकता था ?

डा० चेन्ना रेड्डी : होस्टल निर्माण का अन्य प्रयोजनों के लिये भी प्रयोग किया जा सकता है। मैं ठीक प्रकार नहीं कह सकता कि क्या रूसी इंजीनियरों ने इसे अस्वीकार कर दिया था या इसका कोई और कारण था।

मैं इस सम्बन्ध में अवश्य जांच करूंगा। जहां तक भूमि के उपजाऊपन का प्रश्न है इस सम्बन्ध में पूरी जांच की गई थी।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या यह सच है कि वहां इस समय 200 इंजीनियर कार्य कर रहे हैं, यदि हां तो इस कार्य में देरी को रोकने के लिये कितने और इंजीनियरों की आवश्यकता होगी।

डा० चेन्ना रेड्डी : पूरा कार्य जब जोर शोर से आरम्भ हो जायेगा तो अन्त में 2,000 या इससे भी अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र यूनिटों द्वारा शीघ्रता से सप्लाई किये जाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। मेरे विचार से उनका उद्देश्य निर्माण कार्य के लिये आवश्यक सामान से है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि देश के इन विभिन्न रचक यंत्रों में वितरण का कार्य बहुत समय तक रुका रहा, यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ और क्या यह सच है कि नहीं कि मनुष्य रचक यंत्र जिनमें से अधिकतर कलकत्ता और उसके निकट स्थित हैं फर्मों को कोई भी आर्डर नहीं दिये गये क्योंकि उनकी दरें बहुत ऊंची थीं।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे केवल टेन्डर के आधार पर ही आर्डर दे रहे हैं या क्या वे इस सम्बन्ध में कार्यक्षमता और बड़ी फर्मों में जो मन्दी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं।

डा० चेन्ना रेड्डी : इसको अन्तिम रूप देने में देरी होने का मुख्य कारण यह था कि इस सम्बन्ध में विस्तार से जांच की जानी थी। इन निर्माण के सम्बन्ध में वास्तव में दक्षिण और

पश्चिमी क्षेत्र के लोगों ने शिकायतें की हैं कि उन्हें निर्माण सम्बन्धी कार्य के आर्डर प्राप्त नहीं हो रहे हैं और पूर्वी क्षेत्र इस सम्बन्ध में लाभ में रहा है। कार्य की क्षमता और समान वितरण पर भी ध्यान दिया जाता है। देश के विभिन्न भागों में निर्माण कार्य कर रही फर्मों को भी इसमें भाग लेने का अवसर दिया जाता है।

हावड़ा स्टेशन पर उतारे गये खाद्यान

+

*695. श्री रमानी :

श्री उमानाथ :

श्री अनिरुधन :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

श्री वि० कु० मोडक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुर, शिवपुर और शालीमार के रेलवे यादों में विभिन्न स्थानों से बुक की गई कई माल डिब्बे मूंग तथा अन्य दालें पड़ी हैं और हावड़ा और रामकृष्णपुर के रेलवे शेडों में दालों के कई सौ बोरे जमीन पर पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो स्टेशन पर पड़ी दालों की कुल मात्रा क्या है;

(ग) क्या इससे माल यातायात अस्तव्यस्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क), (ख), (ग) और (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

कुछ समय पहले कलकत्ता क्षेत्र के स्टेशनों पर दालों से भरे बहुत अधिक माल डिब्बे जमा हो गये थे और माल गोदामों में भी दालों के ऐसे बहुत परेषण पड़े थे, जिन्हें छुड़ाया नहीं गया था। अब हालत सुधर गयी है और बहुत अधिक माल पड़ा हुआ नहीं है।

10-12-1967 को, दालों से भरे तीन माल डिब्बे हावड़ा पर और पांच माल डिब्बे, रामक्रिस्टोपुर स्टेशन पर खाली होने की प्रतीक्षा में खड़े थे। 14 माल डिब्बों के दालों के परेषण, जिन्हें माल गोदामों में उतारा गया था, हावड़ा स्टेशन पर और सात रामक्रिस्टोपुर स्टेशन पर हटाये जाने की प्रतीक्षा में पड़े हैं।

कलकत्ता क्षेत्र के स्टेशनों पर दालों से भरे हुए माल डिब्बों के जमा हो जाने के कारण माल यातायात अस्त-व्यस्त हो गया और हावड़ा और रामक्रिस्टोपुर के लिए माल की बुकिंग पर पाबन्दियां लगायी गयीं। स्थिति में सुधार हो जाने पर इन पाबन्दियों को हटा लिया गया है।

रेल प्रशासन द्वारा सम्बन्धित व्यापार संगठनों और माल छुड़ाने वाले एजेंटों से बार-बार सम्पर्क स्थापित करके जल्दी माल छुड़ाने और परेषणों को हटाने के लिये कहा गया। पश्चिमी बंगाल की सरकार को स्थिति से अवगत रखा गया ताकि वह उपयुक्त कार्यवाई कर सके। चूंकि माल 'स्वयं' को बुक किया गया था और इसलिए परेषितियों का पता नहीं था, इसलिए जहां सम्भव हो सका, भारतीय रेल अधिनियम की धारा 55 और 56 के अनुसार प्रेषकों को नोटिस भेजकर उन्हें माल उठाने से लिए कहा गया।

स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए हावड़ा और रामक्रिस्टोपुर को माल बुक करने पर पाबन्दियां लगा दी गयीं।

श्री रमानी : सैकड़ों दाल से भरे माल डिब्बे रेलवे यार्ड में खड़े हैं और प्राधिकारी यह कह रहे थे कि उनके प्रेषितियों का पता नहीं लग सका। वास्तव में कलकत्ता में व्यापारी मूल्य बढ़ाना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे प्राधिकारियों और व्यापारियों के बीच इस सम्बन्ध में साठ-गांठ है और वे इसको व्यापारियों को नहीं दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये तैयार हैं।

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है सामान्य प्रणाली यह है कि जब माल पाने वाला माल शेडों या रेलवे वैनो से माल नहीं छुड़ाता तो भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत माल के मालिक को नोटिस दिया जाता है और इससे माल न छुड़ाने का कारण पूछा जाता है और नोटिस में निर्धारित तिथि पर माल छुड़ाने के लिए कहा जाता है। यदि माल का मालिक निश्चित तिथि में माल नहीं छुड़ाता तो रेलवे उस माल का नीलाम कर देती है। वह उसका विज्ञापन समाचार-पत्रों में देती है और उनको 15 दिन का नोटिस देती है। इन सब बातों में समय लगता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की जायेगी और क्या सरकार और रेलवे प्राधिकारियों के बीच साठ-गांठ थी। इन तथ्यों का उत्तर देने के बजाय मंत्री महोदय उसके इतिहास का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री परिमल घोष : इसमें साठ-गांठ का कोई प्रश्न नहीं उठता। जांच का प्रश्न भी नहीं उठता।

श्री रमानी : हजारों बोरे दाल वहां बेकार पड़ी है जबकि लोगों को इसकी आवश्यकता है। क्या रेलवे मंत्रालय इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर रही है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। इस सम्बन्ध में कोई उचित विभाग या पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है जो इन बातों की जांच करे और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये सरकार को शीघ्र अपनी रिपोर्ट दे।

श्री परिमल घोष : इस सम्बन्ध में मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। रेलवे अधिनियम

के अन्तर्गत उल्लेख की गई प्रक्रिया की जांच की जायेगी। रेलवे इस सम्बन्ध में और कुछ कार्यवाही नहीं कर सकती।

Shri Raghuvir Singh Shastri: I want to know whether it is a fact that Mung and bales of cotton yarn were lying at the Ludhiana Station and Coconut-oil at Ghaziabad, Delhi and Rampur Stations and Coal at other prominent stations and normally the traders do not take the delivery of the goods because they wait for good customers at the station itself and they have not to spend anything from their own pocket.

श्री परिमल घोष : हावड़ा स्टेशन का प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि रेलवे शेडों में सैकड़ों बोरी दाल पड़ी है और उसे उठाया नहीं जा सका और उनमें से कुछ उपभोग के योग्य भी नहीं रहेंगी।

क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण देंगे ?

श्री परिमल घोष : कोई भी माल डिब्बा लदा हुआ नहीं खड़ा है। सब माल डिब्बों को खाली किया जा चुका है।

Shri Kanwar Lal Gupta: What happened in Culcutta also happened in other parts of the country, and so many wagons lie idle like this. The Hon. Minister told that the procedure of Railway is very lengthy and it takes several months to come to a conclusion. Whether the Minister will pay attention to change the procedure and Rules of Railway so that the sides may be cleared early and people may not be able to take undue advantage of this ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : इन मामलों में उचित तरीका यही है कि हमें विलम्ब शुल्क और उतराई शुल्क में वृद्धि करनी होगी। माल भेजने वाले और पाने वाले को अनिश्चित काल के लिये माल वहां रखने नहीं देना होगा। अन्यथा उसे नीलाम कर दिया जायेगा। रेलवे का दायित्व इससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

Shri O. P. Tyagi: Whether it has come to the notice of the Government that the food-grains are loaded in open wagons and as a result of it foodgrains in lakhs of maunds are spoiled. If it is so, whether the Government have given any instructions to its department not to load goods in open wagons in future ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहां तक सम्भव होता है हम बन्द माल डिब्बों की व्यवस्था करते हैं, परन्तु हमारे पास बन्द माल डिब्बों की कमी है। जब कभी हम आवश्यक बन्द माल डिब्बे सप्लाय करने में अस्मर्थ होते हैं तो हम खुले माल डिब्बों में तिरपाल ढक देते हैं ताकि माल रास्ते में सुरक्षित रहे।

Shri Ram Charan : It has been seen that the business elements have collusion with the Railway Authority. On the one hand with the help of the authority, they intentionally delay the movement of the goods and on the other side when wharfage and demurrages have to be paid, the Railway Authority have the right to waive it to the extent of 75 per cent.

श्री परिमल घोष : ऐसे कोई मामले हमारे सामने नहीं आये हैं जिनमें उतराई या विलम्ब शुल्क के रूप में 75 प्रतिशत कमी की गई हो परन्तु जब कभी इस सम्बन्ध में वास्तविक कठिनाई होती है तो माल उतराई के सम्बन्ध में उन्हें छूट दी जाती है। परन्तु हमने अभी तक कभी भी 75 प्रतिशत की छूट नहीं दी है।

Delegation to Britain, Canada, Holland and Belgium

*699. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a four member team recently went on a 24-day tour of Britain, Canada, Holland and Belgium to study the export potentiality of Indian goods;

(b) if so, the main features of the report submitted by it; and

(c) the action taken by Government in regard thereto?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) A 3 Member Sales Team consisting of a representative of the State Trading Corporation and two representatives from Rayex which is a subsidiary of the Silk and Rayon Export Promotion Council, recently went on a 24-day tour to Canada, U.K., Holland, Belgium, Italy, Kenya and Iraq for promotion of export of artsilk fabrics.

(b) The Sales Team returned on the 4th December and their report is awaited.

(c) Does not as yet arise.

Shri Raghuvir Singh Shastri: Whether this Delegation has received complaints in Africa and its nearby countries that the goods received from India are received late and are of bad quality. It is not being sent according to the specification.

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): The report has still to come. They have booked orders worth about 5 crores and 70 lakhs and still their work is not complete.

Shri Raghuvir Singh Shastri: Whether the Government is considering to increase the export of nylon fabric?

Shri Dinesh Singh: We are considering of increasing the export.

Shri Prakash Vir Shastri: Whether there is some deficiency in our commercial representative attached with our ambassador abroad that we have to send delegations abroad like this.

Shri Dinesh Singh: Our commercial representatives attached with our ambassador take interest in the financial affairs of that country. This delegation was sent to sell goods of specific kind. There is always some profit by sending delegation like this. Some take samples from here and the others can tell in detail about these. This type of procedure has been going in the world for quite sometime and it is beneficial.

Shri Rabi Ray: What were the names of the members of the delegation sent abroad and the expenses incurred upon them. We may not spend more amount upon this delegation than we received from export. It will result in wastage.

Shri Dinesh Singh : I have just told that Mr. Fernandes was the representative of State Trading Corporation. I have not got the names of other members of the delegation who accompanied it. I have not got the estimate of expenditure incurred on this delegation with me.

Shri Prem Chand Verma : I want to know whether our representatives abroad have taken steps to increase our export. So that instead of sending a delegation we may do our work with their assistance.

Shri Dinesh Singh : I have already told that besides those residing there, there is every necessity of sending a delegation. It so happens in every country.

I have got some names with me and they are : Mr. George Fernandes of our State Trading Corporation, Shri Surendra Mehta, Vice-Chairman, Silk and Rayon Export Promotion Council Shri O. P. Dhawan, Director of Rex and besides this, this delegation was given assistance by Jayanti Lal Modi in U.S.A.

श्री सम्बन्धन : प्रतिनिधिमंडल को भेजे जाने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें हैं कि व्यापार वर्ग के उचित व्यक्तियों को प्रतिनिधिमंडल के साथ न भेजकर यह कार्य मंत्रालय के कुछ उच्च पदाधिकारियों की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। विदेशों में भेजने वाले व्यक्तियों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है।

श्री दिनेश सिंह : इस प्रतिनिधिमंडल का चुनाव वाणिज्य मंत्रालय ने नहीं किया था परन्तु निर्यात वृद्धि परिषद् ने किया था और इसमें व्यापार के सदस्य सम्मिलित किये गये थे।

नियम ४० के अन्तर्गत प्रश्न QUESTION UNDER RULE 40

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन

1. श्री जार्ज फरनेन्डोज : क्या सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (तीसरी लोक-सभा) के छत्तीसवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में कोई प्रतिवेदन सरकार से प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने यह सूचित किया है कि छत्तीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों में से किसी एक अथवा अधिक सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वे सिफारिशें कौन सी हैं ?

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष (श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :) (क) से (ग). भारतीय तेल निगम के (तेल शोधक विभाग) बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 36वें

प्रतिवेदन में दी गई सब 68 सिफारिशों के उत्तर सरकार से प्राप्त हो गये हैं। इस सम्बन्ध में 5 सिफारिशों के बारे में और जानकारी मांगी गई है। जैसे ही वह जानकारी प्राप्त होगी कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट पूरी हो जायेगी और वह लोक-सभा में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

Shri George Fernandes : I want to ask question in this regard.

अध्यक्ष महोदय : साधारणतया इस सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछे जाते।

Shri George Fernandes : Some serious things have been mentioned in that Report. It has been said publicly that crores of rupees are being wasted in different ways by the Indian Oil Corporation. Some allegations have also been made against the Government in this Report. I think that the concerned Minister should have resigned. I cannot expect such negligence, from any Minister. I want to know the action taken by the Government with regard to the charges of corruption, losses etc. mentioned in that report.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : कठिनाई यह है कि सिफारिशों के उत्तर प्राप्त हो गये हैं परन्तु उत्तरों के सम्बन्ध में और स्पष्टीकरण मांगे गये हैं और वे समिति को प्राप्त हो गये हैं। जब तक समिति उन पर विचार नहीं कर लेती और उनके सम्बन्ध में अपनी राय नहीं दे देती, मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि सरकार ने उन सिफारिशों को कैसे क्रियान्वित किया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कपड़ा बनाने की आयातित मशीनें

*694. श्री बाबूराव पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेयक्स और रेयन कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् के लिये राज्य व्यापार निगम ने जापान से 4 लाख रुपये की कपड़ा बनाने की जो मशीनें मंगाई थीं और जिनका 85 प्रतिशत मूल्य राज्य व्यापार निगम ने चुकाया था वे दो वर्ष से बेकार पड़ी हैं और उन पर जंग लग रहा है तथा कोई भी उन्हें उपयोग में लाने के लिये तैयार नहीं है;

(ख) रेयक्स और राज्य व्यापार निगम के बीच हुए करार की शर्तें क्या हैं, करार के अनुसार रेयक्स ने अब तक कितनी धनराशि दी है और इस करार का पालन कराने के लिये राज्य व्यापार निगम ने रेयक्स के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2021/67]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की उत्पादन दिशा में परिवर्तन

*698. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी गत रूस यात्रा के दौरान रूस के अधिकारियों ने यह सुझाव दिया था कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, रांची और कोल माइनिंग मशीन बिल्डिंग प्लांट, दुर्गापुर पर बाजार के उतार-चढ़ाव से होने वाले प्रभावों को रोकने के लिए इन कारखानों की उत्पादन दिशा में परिवर्तन किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो रूसी अधिकारियों द्वारा उत्पादन दिशा में परिवर्तन करने संबंधी सुझावों का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). रूसी अधिकारियों के साथ दोनों संयंत्रों से सम्बन्धित अनेक समस्याओं पर विचार किया गया था और यह निश्चय किया गया था कि समस्याओं के गहन अध्ययन के लिये रूसी विशेषज्ञों का एक दल भारत बुलाया जाये जो उत्पादकता को बढ़ाने के सम्बन्ध में निश्चित सिफारिश दे और ऐसा उपाय सुझाये जिससे क्षमता का पूर्ण उपयोग हो।

Export Duty on Tea

*700. **Shri Shiv Kumar Shastri:** **Shri Ram Gopal Shalwale:**
Shri Prakash Vir Shastri: **Dr. Surya Prakash Puri:**
Shri Ram Avtar Sharma:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

- whether it is a fact that export duty on tea has been reduced ;
- if so, the reasons therefor ; and
- the estimated loss in the revenue to India thereby ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

पश्चिम जर्मनी के साथ व्यापार

*701. श्री मयाबन :

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के चांसलर की हाल ही की भारत यात्रा के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक भारतीय व्यापारिक शिष्टमंडल को पश्चिम जर्मनी भेजने का भी निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस शिष्टमंडल के वहां कब जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). पश्चिमी जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा के दौरान भारत के प्रधान-मंत्री तथा चांसलर ने परस्पर भारत-जर्मनी के बीच व्यापार पर विचार किया था। दोनों देशों की इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए कि दोनों देशों का पारस्परिक व्यापार बढ़े और उन्हें लाभ हो, यह निश्चय किया गया कि तत्सम्बन्धी समस्याओं पर विशेषज्ञों को विचार करना चाहिये। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों तथा पश्चिमी जर्मनी के दूतावास के बीच इस बारे में विचार-विमर्श चल रहा है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा बोनस अधिनियम का उल्लंघन

*702. श्री श्रीधरन :

श्री गयूर अली खां :

श्री कामेश्वर सिंह :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास ने 1961-62 से 1963-64 तक की अवधि में अपने कर्मचारियों को बोनस देने के मामले में बोनस अधिनियम का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो कुप्रबन्ध को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1961-62 से 1963-64 तक कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के बारे में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने बोनस अधिनियम 1965 के अनुबन्धों का उल्लंघन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी फर्मों के साथ इस्पात के सौदों की जांच करने के लिये सरकार समिति

*703. श्री जि० ब० सिंह :

श्री कामेश्वर सिंह :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 30 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 857 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयोग ने जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). यह माना जाता है कि माननीय सदस्यों ने (इस्पात सौदों के सम्बन्ध में नियुक्त) जांच समिति का

उल्लेख किया है जिसको लोक लेखा समिति की 50वीं तथा 56वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार नियुक्त किया गया था। यह समिति लोक लेखा समिति की 50वीं, 55वीं तथा 56वीं रिपोर्टों में उल्लिखित सभी मामलों की जांच कर रही है और इस सम्बन्ध में बहुत से लोगों की गवाही ली जा चुकी है। जनवरी, 1968 तक रिपोर्ट दिये जाने की सम्भावना है। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न उसके बाद उठेगा।

रेलवे द्वारा लकड़ी के स्लीपरों की खरीद

*704. श्री अदिचन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारों ने रेलवे बोर्ड को लकड़ी के स्लीपरों के अलाभप्रद मूल्यों और रेलवे द्वारा बड़े पैमाने पर उनको अस्वीकार किये जाने के विरोध में अभ्यावेदन भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कुछ राज्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि जून, 1965 में हुई बैठक में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के वन केन्द्रीय बोर्ड की उप समिति द्वारा निर्धारित मूल्यों में वृद्धि की जाय क्योंकि ये मूल्य अब लाभप्रद नहीं रहे। किसी बड़े पैमाने पर अस्वीकृति की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) मूल्यों को फिर से निर्धारित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, लंदन द्वारा मांगे गये टेंडर

*705. श्री गणेश घोष :

श्री भगवान दास :

श्री अब्राहम :

श्री उमानाथ :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, लन्दन ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की ओर से निरन्तर ढलाई (कंटीन्यूअस कास्टिंग) मशीनों की सप्लाई के लिये सारे विश्व में टेंडर मांगे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने यह मशीनें सप्लाई करने की पेशकश की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या ठेकेदारों का चयन कर लिया गया है; और

(घ) चुनी गई फर्मों के नाम क्या हैं तथा कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) जी, नहीं। टेंडरों की जांच की जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयात लाइसेंस देना

*707. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1966 से 27 मई, 1967 तक की अवधि में गैर-सरकारी क्षेत्र को कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त अवधि में केवल 10 औद्योगिक सार्थों को 120 करोड़ रुपये के मूल्य के आयात लाइसेंस जारी किये गये थे;

(ग) उनमें से कितनों ने अपने आयात लाइसेंसों का प्रयोग किया है;

(घ) क्या सरकार को किसी ऐसे सार्थ के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है जिसे पिछले दो वर्षों में 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के आयात लाइसेंस मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं, और सम्बन्धित फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1 अप्रैल, 1966 से 27 मई, 1967 की अवधि में गैर-सरकारी क्षेत्र में 1,401 करोड़ रुपये के मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये थे ।

(ख) आयात के आंकड़े वस्तुवार/श्रेणीवार रखे जाते हैं, फर्म-वार नहीं । "आयात लाइसेंसों, निर्यात लाइसेंसों तथा औद्योगिक लाइसेंसों का साप्ताहिक समाचार-पत्र" में आयात लाइसेंसों का पूरा ब्योरा प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) मैसर्स आ० के० सिन्थेटिक्स तथा फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई जो आयातित सिन्थेटिक फाइबर का कस्टम क्लीरेन्स द्वारा उसे दिये गये परमिट के प्रतिकूल उपयोग कर रही थी, के खिलाफ एक शिकायत मिली है । मामले की जांच की जा रही है ।

Indian Tractors Sold to Farmers

*708. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian-made tractors are sold at exorbitant rates ; and

(b) if so, the efforts being made by Government to bring down the prices of the indigenous tractors ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b). It is not correct to say that the Indian made tractors are sold at exorbitant rates. The prices of these tractors are, however, comparatively higher than the prices of similar models, if imported from abroad.

In order to determine the fair selling prices of tractors manufactured in the country, Government Cost Account Officers were deputed to undertake cost examination of the manufacturing units. On the basis of their recommendations, selling prices of all makes of tractors currently under production in the country were notified under the Essential Commodities Act, 1955. As some manufacturers represented against some of the basic principles on which the Cost Accounts Officers had worked out the costs of production, Government requested the Tariff Commission to make a formal enquiry and recommend reasonable selling prices. The report of the Commission has been received recently and is under examination.

मोटरकार किस्म नियंत्रण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

*709. श्री सूपकार :

डा० रानेन सेन :

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या औद्योगिक तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या मोटरकार किस्म नियंत्रण सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;
- (ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और
- (ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). समिति का प्रतिवेदन अभी कुछ ही दिन हुए प्राप्त हुआ है । समिति के प्रतिवेदन की जांच तथा उसमें की गई विभिन्न सिफारिशों पर निर्णय करने में अभी कुछ समय लगेगा । जब तक इस समिति की प्रमुख सिफारिशों की जांच तथा उन पर निर्णय नहीं कर लिया जाता तब तक इस समय उन्हें प्रकट कर दिया जाना उचित नहीं समझा जाता है ।

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की मात्रा

*710. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें मांग की गई है कि राज्य व्यापार निगम को आंध्र प्रदेश में न बिकी तम्बाकू की सारी मात्रा खरीद लेनी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य में तथा अन्य स्थानों पर तम्बाकू की कितनी मात्रा इकट्ठी हो गई है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री विनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में लगभग 20 लाख किलोग्राम तम्बाकू (नाटू) बिना बिका पड़ा है ।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है । तथापि यह अनुभव किया गया कि राज्य

व्यापार निगम फिलहाल विदेशी व्यापार तथा निर्यात संवर्धन के बारे में ही विचार करे और वह आन्तरिक वितरण में हस्तक्षेप न करे।

International Leather Goods Fair, Paris

***711. Shri Jagannath Rao Joshi
Shri Ranjit Singh**

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news published in "Organizer", an English Weekly of Delhi, in its issue dated the 19th November, 1967 that some officers in the Leather Section of the 'Indian Export Promotion Council' have participated in the propagation of Pakistani goods in the "International Leather Goods Fair" in Paris;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) the names and designations of the persons concerned, and the nature of the action taken against them ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The allegation has been enquired into and found baseless.

(c) Does not arise.

संयुक्त संयंत्र समिति

***712. डा० रानेन सेन :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात के व्यापारियों तथा उत्पादकों दोनों ने ही संयुक्त संयंत्र समिति के कार्य की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विरुद्ध आलोचना में क्या-क्या बातें कही गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस आलोचना पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). निम्नलिखित विषयों पर आलोचना की गई है : कुछ मुख्य उत्पादकों द्वारा पैकेज सौदों का किया जाना, बिलैट्स, शलाका (बार), छड़ (रोड) के मूल्यों का उच्च स्तर पर निर्धारित किया जाना तथा दुर्लभ श्रेणियों के लिये वितरण व्यवस्था से व्यापारियों का अलग किया जाना।

(ग) और (घ). लौह तथा इस्पात सलाहकार परिषद् की स्थायी समिति ने लौह तथा इस्पात विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी, जो इन समस्याओं पर विचार करेगी। समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

गोहाना से पानीपत तक रेलवे लाइन को पुनः चालू करना

*713. श्री रणधीर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य के लोगों की जोरदार तथा सर्वांगीण मांग को ध्यान में रखते हुए गोहाना से पानीपत के बीच पुनः रेलवे लाइन बनाने के लिये सरकार को हरियाणा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलवे लाइन का कार्य कब तक पुनः आरम्भ करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो हरियाणा राज्य के लोगों की इस लोकप्रिय मांग को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : उखाड़ी गयी गोहाना-पानीपत रेलवे लाइन को फिर से बिछाने के सम्बन्ध में हरियाणा की नयी राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। लेकिन इस रेलवे लाइन को फिर से बिछाने का प्रस्ताव तत्कालीन पंजाब सरकार ने रखा था।

(ख) और (ग). इस क्षेत्र में चलने वाले सुसंगठित सड़क परिवहन और वर्तमान अर्थोपाय की कठिन स्थिति को देखते हुए अभी इसके निर्माण पर विचार करना संभव नहीं है।

पुराने कपड़ा मिलों को सुव्यवस्थित करना

*714. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुदान और सहायता देकर देश में पुराने कपड़ा मिलों को सुव्यवस्थित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). ऐसी कोई योजना अभी तक तैयार नहीं की गई है।

कोयले का राष्ट्रीयकरण

*715. श्री शिव चन्द्र झा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या को, जिनमें कोयले का पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होगी, देखते हुए क्या सरकार का विचार कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण का है;

(ख) यदि हां, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब तक किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). उद्योगीकरण की बढ़ती हुई आवश्यकताओं और देश के आर्थिक पुनरुत्थान और कोयला खानों को जिनमें बहुत सी छोटी, बिखरी हुई और समाप्त होने वाली हैं अपने हाथ में लेने में बड़ी प्रशासनिक समस्याओं को देखते हुए और देश के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकरण पर विचार नहीं किया जा रहा है।

हैदराबाद में छोटे उद्योगों के लिये टूल रूम की स्थापना

*716. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि विभाग) को हैदराबाद में छोटे उद्योगों के लिये टूल रूम स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा था;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की प्रबंध परिषद ने जून, 1967 के अपने अधिवेशन में हैदराबाद में टूल रूम केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इस परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) के अंशदान के रूप में 961,500 डालर की राशि नियत की गई है जिसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यकारी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की इस सहायता से आयातित मशीनों एवं उपकरणों की लागत, विदेशी विशेषज्ञों आदि के वेतन इत्यादि पूरे किये जायेंगे। भूमि, इमारत, देशी मशीनों, विदेशी विशेषज्ञों पर देश में होने वाला व्यय, भारतीय कर्मचारियों तथा श्रमिकों पर व्यय, प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्तियों, कच्चे माल आदि की लागत जैसे अन्य व्यय भारत सरकार करेगी। भारत सरकार द्वारा लगभग 35.15 लाख रु० का अनुमानित अनावर्ती कम खर्च तथा लगभग 7.76 लाख रुपये का अनुमानित वार्षिक आवर्ती खर्च उठाया जायेगा। इस केन्द्र में एक बार के अड़तालीस विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी। तकनीकी संस्थाओं के स्नातकों को औजार, सांचे एवं ठप्पे बनाने का व्यावहारिक व सैद्धांतिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण देने वाले दो तथा तीन वर्षों के पाठ्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे जबकि कामगारों और अन्य औद्योगिक कर्मचारियों का स्तर ऊँचा उठाने के लिए अपेक्षाकृत छोटे पाठ्यक्रम संगठित किये जायेंगे। इस परियोजना का दूसरा उद्देश्य, जिसकी अवधि पांच वर्ष है, छोटे कारखानों को तकनीकी सलाह देना तथा ठप्पों, जुगाड़ों व अन्य औजारों के स्टैंडर्ड किस्म के पुर्जे बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करना है।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के कर्मचारियों द्वारा भूख-हड़ताल

*716-क. श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के मजदूरों ने 20 नवम्बर, 1967 से भूख हड़ताल कर रखी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) उनकी मांगें इस प्रकार है :

1. औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारियों को छुट्टी की समान सुविधाएं देना;
2. कार्यालय कर्मचारी वर्ग के काम के घंटों में असमानता दूर करना।
3. पदोन्नति की समान नीति अपनाना।
4. बोनस का भुगतान।
5. चिकित्सा संबंधी अग्नि सेवा और सुरक्षा कर्मचारियों के लिए निःशुल्क आवास व्यवस्था करना।

(ग) मांग 1 और 2 : इन मांगों का सारे देश पर प्रभाव पड़ेगा अतः इन पर अलग से निर्णय नहीं किया जा सकता। हां, हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड के प्रबन्धक तथा केन्द्रीय सरकार को इन मांगों की पूरी जानकारी है और सरकार उन पर विचार कर रही है।

मांग-3 इस संबंध में स्थायी आदेशों तथा कम्पनी में प्रचलित सेवा नियमों में अनिवार्य रूप से अपेक्षित व्यवस्था कर दी गई है और प्रबन्धक उन नियमों का पालन कर रहे हैं।

मांग-4 बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अनुसार पहला बोनस नवम्बर, 1968 के अन्त में दिया जायेगा और प्रबन्धकों ने भी तदनुसार कार्यवाही की है।

मांग-5 इस पर हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० के प्रबन्धकों द्वारा विचार किया जा रहा है।

कच्चे पटसन का मूल्य

*717. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे पटसन के बाजार में मूल्य 40 रुपये प्रति मन के न्यूनतम

दर से नीचे गिरते रहे हैं ;

(ख) क्या इसका कारण मुख्यता इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन की क्रय नीति के फलस्वरूप उत्पन्न हुई मंदी है ; और

(ग) बाजार को सहारा देने और पटसन उगाने वालों को भारी हानि से बचाने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). कच्चे पटसन का मूल्य पटसन का बाजार मन्दा होने के कारण कुछ समय तक न्यूनतम मूल्य से कम रहा ।

(ग) राज्य व्यापार निगम अब अधिक मात्रा में पटसन खरीद रहा है । कुछ पटसन के निर्यात की सम्भावना पर भी सरकार विचार कर रही है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्चे पटसन की खरीद

*718. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :	श्री न० कु० सांघी :
श्री म० सुदर्शनम :	श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री य० अ० प्रसाद :	श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे पटसन के मूल्यों के और अधिक गिरने से रोकने के उद्देश्य से राज्य व्यापार निगम भारी मात्रा में कच्चे पटसन की खरीद करने की योजना बना रहा है ;

(ख) क्या सरकार भारत से कच्चे पटसन का निर्यात करने की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो कच्चे पटसन का, जो वास्तव में फालतू मात्रा में नहीं है, उसके निर्यात करने की योजना के समर्थन में क्या बातें हैं ; और

(घ) क्या इस मामले में पटसन उद्योग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; यदि हां, तो ये अभ्यावेदन किस प्रकार के हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). कच्चे पटसन के न्यूनतम मूल्य के सम्बन्ध में सरकार द्वारा घोषणा किये जाने के बाद राज्य व्यापार निगम को यह अधिकार दे दिया गया था कि वह चालू फसल में न्यूनतम मूल्य बनाये रखने के लिये पटसन खरीद सकता है । तदनुसार राज्य व्यापार निगम पटसन की खरीद कर रहा है । साथ ही सरकार पटसन की उन किस्मों के सीमित निर्यात की सम्भावना पर भी विचार कर रही है जो इस फसल में अधिक पैदा हुई हैं । इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन स्वभावतः ही पटसन के निर्यात के विपरीत है क्योंकि उनका विचार है कि पटसन इतना अधिक पैदा नहीं हुआ है जो निर्यात किया जा सके ।

इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ताकि पटसन के उत्पादकों तथा पटसन मिल उद्योग दोनों ही के हितों की ठीक से रक्षा की जा सके।

भारतीय अभ्रक समवाय, बिहार

*719. श्री भोगेन्द्र झा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन माइका सप्लाय कम्पनी लिमिटेड, लक्ष्मीपुर (बिहार), तथा कुछ अन्य अभ्रक समवायों के पट्टे रद्द कर दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई 'रोक आदेश' जारी किये हैं ;

(ग) क्या उपर्युक्त 'रोक आदेश' के बावजूद पट्टे रद्द किये जाने के आदेश लागू कर दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप कम्पनी बन्द हो गई है और मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय।

(ख) हां, महोदय।

(ग) राज्य सरकार से स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

(घ) रोकने के आदेश को लागू करने के लिये राज्य सरकार को फिर लिखा गया है। संशोधन मामलों का निर्णय करने में केन्द्रीय सरकार आभास न्यायिक हैसियत से काम करती है।

राजहारा खान के कर्मचारियों की मजूरी बोर्ड द्वारा निश्चित दरों पर मजूरी का भुगतान किया जाना

*720. श्री मुहम्मद इस्माइल : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भिलाई की राजहारा खानों के खान अधीक्षक द्वारा खानों के ठेकेदारों के साथ की गई सांठगांठ का पता है, जिसके कारण वह ठेका मजदूरों को उस पूरी मजूरी की पावती पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य करता है, जो उन्हें मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मिलनी चाहिये, जबकि उन्हें वह मजूरी नहीं दी जाती ;

(ख) यदि हां, तो क्या भिलाई संयुक्त खदान मजदूर संघ ने इस कदाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है ; और

(ग) इस कदाचार को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). एक ऐसा आरोप सरकार के ध्यान में आया है।

(ग) इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिये भिलाई इस्पात संयंत्र के प्राधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ किये जाने वाले समझौतों में एक व्यापक खण्ड और जोड़ दिया है जिसके अनुसार ठेकेदारों को मजूरी बोर्ड की सिफारिशों सम्बन्धी वचनों को पूरा करना होगा। इसके अतिरिक्त ये प्राधिकारी ठेकेदारों का पर्याप्त धन जमानत के रूप में अपने पास रखते हैं जिससे मजूरी के अन्तर को पूरा किया जाता है।

उदयपुर में जस्ते की खानें

4419. श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली की कमी के कारण राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर जस्ता खान और उसके निकट देवारी जस्ता पिघलाने का कारखाना अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने में असमर्थ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यह सत्य है कि जावर क्षेत्र की सीसा-जस्ता अयस्क खानों में क्षमता अनुसार उत्पादन प्राप्त करने में देरी हुई है। इसी प्रकार जस्ता प्रद्रावक के उत्पादन शुरू करने में कुछ देरी हुई है जो अंशतः राजस्थान राज्य के बिजली बोर्ड द्वारा बिजली देने में कमी के कारण हुई। तथापि पहली दिसम्बर, 1967 से राजस्थान के बिजली बोर्ड ने सीमित अतिरिक्त बिजली दी है यद्यपि यह पूरी आवश्यकताओं से कम है।

(ख) हिन्दुस्तान जिंक लि० ने खानों तथा प्रद्रावक दोनों के लिये पर्याप्त बिजली की प्राप्ति के लिये सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क बनाया है।

छरें बनाने के कारखाने

4420. श्री श्रीनिवास मिश्र, क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में छः छरें बनाने के कारखाने स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वे किस स्थान पर स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) क्या सरकार का विचार इनको चौथी योजना की अवधि में स्थापित करने का है ;

और

(घ) इन छः कारखानों को स्थापित करने में कितना व्यय होने का अनुमान है और इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (घ). कच्चे लोहे की गुल्लिकाएं बनाने के प्लांट स्थापित करने की योजना निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत की गई है :

गोवा में

- (1) मैसर्स वी० एम० सालगावकार एण्ड ब्रदर्स (प्रा०) लिमिटेड गोवा (भारत) ।
- (2) मैसर्स सोसियेदादे डी कोमेंटो, इन्डस्ट्रीयल सार्ल, बम्बई ।
- (3) मैसर्स वी० एस० डैम्पो एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, गोवा ।

उड़ीसा में

मैसर्स एटलास ओर्स एण्ड मिनरल्स प्रा० लिमिटेड ।

मैसर्स टाटाज ने भी बिहार में अपनी नोमन्दी खानों पर गुल्लिकाएं बनाने का प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो कि एक सरकारी निकाय है, ने भी मध्य प्रदेश में बैलाडिला क्षेत्र और मैसूर में बैलारी होस्पैट क्षेत्र के कच्चे लोहे के निक्षेपों पर आधारित गुल्लिकाएं बनाने का शक्यता अध्ययन अपने हाथ में लिया है । गुल्लिकाएं बनाने के प्लांटों की अनुमानित लागत, उन पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा और उनकी वास्तविक स्थिति के विस्तारों को अभी तैयार करके अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारन्टी कारपोरेशन लिमिटेड

4421. श्री बाबूराव पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारन्टी कारपोरेशन लिमिटेड की कब स्थापना हुई, उसमें कितनी पूंजी लगाई गई और 31 मार्च, 1967 तक उसको प्रत्येक वर्ष कितना लाभ हुआ ;

(ख) इसके कार्यालयों की कितनी संख्या है तथा वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं, उनमें कुल कितने कर्मचारी नियुक्त हैं और 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में इस कारपोरेशन ने अपने कर्मचारियों और संस्थापन पर कितना वार्षिक व्यय किया ;

(ग) उक्त कारपोरेशन के प्रथम 12 पदाधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं और उनका वार्षिक वेतन और परिलब्धियां क्या हैं ;

(घ) उक्त कारपोरेशन के द्वारा अपने विभिन्न कार्यालयों के लिये तथा अपने अधिकारियों के लिये भवन खरीदने तथा वार्षिक किराये पर कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ङ) क्या मितव्ययिता करने के विचार से सरकार का विचार निकट भविष्य में संस्थापन और कर्मचारियों पर होने वाले व्यय में कटौती करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 30 जलाई, 1957 से बनाये गये एक्सपोर्ट रिस्कस् इन्वोरेन्स कारपोरेशन को 15 जनवरी, 1964 को एक्सपोर्ट

क्रेडिट एण्ड गारन्टी कारपोरेशन लिमिटेड में बदल दिया गया था। इस कारपोरेशन में शुरू में 50 लाख रुपये की पूंजी लगाई गई थी। 1965 में इसकी प्रदत्त पूंजी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई थी इसके बाद उसकी पूंजी में कोई घटत-बढ़त नहीं हुई है। कर भुगतान की व्यवस्था के पश्चात इसकी नकद आय निम्न प्रकार रही :

वर्ष	नकद आय (रुपयों में)
30 जुलाई, 1957 से 30 सितम्बर, 1958 तक	(—) 16,422
अक्टूबर 1958 से दिसम्बर 1959	2,60,117
1960	(—) 70,874
1961	2,96,798
1962	4,84,790
1963	(—) 51,232
1964	5,20,947
1965	7,69,191
1966	9,91,874

कारपोरेशन का 31-12-1966 को कुल सुरक्षित पूंजी 31,85,189 रुपये थी। 1960 से बाद में इसने कैलन्डर वर्ष के आधार पर कार्य करना शुरू कर दिया था। अतः उपरोक्त जानकारी इसी आधार पर दी गई है।

(ख) इस कारपोरेशन के चार कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली में स्थापित हैं। गत पांच वर्षों में इसमें कुल कितने कर्मचारी रहे और उस पर जितना संस्थापन खर्च हुआ, उसका व्योरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	कर्मचारियों की कुल संख्या	संस्थापन खर्च (रुपयों में)
1962	57	1,90,673
1963	70	2,20,450
1964	84	2,77,748
1965	100	3,44,501
1966	101	4,87,816

(ग) इस कारपोरेशन में केवल दो बड़े पद हैं—मैनेजिंग डाइरेक्टर तथा सेक्रेटरी। 1966 में जो व्यक्ति इन पदों पर रहे उनके नाम, उनका वेतन तथा अन्य परिलब्धियां निम्न प्रकार हैं।

नाम	पद	वेतन (रुपयों में)	परिलब्धियां (रुपयों में)
(1) डा० एस० पी० छबलानी	मैनेजिंग डाइरेक्टर (जनवरी से अक्टूबर 1966 तक)	17,905	13,616†
(2) श्री सी० एम० घोरपाड़े	मैनेजिंग डाइरेक्टर (डा० छबलानी से बाद में सितम्बर से दिसम्बर 1966 तक)	7,782	5,541†
(3) श्री बी० महता	सेक्रेटरी (जनवरी से अगस्त 1966 तक जो उससे बाद में सेवा से पृथक हो गये)	15,283	
(4) श्री सी० के० श्रीनिवासन	सेक्रेटरी (अप्रैल से दिसम्बर 1966 तक)	17,100	3,600*

(घ) गत पांच वर्षों में निगम के विभिन्न कार्यालयों के लिये जो वार्षिक किराये पर खर्च किया गया :

	1962	1963	1964 (रुपयों में)	1965	1966
बम्बई	4,942	4,942	4,942	4,942	4,942
कलकत्ता	2,640	2,640	4,401	4,752	4,752
मद्रास	570	570	3,790	5,532	6,676
दिल्ली			3,170
				1965	1966
अधिकारियों को दिया गया मकान किराया				2,230	14,149

(ङ) जी, नहीं।

† (पेन्शन, छुट्टी का वेतन अंशदान तथा किराया)

* (छुट्टी का वेतन तथा पेन्शन अंशदान)

निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम

4422. श्री बाबूराव पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम के उन अधिकारियों के नाम तथा पद क्या हैं, जो पिछले तीन वर्षों में विदेशों में भेजे गये थे और उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की थी ;

(ख) प्रत्येक मामले में इन यात्राओं के सम्बन्ध कितना में धन खर्च हुआ और इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ी ;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनके साथ उनकी पत्नी तथा बच्चे भी गये थे और इसके कारण क्या हैं ; और

(घ) इन लोगों को विदेश यात्राओं के फलस्वरूप निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम के वित्तीय या किसी अन्य प्रकार से क्या लाभ हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम के गत तीन वर्षों में निम्नलिखित अधिकारी विदेश भेजे गये :

वर्ष	अधिकारी का नाम	पद	विदेशों के नाम
1965	श्री सी० एम० घोरपाड़े	मैनेजिंग डाइरेक्टर	बेल्जियम
1966	श्री सी० के० श्री निवासन	सेक्रेटरी	ग्रीस
1967	श्री सी० एम० घोरपाड़े	मैनेजिंग डाइरेक्टर	पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन

(ख) प्रत्येक यात्रा का खर्च और अपेक्षित विदेशी मुद्रा का व्योरा वर्षवार निम्न प्रकार है :

वर्ष	यात्रा का कुल खर्च	विदेशी मुद्रा की राशि
1965	4,247 रुपये	619 रुपये
1966	3,425 रुपये	588 रुपये
1967	7,634 रुपये	2,087 रुपये

(ग) उपरोक्त किसी भी अधिकारी के साथ उसकी पत्नी अथवा बच्चे नहीं गये थे ।

(घ) यह निगम बर्न यूनियन का सदस्य है जिसमें विभिन्न देशों के ऋण रिस्क बीमा करने वालों का प्रतिनिधित्व होता है । यूनियन की बैठक में सभी सदस्य भाग लेते हैं । इन बैठकों में विचार विनिमय होता है और एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है । उपरोक्त अधिकारियों ने यूनियन की वार्षिक बैठकों में भाग लिया था । 1967 में मैनेजिंग डाइरेक्टर बर्न यूनियन की वार्षिक बैठक में भाग लेने पश्चिमी जर्मनी गया था तथा उसके बाद उसने कुछ दिन तक जर्मनी के हरम्स आर्गेनाइजेशन तथा ब्रिटेन में एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारन्टी डिपार्टमेंट के कार्य प्रणाली का अध्ययन भी किया था ।

इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन

4423. श्री बाबूराव पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड किस तारीख को स्थापित किया गया था, इसमें कितनी पूंजी लगाई गई है तथा 31 मार्च, 1967 तक इसकी प्रतिवर्ष कुल शुद्ध आय कितनी थी ;

(ख) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड के कितने और कार्यालय थे और वे किन-किन स्थानों में स्थित थे, उनमें कुल कितने कर्मचारी कार्य करते थे तथा इस निगम के कर्मचारियों तथा प्रशासन पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता था ;

(ग) इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन के 12 उच्च अधिकारियों के नाम और पते क्या हैं तथा उनका वार्षिक वेतन कितना है तथा उन्हें क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त हैं ;

(घ) इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन के विभिन्न कार्यालयों तथा इस निगम के अधिकारियों के लिए इमारतों के किराये पर वार्षिक कितना धन व्यय होता है ; और

(ङ) क्या निकट भविष्य में बचत के रूप में सरकार का विचार प्रशासनिक तथा कर्मचारियों पर होने वाले व्यय में कटौती करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2022/67]

खनन उद्योग के लिये स्वामिस्व की नयी योजना

4424. श्री बीरेन्द्र कुमार शाह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1967 के चौथे सप्ताह में, श्रीनगर में, अखिल भारतीय खनन उद्योग सलाहकार बोर्ड की एक बैठक हुई थी जिसमें उसने खनन उद्योग के लिये स्वामिस्व वसूल करने की नयी योजना के बारे में निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस नयी योजना का व्योरा क्या है और पुरानी योजना और इस योजना में कितना अन्तर है ; और

(ग) पुनरीक्षण से रबी की दरों की तुलना में संशोधित योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली स्वामिस्व की दरें क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) पहले ज्यादातर खनिज पदार्थों पर स्वामिस्व के दर खनिज पदार्थों के मुहाने के मूल्य की प्रतिशतता के रूप में निर्धारित किये जाते थे। खनिज मंत्रणा बोर्ड ने सिफारिश की कि उपरोक्त आधार पर लगाए जाने वाले स्वामिस्व के विचार को छोड़ देना चाहिये, क्योंकि यह स्वामिस्व के उठाने में काफी लचक की आशा देता है। मुहाने के मूल्य की प्रतिशतता के आधार पर निर्धारित दर काल्पनिक होते हैं और यह खनिज के चालू बाजारी विक्रय मूल्य से हस्तन, परिवहन, आदि के विभिन्न खर्चें घटा कर राज्य सरकार द्वारा निकालने होते हैं। परन्तु नई योजना के अधीन प्रवर्तशुल्क के आधार पर निश्चित दर निर्धारित किए जाएंगे।

(ग) नई योजना के अधीन लगाए जाने वाले स्वामिस्व के दर विचाराधीन हैं।

पश्चिम रेलवे में रेल दुर्घटनाएं

4425. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अक्टूबर, 1967 तक की अवधि में पश्चिम रेलवे के बड़ोदा, भावनगर और अन्य क्षेत्रों में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत सी दुर्घटनाएं उचित अधीक्षण न होने के कारण हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो दुर्घटनाओं की संख्या घटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1-1-1967 से 31-10-67 तक की अवधि में पश्चिम रेलवे पर गाड़ियों की टक्कर, गाड़ियों के पटरी से उतरने, समपार पर गाड़ियों के सड़क यातायात से टकराने और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 107 दुर्घटनाएं हुईं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में एल्यूमिनियम कारखाना

4426. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात में कोई एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) यह कारखाना कहां पर स्थापित किया जायेगा और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) इस कारखाने पर कितना व्यय होने का अनुमान है तथा इस व्यय का कितना प्रतिशत केन्द्रीय सरकार वहन करेगी तथा कितना गुजरात सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): (क) से (ग). गुजरात सरकारने अपने राज्य में एल्युमिनियम प्लांट के स्थापन में रुचि दिखाई है। चूंकि चालू योजना और पांचवी योजना के शुरू के सालों की सम्भावित मांग को पूरा करने के लिए एल्युमिनियम धातु के उत्पादन की पर्याप्त क्षमता के लिए पहले से ही लाइसेंस/मंजूरी दे दी गई है, एल्युमिनियम की मांग का विकास, संसाधनों और बिजली की वाजिब दरों पर उपलब्धि को ध्यान में रख कर उपयुक्त समय पर राज्य सरकार के प्रदावक स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इस बीच में, गुजरात के स्फोदिज निक्षेपों के आधार पर एक निर्यात हेतु एल्युमिना प्लांट स्थापित करने की शक्यता पर अध्ययन किया जा रहा है। प्लांट की क्षमता, स्थिति, लागत, वित्तीय व्यवस्था आदि के विस्तार अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

गुजरात का विमान द्वारा सर्वेक्षण

4427. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या गुजरात में विमानों के द्वारा खनिज सर्वेक्षण आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ;
- (ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) (क) और (ख). फ्रांस की सहायता से कुछ क्षेत्रों में जिसमें गुजरात के कुछ भाग भी शामिल हैं हवाई सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

- (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में कुटीर उद्योग स्थापित करने की सम्भावना

4428. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या गुजरात में कुटीर उद्योगों का और विकास करने की संभावना का पता लगाया गया है ; और
- (ख) पिछले पांच वर्षों में कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए गुजरात सरकार को कितनी सहायता दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) गुजरात में कुटीर उद्योगों के और विकास की सम्भावनाओं पर प्रति वर्ष नई वार्षिक योजना बनाते समय विचार किया जाता है।

- (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Additional Train on Jaipur-Sawai Madhopur Section.

4429. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

- (a) whether it is fact that a proposal to introduce an additional train on the Jaipur-Sawai Madhopur line is under consideration ;
- (b) if so, when it would be introduced ; and
- (c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The utilisation of the existing two pairs of trains running on the Sawai Madhopur-Jaipur Section is not such as to warrant introduction of an additional service on this section. However, some overcrowding was noticed on these trains and in order to afford relief one additional third class bogie by 17 Up/18 Dn. Expresses and two IIIrd class bogies by 205 Up/206 Dn. Fast Passengers have been put on since July, 1967.

Cotton Mills in Maharashtra

4430. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

- (a) the number and the location of cloth mills in Maharashtra and the number of permanent and temporary workers engaged therein ;
- (b) the details in regard to those mills showing loss at the end of the year and the number of those mills lying closed at present ; and
- (c) the action taken by Government to help these mills ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shati Qureshi) :

(a) to (c) : A statement is laid on the Table of the House [Placed in Library. See No. LT-2023/67].

लिपटन की पार्लियामेंट ब्रांड चाय

4431. श्री जि० ना० प्रमाणिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि संसद् भवन के चाय के स्टाल पर लिपटन की पार्लियामेंट ब्रांड चाय की बिक्री बन्द कर दी गई है ;
- (ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और
- (ग) इसकी बिक्री कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) और (ख). संसद् भवन के टी स्टाल पर लिपटन की पार्लियामेंट ब्रांड चाय की बिक्री कुछ समय के लिये बन्द कर दी गई थी, क्योंकि उक्त चाय की सप्लाई कम हो रही थी ।

(ग) 1 दिसम्बर, 1967 से उक्त चाय की बिक्री पुनः चालू कर दी गई थी ।

मध्य प्रदेश के लिये निर्यात संवर्धन परिषद्

4432. श्री गा० शं० मिश्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के लिए निर्यात संवर्धन परिषद् की उप समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के मुख्य कार्य क्या होंगे ; और

(ग) क्या यह समिति राज्य की केवल निर्यात क्षमता के बारे में विचार करेगी या इसे कोई और काम भी सौंपा जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठते ।

उद्योगों को लाइसेंस देना

4433. श्री गा० शं० मिश्र : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों को लाइसेंस देने के लिए 'लाइसेंस समिति' द्वारा विचार किये गये विषयों का व्योरा क्या है ;

(ख) क्या इण्डियन इलेक्ट्रिकल मैनुफैक्चरर एसोसिएशन ने ट्रांसफार्मर उद्योगों की क्षमता बढ़ाने पर आपत्ति की है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस विरोध के बावजूद भी सरकार ने नये लाइसेंस देने की सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरुद्दीन अली अहमद) : (क) लाइसेंस समिति योजना प्रत्येक उद्योग के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखती है और जहां लक्ष्य निर्धारित न किए गए हों वहां निर्मित वस्तुओं की अनुमानित मांग तथा दूसरी बातों जैसे क्षेत्रीय विकास, निर्यात की संभावनाएं, एकाधिकार से बचाव, लघु उद्योगों को संरक्षण तथा सहकारिता क्षेत्र को प्रोत्साहन आदि का ध्यान रखा जाता है ।

(ख) जी, हां । किन्तु भारतीय विद्युत उत्पादक संघ द्वारा ट्रांसफार्मर तथा तार उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने पर आयात करने से पहले ही इन उद्योगों को प्रतिबन्धित सूची में रखा जा चुका था ।

(ग) और (घ). 30 मार्च, 1967 को ट्रांसफार्मर बनाने के लिए एक लाइसेंस जारी किया गया था किन्तु यह लाइसेंस लाइसेंसिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर 2-2-1965 को जारी किए गए आशय-पत्र के बदले में दिया गया था । पाथपार्टी को आशय पत्र में

लगाई गई शर्तों को पूरा करने के लिए कुछ समय लगा और इसलिए लाइसेंस 30-3-67 को जारी किया गया था। विद्युत उत्पादक संघ के अभ्यावेदन प्राप्त होने के पश्चात कोई भी आशय-पत्र या लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

सिंचाई कार्यों के लिये निर्मित वस्तुओं के मूल्य

4434. श्री गा० शं० मिश्र : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गांवों में बिजली की व्यवस्था हो जाने के बाद जस्ता वाले पाइपों, रबड़ के पाइपों आदि तथा इनके सहायक उपकरणों, बाड़ लगाने के सामान, पम्पिंग सेटों तथा उनकी नियंत्रण पद्धति के सामान और उसके फालतू पुर्जों की मांग बहुत बढ़ गई है ;

(ख) क्या ये वस्तुएं औद्योगिक नगरों में बनाई जाती हैं जिसके कारण गांवों में, विशेषतः दूरस्थ क्षेत्रों में, इनके मूल्य बहुत अधिक हैं ;

(ग) ये आवश्यक वस्तुएं किसानों को सिंचाई कार्यों के लिए कम मूल्य पर तथा बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या सरकार 'कृषि' सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए एक निश्चित मात्रा में निर्धारित करने तथा समस्त भारत के लिए एक समान व्यापार नीति अपनाने के बारे में विचार कर रही है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) सिंचाई तथा खेती की सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों में काम आने वाली वस्तुओं के लिए राज सहायता देने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ; किस-किस वस्तु के लिए कितनी-कितनी राज-सहायता दी जाती है तथा प्रत्येक वस्तु के लिए पृथक-पृथक कितनी प्रतिशत राजसहायता दी जाती है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्खदीन अली अहमद): (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

दक्षिण-मध्य रेलवे को निजामाबाद जिले से वार्षिक आय

4435. श्री नारायण रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-मध्य रेलवे को आंध्र प्रदेश में निजामाबाद जिले से वर्ष 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में निम्नलिखित स्रोतों से प्रति वर्ष कितनी आय हुई (एक) यात्री यातायात (दो) माल परिवहन (तीन) अन्य आय ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : रेलवे आमदनी के आंकड़े प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के लिए अलग-अलग आमान के अनुसार रखे जाते हैं, न कि प्रत्येक राज्य या जिले के अनुसार। अतः मांगे गये ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं।

बासर रेलवे स्टेशन

4436. श्री नारायण रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काचीगंडक और मनमाड के बीच बासर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म न होने के कारण यात्रियों को प्लेटफार्म का प्रयोग करने में बड़ी कठिनाई तथा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आन्ध्र प्रदेश में आदिलाबाद जिले में बासर रेलवे स्टेशन पर बिजली का समुचित प्रबन्ध नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं। बासर रेलवे स्टेशन पर रेल पटरी के बराबर की ऊंचाई का एक प्लेटफार्म पहले से मौजूद है।

(ख) प्लेटफार्म और स्टेशन परिसरों में मिट्टी के तेल से जलने वाली बत्तियों की व्यवस्था है। स्टेशन पर बिजली नहीं है।

(ग) 1968-69 में, 10,000/- रुपये की अनुमानित लागत से पटरी की ऊंचाई वाले वर्तमान प्लेटफार्म को दरमियानी ऊंचाई वाला प्लेटफार्म बनाने का प्रस्ताव है, बशर्ते इसके लिये धन उपलब्ध हो।

चालू वर्ष में इस स्टेशन पर बिजली लगाने का भी प्रस्ताव है और बिजली की सप्लाई के लिए आंध्र प्रदेश बिजली बोर्ड को लिखा गया है।

पूर्वी यूरोप के देशों से व्यापार समझौते

4437. श्री मधु लिमये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह कहना ठीक है कि पूर्वी यूरोप के देशों से किये गये ऋण व्यापार समझौते वास्तव में रुपया भुगतान समझौते हैं ;

(ख) यदि हां, तो अवमूल्यन के पश्चात इनके पुनरीक्षण के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि करारों में समझौते के लिए आधार के रूप में रुपये की सोने से समता रखने का अनुबद्ध है और इस अनुबद्ध के कारण ही बकाया राशि का पुनर्मूल्यन करना पड़ा था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि करार का यह भाग कभी प्रकाशित नहीं किया गया अथवा पर्याप्त रूप से प्रकाशित नहीं किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अवमूल्यन के बाद व्यापार समझौतों का पुनरीक्षण नहीं किया गया है। परन्तु जिन आयात करने वालों ने समता का खंड समझौतों में सम्मिलित किया था उन्हें

57.5 प्रतिशत रुपये अधिक देने पड़ेंगे। निर्यातक भी अपने समझौतों को पूरा न कर सके क्योंकि उन्हें निर्यात शुल्क देना पड़ता था। अतः आयात तथा निर्यात के अक्रियान्वित समझौतों के पुनर्मूल्यांकन के लिये तदर्थ व्यवस्था की गई।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार समझौते

4438. श्री मधु लिमये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व यूरोपीय देशों के साथ किये गये व्यापार सम्बन्धी करारों में भुगतान की बकाया राशियों को संपरिवर्तनीय मुद्रा में निश्चित करने के बारे में विशिष्ट रूप से कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार वास्तव में 1960 से इन बकाया राशियों का संपरिवर्तित मुद्रा में निश्चय करती चली आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी धनराशि के बारे में समझौता किया गया और समझौतों के अनुसार उक्त राशि को किस मुद्रा में देने का निश्चय किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय व्यापार निगम द्वारा मशीनरी का आयात

4439. श्री बाबू राव पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकीय व्यापार निगम द्वारा कपड़ा उद्योग की मशीनरी को छोड़कर आयात की गई विभिन्न प्रकार की मशीनरी का मूल्य कितना है, जो विभिन्न गोदामों में पड़ी हुई है, और उस पर गोदामों का कितना किराया प्रतिमास दिया जाता है और उस पर प्रतिमास कितना ब्याज दिया जाता है; और

(ख) लम्बी अवधि तक ऐसी मशीनरी को बेकार रखने के क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) अपने व्यापारी साथियों की ओर से राज्य व्यापार निगम ने 6.01 लाख रुपये के मूल्य के पुर्जों तथा मशीनरी गोदामों में जमा की हुई है। भण्डारण के लिये लगभग 750 रुपये प्रतिमास खर्च किया जाता है। राज्य व्यापार निगम की रुकी हुई राशि पर ब्याज राज्य व्यापार निगम के सामान्य सेवा प्रभार के रूप में वसूल किया जाता है।

(ख) राज्य व्यापार निगम तथा उसके साथी व्यापारियों के बीच यह एक व्यापारी सौदा है और इस स्थिति में सरकार का कोई कार्यवाही करने का इरादा नहीं है। निगम के अन्य साथी भारतीय रुपये के अवमूल्यन तथा इंजीनियरी उद्योग में मंदी के कारण अपना माल नहीं बेच सके हैं। तथापि मशीनरी को बेचने के उपायों पर विचार किया जा रहा है।

बिड़ला सार्थ-समूह को लाइसेंस देना

4440. श्री भोगेन्द्र झा :

श्री कं० हाल्दा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी सरकारी विभागों से कहा गया है कि बिड़ला सार्थ-समूह की फर्मों को कोई और लाइसेंस नहीं दिया जाये;

(ख) क्या सभी सरकारी विभागों को बिड़ला सार्थ-समूह की फर्मों की एक विस्तृत सूची दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो बिड़ला सार्थ-समूह की इन फर्मों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट में कुछ फर्मों / कम्पनियों को बिड़ला समूह की कम्पनियां बताया गया है। डा० आर० के० हजारी ने योजना आयोग को प्रस्तुत किए गये अपने प्रतिवेदन "दि स्ट्रक्चर आफ दि कारपोरेट प्राइवेट सेक्टर-एस्टडी आफ कन्सेन्ट्रेशन, ओनर-शिप एण्ड कंट्रोल" में उन फर्मों/कम्पनियों की एक सूची भी दी है जिनका वर्गीकरण बिड़ला फर्मों में किया गया है। बिड़ला फर्मों की कोई भी सूची औपचारिक रूप से भारत सरकार के विभागों में नहीं बांटी गई है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के सुरक्षा अधिकारी

4441. श्री चपला कान्त भट्टाचार्य : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों को, जो सबके सब भारतीय पुलिस सेवा के संवर्ग में थे, पिछले तीन वर्षों में दुर्गापुर इस्पात कारखाने से जाना पड़ा और इनमें से अन्तिम अधिकारी 2 अक्टूबर, 1967 में इस कारखाने से गया था;

(ख) क्या इन सभी अधिकारियों को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही इस कारखाने को छोड़ना पड़ा था; और

(ग) क्या कारखाने के प्राधिकारियों ने इन अधिकारियों के सुझाव पर कोई कार्यवाही नहीं की थी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चेन्ना रेड्डी) : (क) से (ग). गत तीन वर्षों में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से भारतीय पुलिस सर्वग के केवल दो वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व ही वापिस चले आये थे। तीसरा अधिकारी 16 अक्टूबर, 1967 से अभी तक छुट्टी पर है। प्रबन्धकर्त्ताओं के साथ रिपोर्ट करने के ढंग पर मतभेद होने के कारण उक्त अधिकारी वहां से वापिस चले आये थे।

रेलगाड़ियों का देरी से चलना

4442. श्री रणधीर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने (एक) रेलगाड़ियों को देर से न चलने देने के लिये (दो) चलती हुई गाड़ियों में चोरी, डकैती तथा अन्य प्रकार के अपराध न होने देने के लिये और (तीन) रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिये पिछले छः महीनों में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (एक) रेलगाड़ियां देर से न चला करें इसके लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

- (क) सवारी ढोने वाली गाड़ियों के दिन-प्रतिदिन के चालन पर सभी स्तरों पर कड़ी निगाह रखी जाती है और इसके परिचालन पर प्रभाव डालने वाले कारणों की छानबीन की जाती है।
- (ख) जो गाड़ियां लगातार देर से चलती हैं उनके सम्बन्ध में समय-समय पर समय-पालन सम्बन्धी विशेष अभियान चलाये जाते हैं।
- (ग) ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाई की जाती है जो गाड़ियों के अनायास रोके रखने के लिये जिम्मेदार पाये जाते हैं।
- (घ) खतरे की जंजीर के बार-बार दुरुपयोग होने की घटना को कम करने के लिये प्रभावित गाड़ियों में चलने के लिए चल टिकट परीक्षकों के विशेष दस्तों और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।
- (दो) चलती गाड़ियों में चोरी, डकैती और अन्य अपराधों को रोकने के लिए उठाये गये कदम :
 1. महत्वपूर्ण गाड़ियों और प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाली गाड़ियों के साथ सरकारी रेलवे पुलिस चलती है।
 2. राज्य पुलिस रेलों पर सक्रिय रहने वाले अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखती है।
 3. गुप्त आसूचना के लिए विशेष खुफिया कर्मचारियों को तैनात किया जाता है और ऐसी आसूचना आवश्यक कार्रवाई के लिये राज्य पुलिस को भेज दी जाती है।

4. रेलों पर होने वाले अपराधों की घटनाओं के बारे में समय पर सूचना देने के लिये रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस के बीच निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा जाता है।
5. यात्रियों को जेब कतरों और दूसरे असामाजिक तत्वों से होशियार और चौकन्ना रहने की चेतावनी देने के लिये लाउड स्पीकरों और नोटिसों द्वारा ऐलान किया जाता है।
6. इस बात की हिदायत है कि रात को चलने वाली सभी गाड़ियों की प्रारम्भिक स्टेशन पर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जांच की जाये। इस जांच का उद्देश्य यह है कि ऊंचे दर्जे के डिब्बों में, विशेषकर उनमें जो महिलाओं के लिये आरक्षित होते हैं कोई व्यक्ति शौचालय में या शायिकाओं के नीचे या तह की हुई ऊपरी शायिकाओं के बीच छिपा हुआ तो नहीं है और यह जांच विशेषकर उन गाड़ियों के सम्बन्ध में की जाये जो बदनाम खण्डों पर चलती हैं।
7. लदे हुए छतदार माल डिब्बों को रिक्ट लगाकर सुरक्षित किया जाता है। जिन माल डिब्बों में मूल्यवान वस्तुएं होती हैं उन्हें, रिक्टों के अलावा एलिस पेटेंट ताले लगाकर सुरक्षित किया जाता है और जिन खण्डों पर चोरी की घटनाएं होती हैं वहां रात के समय रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारी उनके साथ चलते हैं।

(तीन) कार्य संचालन सम्बन्धी ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं जिनमें रेल कर्मचारियों द्वारा गलती करने के अवसर कम हों। रेल कर्मचारियों में संस्था की भावना जगाने के लिए संरक्षा सम्बन्धी चतुर्मुखी अभियान, जो शिक्षाप्रद, मनोवैज्ञानिक, दण्डात्मक और टेकनोलोजी से सम्बन्धित है, चलाया जा रहा है। रेल उपस्कर के अनुरक्षण में सुधार करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये आधुनिक टेकनोलोजी वाले यंत्रों की भी उत्तरोत्तर व्यवस्था की जा रही है।

मिनरल एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

4443. श्री गणेश घोष :
श्री रमानी :

श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री अब्राहम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिनरल एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों ने निगम के कार्यालय के सामने 8 नवम्बर, 1967 को प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) यूनियन ने जो मांग की थी उनकी एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रख दी गई है।
[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2024/67]

(ग) चूंकि मामले का फैसला मिनरल एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, जो एक सरकारी उपक्रम है तथा कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच होना है इस बारे में विचार-विमर्श चल रहा है, इसलिए इस स्थिति में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

स्टेनलेस स्टील के आयात के लिये फिल्म अभिनेता को दिया गया लाइसेंस

4444. श्री जार्ज फरनेन्डीज :

श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 21 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6428 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कलकत्ता के 'इंजीनियरिंग टाइम्स' के साथ इस बीच में कोई पत्र-व्यवहार किया है ताकि उस वक्तव्य की, जो उन द्वारा दिया गया बताया गया है, सत्यता का पता लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उस फिल्म अभिनेता का नाम क्या है जिसको 11 मीट्रिक टन स्टेनलेस स्टील का आयात करने का लाइसेंस जारी किया गया था और जिसका उन्होंने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया था;

(ग) यह लाइसेंस किन परिस्थितियों में जारी किया गया था;

(घ) क्या फिल्म अभिनेता ने यह आयातित इस्पात अत्यधिक मूल्य पर एक उद्योगपति को बेचा था;

(ङ) यदि हां, तो इस्पात किस मूल्य पर खरीदा गया था और किस मूल्य पर उद्योगपति को बेचा गया था; और

(च) क्या सम्बन्धित फिल्म अभिनेता के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चेन्ना रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) . आयात को उदार बनाये जाने के बारे में बात चल रही थी। मैं यह बात कह रहा था कि आयात को उदार बनाने पर उत्पादन अधिक होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा अर्थ-व्यवस्था बढ़ेगी। साथ ही मैंने कहा था कि उद्योगपतियों के अनेक साधन होते हैं और वे अपने कारखानों के लिये जैसे-तैसे कच्चा माल प्राप्त कर ही लेते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने उस शिकायत का जिक्र किया था जो मेरे से बातचीत के दौरान उस समय की गई थी जब मैं आन्ध्र प्रदेश में मंत्री था। शिकायत यह थी कि एक उद्योगपति को स्टेनलेस स्टील का कोटा

महाराष्ट्र के एक अभिनेता से अत्यधिक मूल्य पर खरीदा गया। अब मुझे उसका पूरा ब्योरा याद नहीं है। इसका जिक्र मैंने रूरकेला में उदाहरण देने के लिये अकस्मात कह दी थी तथा इस बात पर जोर दिया था कि आयात उदार किया जाना चाहिये।

कटक और पारादीप पत्तन के बीच रेलवे लाइन

4445. श्री रवि राय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन और कटक के बीच एक रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस रेलवे लाइन का निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा और कब पूरा होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अभी नहीं।

(ख) जहां तक इस परियोजना पर काम शुरू करने का सम्बन्ध है, यह मामला अभी योजना आयोग के विचाराधीन है और जल्दी ही कोई निर्णय किये जाने की सम्भावना है।

सोडा ऐश और कास्टिक सोडा का आयात

4446. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1967 से अक्टूबर, 1967 की कालावधि में लाइट सोडा ऐश, हैवी सोडा ऐश तथा कास्टिक सोडा कितने-कितने टन आयात किया गया तथा रुपयों में उसका कितना-कितना मूल्य है; और

(ख) इन रसायनों में से प्रत्येक रसायन कितनी मात्रा में निर्यात के प्रोत्साहन के रूप में तथा सीधे रूप में आयात किया गया था तथा वह कितने-कितने मूल्य का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) सोडा ऐश तथा कास्टिक सोडा की विभिन्न किस्मों का जनवरी, 1967 से अगस्त, 1967 तक जितना आयात किया गया, उसका विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2025/67] अगस्त, 1967 के बाद के आयात सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष के आयात सम्बन्धी आंकड़े वस्तु एवं देश के आधार पर रखे जाते हैं तथा प्रोत्साहन के रूप में आयात एवं सीधे आयात के आधार पर नहीं।

Training of Chartered Accountants

4447. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up any institution through which a test may be held to select candidates for training in firms of Chartered Accountants ; and

(b) if not, the steps proposed to be taken to prevent irregularities committed by these firms in the matter of training under the present system ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) Since no irregularities have come to the notice of the Government, the question does not arise.

Railway Workshop, Kota

4448. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Works Manager and A. P. O. of Railway Workshop at Kota have been chargesheeted and transferred from there on the charge of corrupt practices in the selection of Chageman ; and

(b) whether the selections made by the aforesaid Officers have been cancelled and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The Works Manager of the Railway Workshop, Kota and the A. P. O. have been transferred in the normal course. It is not a fact that these transfers have any connection with the case of alleged corrupt practices in the selection of chagemen, because the case is still under process.

(b) Does not arise because, as explained above, the case is still in investigation stage.

लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा बकाया धनराशि की वसूली

4449. **श्री दामानी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यापार संस्थानों से बकाया धनराशि की वसूली किये जाने के बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) बकाया धनराशि में कमी करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-2026/67]

(ख) बढ़ते हुए बकाया धन की राशि को कम करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(एक) अगस्त, 1965 में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया था जिसमें कलकत्ते के उप वित्त सलाहकार तथा लोहा तथा इस्पात नियंत्रण के मूल्य और लेखा अधिकारी सदस्य थे। इस समिति को यह अधिकार दिया गया था कि वह छूट आदि दे और आयातकों के मामलों को तय करे।

- (दो) सरकारी राशि बसूल करने लिये जिन ठेकों में पंचाट का खंड है उनमें पंच फैसला कराया जाये तथा अन्य मामलों में अदालती कार्यवाही की जाये।
- (तीन) 13-11-1967 से एक कानूनी सलाहकार की नियुक्ति कर ली गई है जो लोहा तथा इस्पात नियंत्रक को सलाह देगा तथा मामलों को शीघ्र समाप्त कराने में सहायता देगा।
- (चार) एक विभागीय समिति लोक-लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाई गई है। उसके द्वारा सरकारी धन को बसूल करने सम्बन्धी सुझावों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की चीनी मिलें

4450. श्री भोगेन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के प्रबन्धक अपने पांच चीनी मिलों को बेचने की योजना बना रहे हैं;

(ख) क्या ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन में सरकार और जीवन बीमा निगम के भी बड़े शेयर हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें अपने हाथ में लेने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के पास कोई चीनी मिल नहीं है। इसके कुछ शेयर, दो अन्य कम्पनियों में हैं, जिनके अपने पास छः चीनी फैक्टरियां हैं। कम्पनी ने कथित दोनों कम्पनियों के अपने हिस्से बेच दिये हैं।

(ख) जीवन बीमा निगम तथा सरकार के, ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के इक्विटी शेयरों में क्रमशः 16.67 तथा 22.21 प्रतिशत शेयर हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

Import of Soyabean

4451. **Shri Shashibhusan Bajpai** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the quantity of Soyabean being imported from U. S. A. annually ;

(b) the total quantity of Soyabean imported this year ; and

(c) the average increase or decrease in the quantity of Soyabean imported during the past five years and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :
 (a) and (b) : Total quantity of Soyabean imported from U. S. A. during 1962-63 to 1967-68 (upto August, 1967) is given below :—

Year	Quantity in tonnes
1962-63	512
1963-64	153
1964-65	579
1965-66	—
1966-67	—
1967-68 (upto August, 1967)	—

(c) The import of soyabean is totally banned. The above imports were made as gifts under Central Aid Relief Everywhere (CARE).

Running of Additional Bogies and Wagons.

4452. **Shri Baswant :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether his Ministry propose to attach more bogies and wagons to existing trains to cope with the increasing passenger and goods traffic ; and

(b) if so, the lines on which it would be done as an experimental measure ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha). (a) and (b) : It is the policy to increase the number of passenger coaches/goods wagons by passenger/goods trains (existing as well as those which may be introduced in future), consistent with the mode of traction, hauling capacity of locomotives, nature of terrain, etc., to make the best possible use of available resources.

Increase in the number of bogies/wagons by existing passenger/goods trains will not be done as an experimental measure but necessary investigations will be made before deciding on the extent to which such increase can be effected.

Death of Driver of 432 UP Virar Local Train

4453. **Shri Baswant :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the driver of 432 UP Virar Local Suburban Railway Train of Western Railway died on the 30th June, 1967 in a running train ;

(b) if so, whether it is also a fact that according to the Jury's verdict his death was due to murder ;

(c) whether any precautionary measures have been adopted to avoid such incidents ;

(d) whether any compensation has been paid to the family of the deceased ; and

(e) if so, the amount thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. However the No. of Up train was 462 and not 432.

(b) According to the coroner's jury, the motorman died as a result of "a fracture of skull bones damaging the brain substance due to an injury inflicted by a person or persons unknown."

(c) No precautionary measures can be taken in such isolated cases. Where however the situation warrants, armed escorts are provided.

(d) and (e). In addition to Rs. 500/- paid to the dependents of the deceased as ex-gratia payment, a sum of Rs. 10,000/- has been sanctioned as compensation payable to them under the Workmen's Compensation Act and arrangements are being made to deposit the same with the Commissioner for workmen's Compensation, Bombay.

विदेशी सहयोग के लिए आवेदन पत्र

4454. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 के प्रथम 6 महीनों में विदेशी सहयोग के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और जिन देशों से आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं उनके नाम क्या हैं;

(ख) इस अवधि में कितने आवेदन-पत्रों पर मंजूरी दी गई है, ऐसे मामले में स्वीकृत सहयोग का स्वरूप क्या है और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि लगाई जायेगी;

(ग) इन मामलों में कितनी भारतीय और विदेशी पूंजी लगाई जायेगी; और

(घ) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में क्रमशः कितने मामलों में सहयोग लिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्यमंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) विदेशी सहयोग के प्रस्ताव उन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त किए जाते हैं जो उस वस्तु के उत्पादन से सम्बन्धित हैं; न कि प्रमुख रूप से औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय द्वारा। इसलिए कुल प्राप्त प्रस्तावों की संख्या के बारे में जानकारी इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग). अप्रैल, 1967 से पहले या उसके पश्चात प्राप्त प्रस्तावों में से अप्रैल, 1967 से सितम्बर, 1967 की अवधि में विदेशी सहयोग के 89 मामलों की अनुमति दी गई थी। इनमें से 28 मामलों में वित्तीय साझेदारी भी सम्मिलित है। इन संयुक्त उद्योगों में कुल कितनी धनराशि लगेगी इसकी जानकारी भी स्थापना हो जाने के पश्चात ही प्राप्त हो सकेगी।

(घ) इन 89 मामलों में से 4 मामले सरकारी क्षेत्र में तथा शेष 85 गैर सरकारी क्षेत्र के हैं।

कांडला पत्तन स्टेशन

4456. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन अब वर्तमान मीटरगेज लाइन के द्वारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, मध्य प्रदेश तथा आसाम से भी जुड़ा हुआ है;

- (ख) यदि हां, तो कांडला को एक "पत्तन स्टेशन" न बनाने के क्या कारण हैं;
- (ग) क्या कांडला से किये जाने वाले निर्यात पर माल के भाड़े में वही रियायत दी जाती है जो बम्बई और कलकत्ता पत्तनों से निर्यात किये जाने वाले माल के भाड़े में दी जाती है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे-मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे में निर्दिष्ट स्टेशनों को "पत्तन स्टेशन" घोषित करने की कोई प्रक्रिया या व्यवस्था नहीं है । जिस रेलवे स्टेशन से किसी पत्तन के लिए यातायात होता है, उसे आम बोलचाल में "पत्तन स्टेशन" कहा जाता है । अतः कांडला को "पत्तन स्टेशन" कहने का सवाल नहीं उठता ।

(ग) निर्दिष्ट माल और निर्दिष्ट संचलनों के भाड़े में रियायतें घोषित की जाती हैं और इनका ब्योरा रियायत सम्बन्धी प्रत्येक घोषणा में दे दिया जाता है । बम्बई और कलकत्ता के रास्ते होने वाले निर्यात यातायात के लिए जो रियायती भाड़ा दरें निर्धारित की गई हैं उनमें से कुछ कांडला के रास्ते होने वाले निर्यात यातायात के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन सब नहीं । कांडला के रास्ते होने वाले निर्यात यातायात के लिए कुछ रियायती दरें उपलब्ध हैं जो बम्बई या कलकत्ते के रास्ते होने वाले निर्यात यातायात के लिए उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) भाग (ग) के उत्तर में जो कुछ कहा गया है, उसे देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के उत्पादन की दिशा बदलने का प्रभाव

4457. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट रांची और कोल माइनिंग मशीन बिल्डिंग प्लांट दुर्गापुर में उत्पादन की दिशा बदलने से इन कारखानों को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिलेगी जबकि समूचा उद्योग समूह मंदी की समस्या का सामना कर रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि रूसी विशेषज्ञों के अनुसार उपर्युक्त कारखानों के परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय भारतीय मजदूरों की जितनी उत्पादकता का अनुमान लगाया गया था, उसकी तुलना में उनकी उत्पादन क्षमता 30 प्रतिशत कम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कारखानों को सुचारु रूप से चलाने के लिये रूसी अधिकारियों ने क्या सुझाव दिये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) आशा यही है ।

(ख) सोवियत विशेषज्ञों के मत के अनुसार रांची के औद्योगिक मजदूरों की उत्पादन क्षमता का जितना अनुमान लगाया गया था उसकी लगभग 30 प्रतिशत है ।

(ग) इसमें सुधार करने के कोई विशेष सुझाव नहीं दिये गये हैं। एक सोवियत विशेषज्ञ दल को भारत आने का निमंत्रण दिया गया है जो इन सभी समस्याओं की गहराई से अध्ययन करेगा और कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिये उपयुक्त उपाय सुझायेगा।

Pak-China Trade

4458. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a trade agreement has been signed between Pakistan and China under which the trade between the two countries would be carried out through Pak-occupied Kashmir ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) and (b) : According to a statement issued by the Press Information Department of the Government of Pakistan, China and Pakistan signed an Agreement in Islamabad on October 21, 1967, to reopen the old Caravan route between Gilgit and Sinkiang for facilitating over and trade. The Agreement has not been published. Government are carefully watching the development and will take such measures as may be considered necessary.

Import of Jute from Pakistan

4459. **Shri Raghuvir Singh Shastri** :

Shri B. N. Shastri :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a steep fall in the prices of jute in Pakistan ;

(b) whether it is also a fact that the Indian Jute Mills Association has made a request to Government to import jute from Pakistan ; and

(c) if so, the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No definite information is available beyond the fact that Pakistan has withdrawn the export duty on raw jute.

(b) Yes, Sir.

(c) The qualitative and quantitative balance sheet of jute availability and requirements is being analysed to determine the policy for import and export of jute.

Lead, Zinc and Silver Mines near Udaipur

4460. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the Hindustan Zinc Ltd., has submitted any scheme to the Central Government in regard to the exploitation of lead, zinc and silver mines at Jawar, about 25 miles away from Udaipur.

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the decision taken by Government in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi): (a) to (c). The development and exploitation of the lead-zinc ore mines at Zawar has been undertaken by the Hindustan Zinc Ltd. for production of 2,000 tonnes of ore per day to support a zinc metal production of 18,000 tonnes per annum. This mines production is expected to be realised during early 1970. The revised project estimates submitted by the Hindustan Zinc Ltd. in this respect are under the consideration of the Government. The estimated cost for development and exploitation of the mines is Rs. 702.47 lakhs. There is no separate silver mines at Zawar, but silver is obtained as a by-product in the production of lead metal from the ore drawn from Zawar mines. Hindustan Zinc Ltd. is also drawing up a scheme for further development of the Zawar lead ore deposits with a view to exploit the full potential of the deposits in this area and to increase metal production beyond 18,000 tonnes per annum. The scheme, which is expected to be received by the Government shortly, will be considered for necessary sanction.

बिजली का सामान बनाने के लिये सिंगापुर में कारखाने की स्थापना

4461. श्री स० च० सामान्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की एक सार्थसिंगापुर में फ्लोरेसेन्ट ट्यूब तथा उसका सामान और अन्य बिजली का सामान बनाने के लिये एक कारखाना स्थापित करने में सहयोग करेगा;

(ख) यदि हां, तो उस कारखाने की प्रदत्त पूंजी क्या होगी और उसमें भारतीय अंश कितना होगा;

(ग) क्या इस उपक्रम के लिये आवश्यक मशीनरी तथा सामान भारत द्वारा सप्लाई किया जायेगा; और

(घ) क्या परियोजना को स्थापित करने तथा चलाने के लिये भारतीय सहयोगी को आवश्यक तकनीकी जानकारों की व्यवस्था करनी होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (घ). भारत सरकार ने बम्बई की एक फर्म को इस बात की अनुमति दी है कि वह सिंगापुर में फ्लोरेसेन्ट ट्यूब तथा अन्य बिजली का सामान बनाने वाले एक कारखाने की स्थापना में सहयोग कर सकती है। इस फर्म की प्रस्तावित पूंजी 2,50,000 मलेशियाई डालर है जिसमें से बम्बई की फर्म का हिस्सा 29,000 मलेशियाई डालर तक सीमित रहेगा। भारतीय मशीनरी, डाइयों तथा जिगो के निर्यात से तथा उसके लिये अपेक्षित तकनीकी जानकारी देने से प्राप्त राशि को इस परियोजना में लगाया जायेगा।

बूल-पैक का निर्यात

4462. श्री स० च० सामान्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने हाल ही में संश्लिष्ट बूल-पैक का विकास किया है और वह ऑस्ट्रेलिया के बाजार में हमारे देश से प्रतियोगिता कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पटसन उद्योग के उन्नत वूल-पैक के बारे में अनुसन्धान कार्य से इस स्थिति को कहां तक सुलझाया जा सकेगा;

(ग) जापान के प्लास्टिक वूल-पैक के मूल्य की तुलना में भारत के पटसन के बने और उन्नत वूल-पैक का मूल्य क्या है;

(घ) क्या यह सच है हमारा वूल-पैक हल्का है और देखने में चमकीला है; और

(ङ) इस वर्ष आस्ट्रेलिया को कितने वूल-पैक का निर्यात किया जाना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) आस्ट्रेलिया के बाजार में एक विकसित ऊन 'वूल-पैक' आई है । आस्ट्रेलिया से मिली खबरों के अनुसार वहां इस ऊन का स्वागत किया गया है ।

(ग) पटसन मिश्रित यह नई ऊन कुछ सस्ती है ।

(घ) ऊन की यह किस्म देखने में भी अच्छी है और वजन में भी हल्की है ।

(ङ) इस वर्ष आस्ट्रेलिया को इन ऊन के एक लाख भार भेजे गये हैं । 1968 के पूर्वार्ध इसके में एक लाख और अददों के भेजे जाने की सम्भावना है ।

हल्के और भारी वाहनों पर से मूल्य नियंत्रण को हटाना

4463. श्री स० च० सामन्त : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्के और भारी व्यापारी वाहनों के, जिनमें जीपें शामिल हैं, निर्माताओं द्वारा उनकी विक्री की जाने पर लगे हुए नियंत्रण को ढीला कर देने का क्या परिणाम हुआ है और इसके परिणामस्वरूप यदि कोई लाभ हुआ है, तो क्या;

(ख) क्या ये वाहन अब बाजार में अधिक सुगमता से मिलने लगे हैं अथवा इनकी तंगी हो गई है; और

(ग) तीन पहियों वाले स्कूटरों की स्थिति में कब सुधार होने की सम्भावना है, जिसमें कि उनकी विक्री आदि पर भी नियंत्रण हटाया जा सके ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्खीन अली अहमद) : (क) व्यावसायिक गाड़ियों और जीपों का सम्भरण सुलभ हो जाने के कारण ही ऐसी हर प्रकार की गाड़ियों के वितरण से नियंत्रण हटा लिया जाना उचित समझा गया था ।

यह नियंत्रण हटा दिये जाने से कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं दिखाई दिये हैं बल्कि इससे उत्पादकों तथा वितरणों को इनकी मांग पूरी करने में भी कुछ छूट मिली है ।

(ख) इन गाड़ियों का सम्भरण अब भी सुलभ है ।

(ग) तीन पहियों वाली गाड़ियों का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन चूंकि इस प्रकार की गाड़ियों के का उत्पादन अब भी मांग से बहुत कम है इसलिए इस प्रकार की गाड़ियों के वितरण से नियन्त्रण हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रूसी टायरों की कमी

4464. श्री मयाबन :

श्री कंवरलाल गुप्त :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी टायरों की कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यद्यपि प्रति टायर का निर्धारित मूल्य 900 रुपये है किन्तु चोर बाजारी में प्रति टायर 2,000 रुपये की दर पर बिक रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। सरकार को रूसी ट्रेक्टरों के टायरों की कमी के बारे में शिकायतें मिली हैं।

(ख) मंत्रालय को ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

(ग) खेती में काम आने वाले रूसी ट्रेक्टरों के देश में चार एजेंट हैं। मांग को ध्यान में रखते हुए रूसी ट्रेक्टरों के टायरों और ट्यूबों के आयात की व्यवस्था राज्य व्यापार निगम द्वारा की जा रही है।

लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद् द्वारा की गई सिफारिशें

4465. श्री मयाबन :

श्री श्रीनिवास मिश्र :

श्री मणिभाई जे० पटेल :

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद् द्वारा 22 नवम्बर, 1967 को अपनी बैठक में क्या-क्या सिफारिशें की गयीं; और

(ख) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) और (ख) 22 नवम्बर, 1967 को लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद् की स्थायी समिति की जो बैठक हुई थी उसमें एक उप-समिति को नियुक्त कर दिया गया था और वह अब इस्पात के मूल्य निर्धारण, इस्पात के वितरण तथा संयुक्त संयंत्र समिति के भविष्य में कार्य संचालन के बारे में जांच कर रही है।

इस बैठक में स्थायी समिति ने निम्नलिखित सिफारिशों की थीं :

- (एक) मार्ग में हुई हानि की समस्याओं के सम्बन्ध में लोह तथा इस्पात का सचिव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से बात करे ।
- (दो) इस्पात निर्यातक संघ को निर्यात संवर्धन परिषद में बदल दिया जाये ।
- (तीन) तकनीकी समिति द्वारा रि-रोलिंग क्षमता के बारे में की गई सिफारिश के बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाये और उस सम्बन्ध में एक अधिकृत संकल्प जारी किया जाये ।

उपरोक्त सिफारिशों के बारे में सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

Use of Low-Grade Brown Coal

4466. **Shri Shashibhushan Bajpai**: Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

- (a) whether Government are drawing up a scheme for using low-grade brown coal for the production of fertilizers or for using it for any other purpose; and
- (b) if so, the details thereof?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Price of Beer

4467. **Shri Shashibhushan Bajpai**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

- (a) the reasons for which the price of beer in India is the highest as compared to other countries;
- (b) whether the quality of beer available in India is better than that available in other countries; and
- (c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) Main factors for high prices are presumably State Excise Duties and cost of raw materials. There is no price control on beer.

(b) Government have no information.

(c) Does not arise.

New Licences for Manufacture of Beer

4468. **Shri Shashibhushan Bajpai**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

- (a) the number of beer manufacturing units which have been given new licences;

(b) whether these licences are being issued in collaboration with some foreign assistance ;
and

(c) whether any such new licence has been issued in Madhya Pradesh also ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Only one unit has been licensed under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

Consumption of Liquor

4469. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state ;

(a) the increase per year in liquor consumption in India during the last five years ; and

(b) the quantity of liquor sold during the two months of the last general election in comparison to its average sale per month ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b). Government of India have no information.

Textile Mills in M. P.

4470. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many textile mills in Madhya Pradesh are facing financial crisis and many of the mills are likely to close down ;

(b) whether Madhya Pradesh Government have requested the Central Government to provide special financial assistance to the textile mills ; and

(c) if so, the action Government propose to take in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Production-cum-training Centres in M. P.

4471. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number and details of production-cum-training centres opened in Madhya Pradesh under the National Small Scale Industries Corporation ; and

(b) if the centres have not been opened, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The National Small Industries Corporation Ltd. has not set up any production-cum-training centre in Madhya Pradesh.

(b) The existing three Prototype Production and Training Centres located at Rajkot, Delhi and Howrah cater to the needs of training of artisans drawn from all over the country. Prototype Production and Training Centres are being set up in India with collaboration offered by foreign countries. The proposal is to set up one such Centre in each State. As and when offers of collaboration are received from foreign countries in future the location of one such Centre in Madhya Pradesh also will be duly considered.

Over/Under Bridges in Madhya Pradesh

4473. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct over-bridges, under-bridges and overbridges for pedestrians at level crossings in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the names of the places and complete details in respect thereof ; and

(c) the estimated cost of construction of the bridges of various categories mentioned above?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) It is presumed that reference is to the construction of road over/under-bridges and foot over-bridges in replacement of level crossings. If so, yes.

(b) and (c) Statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2027/67]

Remodelling of Timarni Station (C. Rly.)

4474. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is proposed to remodel the Timarni Railway Station on the Central Railway in order to meet the requirements on account of traffic and expanding timber trade ; and

(b) if so, the date by which this work is likely to be completed ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Since it has not been possible to include this work in the Works Programme upto 1968-69, on account of financial stringency, the probable date by which the work is likely to be completed, cannot be indicated. The work is now proposed to be included in the Works Programme for 1969-70 subject, however, to availability of funds during that year.

कागज और गत्ते की फैल्ट

4475. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज और गत्ते के फैल्ट बनाने सम्बन्धी ब्रिटिश फर्म के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटिश फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई योजना का व्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) इंगलैंड की मैसर्स पोरिट्स एण्ड स्पेन्सर लिमिटेड, बरी, लंकाशायर ने विभिन्न किस्म के कागज तथा गत्ते के फैल्ट बनाने वाले 42.1 लाख पौण्ड प्रतिवर्ष की क्षमता वाले कारखाने को लगाने के लिये औद्योगिक लाइसेंस मांगा था। प्रतिवर्ष लगभग 200 लाख रुपये का ऐसा माल आयात किया जाता है। साम्य हिस्सों के इस प्रस्ताव को ब्रिटिश फर्म ने सिद्धान्ततः मान लिया था तथा उसके नाम आशय-पत्र (लैटर आफ इन्टेन्ट) जारी कर दिया गया था। प्रस्ताव में वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग के बारे में यह व्यवस्था थी कि ब्रिटिश फर्म किसी भारतीय कम्पनी के सहयोग से कारखाना स्थापित करेगी। ब्रिटिश फर्म ने विदेशी सहयोग, मशीनरी के आयात तथा पूंजी सम्बन्धी जो शर्तें भेजी हैं, उन पर अभी तक विचार किया जा रहा है।

Railway Catering Department

4476. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

- (a) Whether the catering department of Railways is running at a profit or at a loss ;
- (b) if it is running at a loss, the total loss per year during the last 3 years ; and
- (c) whether Government propose to entrust catering arrangements to certain private contractors in view of the loss, so as to make the working of the catering department profitable ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). During the years 1964-65 and 1965-66 departmental catering incurred losses but during 1966-67 a profit is anticipated. The figures of profit/loss on departmental catering for the years 1964-65 to 1966-67 are as under :—

Year	Profit (+) Loss (—)
	(Figures in thousands)
1964-65	Rs. (—) 3,14
1965-66	Rs. (—) 6,60
1966-67	Rs. (+) 1,20 Unaudited figure.

(c) A high level Committee of Members of Parliament (with Minister of State for Railways as Chairman) is looking into all aspects of departmental and contract catering and the report of the Committee is awaited.

राजस्थान में तांबा पिघलाने का कारखाना

4477. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

श्री य० अ० प्रसाद :

श्री न० कु० सांघी :

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में तांबा पिघलाने का एक कारखाना लगाने के लिए सरकार ने एक फ्रांसीसी समवाय-समूह के साथ करार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समवायों को इस कारखाने के डिजाइन तैयार करने तथा निर्माण का कार्य सौंप दिया गया है; और

(ग) क्या इस कारखाने के लिए कोई विदेशी ऋण प्राप्त हुआ है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). खेतरी तांबा परियोजना के विकास के लिए फ्रेंच कंजोरटियम क्रेडिट के अधीन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० जो एक सरकारी निकाय है, ने प्लांट की प्राप्ति उपकरण और इंजीनियरी सेवाओं के लिए मैसर्स विनोटपिक एन्सा और अन्य फ्रान्सीसी कम्पनियों के समूह के साथ एक समझौता किया है। फ्रान्सीसी समूह परियोजना के लिए संकेन्द्रक, प्रद्रावक (स्फुर प्रद्रावण विधा के सिवाय) और परिष्करणी के आकल्प, ड्राईंग और विष्टिताएँ भी प्रदान करेगा। फ्रान्सीसी प्रविधिज्ञों की समस्त देख रेख के अधीन हिन्दुस्तानी इंजीनियरों द्वारा प्लांट का निर्माण तथा स्थापन किया जायगा।

(ग) परियोजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का ज्यादातर भाग अमरीका के निर्यात आयात बैंक के ऋण तथा फ्रेंच कंजोरटियम क्रेडिट से प्राप्त किया गया है।

राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश के खनिज संसाधनों का विकास

4478. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

श्री न० कु० सांघी

श्री य० अ० प्रसाद :

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और आंध्र प्रदेश के खनिज संसाधनों और खनिजों पर आधारित उद्योगों के विकास करने के लिये 1967-68 में केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी सहायता दी जायेगी; और

(ख) प्रत्येक उद्योग को कितनी-कितनी सहायता दी जायगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) राजस्थान और आंध्र प्रदेश में खनिज संसाधनों और खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योगों के लिए 1967-68 में दी जाने के लिये कोई सीधी केन्द्रीय सहायता निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जापान के साथ व्यापार

4479. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उप-प्रधान मंत्री ने अपनी जापान यात्रा के दौरान जापान के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि जापान सरकार ने आश्वासन दिया है कि अर्द्ध निर्मित भारतीय माल के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्था किये गये करार का ब्योरा क्या है।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग). उप-प्रधान मंत्री की जापान यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सद्भावना का बढ़ाना था। जापान के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने के प्रश्न पर तो सामान्य रूप से चर्चा की गई थी।

इस यात्रा के दौरान जापान सरकार ने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया था कि अर्द्ध निर्मित भारतीय माल को प्राथमिकता दी जायेगी। तथापि, विकासशील देशों के व्यापार को प्राथमिकता देने के प्रश्न पर कुछ विकसित देशों द्वारा विचार किया जा रहा है और उनमें जापान भी है।

सीमेंट का मूल्य

4481. श्री मरंडी :

श्री स० च० बेसरा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार देश में सीमेंट का मूल्य बढ़ाने के लिये सहमत नहीं हुई है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या यह सच है कि सरकार लाभांश पर से रोक हटाने के विरुद्ध है; और
- (घ) यदि हां, तो उद्योग के विस्तार के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिर करने के लिए बड़ी आतुर है और इसलिए उसने इस उद्योग को सलाह दी है कि वह वर्तमान रेल तक निष्प्रभार मूल्यों के भीतर सीमेंट के वितरण की व्यवस्था करने में सभी सम्भव बचत करने की कोशिश करे।

(ग) जी, हां।

(घ) उद्योग के विस्तार के लिए नीचे लिखे पग उठाए गये हैं :

(1) विकास सम्बन्धी छूट 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक बढ़ा दी गयी थी।

(2) 1964-65 के आधार वर्ष के उत्पादन से अधिक उत्पादन पर 25 प्रतिशत उत्पादन शुल्क के हिसाब से पांच वर्ष की अवधि में कर ऋण प्रमाणपत्रों की घोषणा की गयी।

(3) इसी प्रकार आधार वर्ष के हिसाब से आयकर एवं अधिकर के 20 प्रतिशत अतिरिक्त दायित्व के लिए पांच वर्ष की अवधि के कर ऋण प्रमाणपत्रों की घोषणा की गयी।

(4) (क) 1 जनवरी, 1966 से सीमेंट के मूल्य एवं वितरण पर कानूनी नियंत्रण हटा लिया गया था।

- (ख) मूल्य की दृष्टि से विकास की सुविधाएँ प्रदान करने के लिये सरकार इस उद्योग के 16 रुपये प्रति टन सीमेंट का मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव से सहमत हो गयी किन्तु साथ ही उसने यह शर्त लगा दी है कि इस मूल्य वृद्धि से प्राप्त आय की वह एक पृथक निधि बनायेगा और केवल विस्तार कार्यों के लिए ही उसमें से धन निकालेगा।
- (5) लाभांश 1966 के पूर्व के स्तर पर स्थिर कर दिया गया है ताकि मूल्य वृद्धि के कारण उद्योग को होने वाली अतिरिक्त आय का इस्तेमाल केवल विस्तार कार्यों के लिए ही किया जा सके।
- (6) 13 मई, 1966 से सीमेण्ट उद्योग को उत्पादन-क्षमता स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेन्स लेना आवश्यक नहीं रह गया है।
- (7) वित्त संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सीमेण्ट उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में रख दिया गया है।
- (8) सीमेण्ट का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र में सीमेण्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया की स्थापना भी कर दी गयी है।

राजस्थान के वैमानिक सर्वेक्षण का कार्य स्थगित किया जाना

4482. श्री मरंडी :

श्री स० च० बेसरा :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि अलौह धातुओं के निक्षेपों का पता लगाने के लिए राजस्थान के क्षेत्रों का वैमानिक सर्वेक्षण करने का कार्य स्थगित कर दिया है;
- (ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है; और
- (ग) क्या इससे कोई विदेशी सहायता ली गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). राजस्थान में हवाई सर्वेक्षण 4-12-1967 को शुरू हो गए हैं।

(ग) कार्य एक अमरीकी संस्था द्वारा ठेके के आधार पर किया जा रहा है। कार्यक्रम की विदेशी मुद्रा की लागत यू०एस०ए०आई०डी० के 3.5 मिलियन डालर के ऋण में से चुकाई जा रही है।

श्री लंका तथा अन्य देशों को कोयले की सप्लाई

4483. श्री मरण्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से भारतीय कोयला सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा कितना कोयला सप्लाई करने का विचार है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ अन्य देशों ने कोयला सप्लाई करने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उन देशों को कोयला सप्लाई करने की स्थिति में है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) और (ख). श्रीलंका सरकार ने दिसम्बर, 1967 से नवम्बर, 1968 के दौरान कोयला सप्लाई करने के लिये विश्व से टेन्डर आमंत्रित किये थे। इसका ठेका एम० एम० टी० सी० को प्राप्त हुआ है जो इस अवधि के दौरान 1,60,000 टन 'ए' श्रेणी का बढ़िया किस्म का स्टीम कोयला सप्लाई करेगी।

(ग) और (घ). बर्मा संघ की मयानमा निर्यात आयात व्यापार निगम ने भी 1968 के दौरान विश्व से कोयला और कोक सप्लाई करने के टेन्डर आमंत्रित किये हैं। इस मामले में भी इस वर्ष की अवधि के लिये एम० एम० टी० सी० को लगभग 3 लाख टन कोयला/कोक सप्लाई करने के टेन्डर दिये गये हैं। इसके अलावा कुछ कोयला जापान और हांगकांग को भी निर्यात करने की सम्भावना है।

खनिज स्वामिस्व की दरों का पुनरीक्षण

4484 : श्री मरण्डी :

श्री स० च० बेसरा :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वर्तमान खनिज स्वामिस्व दरों में संशोधन करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) हां, महोदय।

(ख) और (ग). और बातों के साथ साथ, उसके कारण ये हैं कि खनिजों के मूल्य बढ़ गए हैं, राज्य सरकारों को राजस्व की शकल में अपना वाजबी भाग प्राप्त करने का और विभिन्न विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए खनिज पदार्थ जो कि उनकी अपनी मुख्य सम्पत्ति है, से अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने का अधिकार है। विषय के महत्व को और अन्य राज्य सरकारों तथा खनिज उद्योग से प्राप्त प्रतिनिवेदनों को ध्यान में रख कर सरकार ने बड़े-बड़े खनिज पदार्थों

पर राजस्व के प्रश्न की सब पहलुओं से जांच करने के लिए एक अध्ययन मंडल का गठन किया। अध्ययन मंडल की सिफारिशों और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

नेशनल इन्स्ट्रूमेंट लिमिटेड द्वारा बुड ब्लैक के बक्सों की खरीद

4485. श्री प्रेम चन्द्र वर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल इन्स्ट्रूमेंट लिमिटेड द्वारा लन्दन की एक फर्म से बुड ब्लैक के 32757 बक्से खरीद किये गये थे और निपटान तथा पूर्ति विभाग के महानिदेशक द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि बक्स आर्डर विनिर्देशों के अनुसार है परन्तु कम्पनी ने इनको रद्द कर दिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि 1966 में यह घोषणा की गई थी कि 19129 ब्लैक काम के नहीं थे और केवल 2795 ब्लैकों से ही लाभ उठाया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले को 8 वर्ष तक लम्बित रखने के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं जिस कारण इतनी अधिक हानि हुई ; और

(घ) क्या कोई जांच कराई गई और जिम्मेदारी नियत की गई थी और यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). दि नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०, कलकत्ता से सुनिश्चित किया गया है कि भूतपूर्व नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स कारखाने ने जब वह विभागीय स्तर पर चलाया जा रहा था, 1966 में पूर्ति तथा निपटान महा निदेशालय को 21760 रुपये के मूल्य के 32,757 बक्स बनाने में काम आने वाले लकड़ी के ब्लैकों का आर्डर दिया था। इस खरीद की व्यवस्था इण्डिया सप्लाय मिशन, लन्दन द्वारा नीदरलैंड की एक फर्म से की गई थी, माल 1959 में प्राप्त हुआ था। प्राप्त होते ही उसके निरीक्षण से पता चला कि 32,757 बक्सों में से मानकों में ढिलाई करने पर भी केवल 13,565 ही बक्स स्वीकार किये जा सकते हैं और शेष 19,192 सीधे ही रद्द कर दिये गये थे जिनका मूल्य 12,749 रुपये था। 13,565 में से जिनका मूल्य 9011 रुपये था, 1,856 रुपये के मूल्य के 2,795 का ही उपयुक्त इस्तेमाल किया गया था। शेष 10,770 बक्स जिनका मूल्य 7,155 रु० था, सिझाने और अन्तिम निरीक्षण के लिये स्टॉक में रोक लिए गये थे जिससे उनका उपयुक्त इस्तेमाल किया जा सके। जून, 1967 में कम्पनी को निरीक्षण करने पर पता लगा कि ब्लैक टेढ़े होते जा रहे हैं और इसलिए इस्तेमाल के योग्य नहीं रहे। इन परिस्थितियों में 29,962 (19192-10770) ब्लैकों का इस्तेमाल नहीं किया जा सका। इस प्रकार इस सौदे पर 19,904 रुपये का व्यय निष्फल रहा। केन्द्रीय सरकार के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (व्यापारिक) 1967 में इस बारे में एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस मामले की आगे जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

4486. श्री प्रेम चन्द्र वर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने 1959 में एक फर्म के लिए इम्प्रेशन इन्जेक्शन मोल्ड के लिये आर्डर दिया था और यह मोल्ड दिसम्बर, 1966 तक वहां पर बेकार पड़ा रहा ;

(ख) क्या यह सच है कि निगम ने उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार मोल्ड के विनिर्देशों में संशोधन नहीं किया और गलत विनिर्देशों को मोल्ड आयात किया गया जिसको फर्म ने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया ;

(ग) क्या मोल्ड की लागत के अतिरिक्त उस पर 48,125 रुपए अधिक व्यय किए गये थे ; और

(घ) क्या नीलामी में उसकी बोली 55 रुपए से अधिक नहीं बढ़ी और यदि हां, तो क्या इस हानि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने पार्टी से स्पष्ट रूप से मंजूरी लेने के बाद ही विदेशी फर्म को बैटनफील्ड बी० एस० एम० 20 एस० डब्ल्यू० इन्जेक्शन मोल्डर में काम आने वाले 1 5/8 इंच वाले रिफ्लेक्टर के लिए एक इम्प्रेशन इन्जेक्शन मोल्ड के आयात के लिए आर्डर दिया था ; जिस मोल्ड के लिए आर्डर दिया गया था निगम को वह ठीक तरह से प्राप्त हो गया किन्तु पार्टी ने उसको लेने से इनकार कर दिया जिससे वह मोल्ड अब भी निगम के स्टॉक में पड़ा हुआ है ।

(ख) मोल्ड भेजने वाली फर्म ने निगम को मोल्ड के अन्तिम रेखा चित्र भेजे थे जिसमें उसने छोटे मोटे सुधार किए थे । इनकी सूचना आवेदकों को भेज दी गयी थी और उनसे कहा गया था कि वे सीधे ही फर्म से इस सम्बन्ध में बातचीत कर लें । आवेदकों ने फर्म को अपने विचार समय पर नहीं भेजे । वस्तुतः इस बीच आवेदकों ने अपना विचार बदल दिया था और 2 कैविटी मोल्ड की अपेक्षा जिसको फर्म पहले ही बना चुका था, वे बी० एस० एम० 40 मशीनों में लगाने के लिए '4' इम्प्रेशन (कैविटी) मोल्ड चाहते थे ।

पार्टी ने अन्तिम रूप से जिस मोल्ड को चुना था उसके अनुसार ही विदेशी फर्म को मोल्ड के लिए आर्डर दिया गया था । उचित समय पर विदेशी फर्म के हिसाब में उधार-पत्र भी खोल दिया गया किन्तु क्योंकि पार्टी ने अपना विचार बदल दिया था और वह मोल्ड के विशिष्ट विवरण को पूरी तरह से बदलवाना चाहती थी तथा क्योंकि उसने समय पर ऐसा नहीं किया अतः निगम अपेक्षित संशोधन की सूचना फर्म को नहीं भेज सका ।

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने मोल्ड की लागत के अतिरिक्त और कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया है ।

(घ) मोल्ड की नीलामी की गई थी और यह ठीक है कि 55 रु० की बोली लगायी गयी किन्तु यह संभवतः इस कारण हुआ कि वहां पर ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो उस विशेष प्रकार के सांचे के असली मूल्य को जानती हो। मोल्ड पर बनाये जाने वाले रिफ्लेक्टरों की आवश्यकता बाइसिकिल निर्माताओं को होती है और निगम इस मोल्ड को अधिक से अधिक मूल्य पर बेचने का प्रयत्न कर रहा है। निगम यह पता लगाने के लिए इस मामले की पूरी तरह से जांच कर रहा है कि कहीं किसी से कोई गफलत तो नहीं हुई है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की क्षमता तथा उसका उत्पादन

4487. श्री प्रेम चन्द्र वर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स 2 की निर्धारित क्षमता 8,000 टन वार्षिक है ;

(ख) क्या इन दोनों कारखानों में वर्ष 1963-64 तथा 1965-66 में उत्पादन क्रमशः 3673 टन और 4486 टन हुआ था जो निर्धारित क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत होता है ;

(ग) यदि हां, तो इतना कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं और क्या इस सम्बन्ध में किसी विशेषज्ञ की सलाह ली गई थी और क्या उत्पादन में वृद्धि करने के कोई उपाय किये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के मशीनें बनाने वाले कारखानों की निर्धारित क्षमता का निर्धारण औजारों की संख्या के रूप में किया जाता है न कि कारखानों के हिसाब से। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कारखाना टू-न० 1 तथा न० 2 में से प्रत्येक की निर्धारित क्षमता 1,000 औजार प्रति वर्ष है जिनका मूल्य लगभग 5 करोड़ रुपये होता है।

(ख) 1963-64 में इन दोनों का इकट्ठा वास्तविक उत्पादन 1983 औजार था जिनका मूल्य 923 लाख रुपये था जब कि 1965-66 में यह उत्पादन 1512 मशीनें था जिसका मूल्य 817.15 लाख रुपये था।

(ग) और (घ). 1965-66 में उत्पादन में कमी का कारण उनकी मांग अत्यधिक गिर जाने से आर्डरों का अभाव था। इसके लिए किसी विशेषज्ञ के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये कम्पनी ने उत्पादन में विविधता लाने तथा देश और विदेशों में बिक्री बढ़ाने आदि के लिये कदम उठाये हैं। उनका विचार दो सहायक कम्पनियों में छापेखाने की मशीनों आदि का उत्पादन प्रारम्भ करने का है जो इसी काम के लिए लगाए जा रहे हैं। इन प्रयत्नों के परिणाम अभी महसूस नहीं हुए हैं।

Price of Cars

4488. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a car which is available in foreign countries at a price of Rs. 5,000 is sold in India for Rs. 21,000; and

(b) if so, the reasons therefor and whether Government are making arrangements for the purchase of cheap cars from abroad?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) and (b). Though the prices of indigenous cars are relatively high as compared to those of similar models in foreign countries, Government are not aware of the availability of any car abroad priced at Rs. 5,000/- which is being sold in India at Rs. 21,000/-.

The prices of indigenous cars are high due to the relatively low volume of production, higher cost of imported and indigenous components and raw materials and higher incidence of taxation.

There is no proposal under the consideration of Government to import cheap cars from abroad.

सीमेंट का उत्पादन

4489. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सीमेंट उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय और कितनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का विचार है ;

और

(ग) नए उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किये गये उपायों का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां ।

(ख) ऐसी सुविनियोजित योजनाओं के वर्तमान संकेतों के अनुसार जिनके लिए मशीनों के आर्डर दिये जा चुके हैं, उत्पादन क्षमता वर्तमान 132 लाख मी० टन की उत्पादन क्षमता से बढ़कर 1969 में 192 लाख मी० टन तक हो जायगी ।

(ग) 1-1-1966 से नियंत्रण उठा लिए जाने के समय उद्योग को सीमेंट के मूल्य में 16 रुपये प्रति मी० टन की वृद्धि इन निदेशों पर दी गई थी कि इससे प्राप्त होने वाली धन राशि विस्तार के लिए सुरक्षित खाते में जमा की जायगी और इसका प्रयोग केवल विस्तार के कामों के लिए ही किया जायगा । सीमेंट बनाने की सारी ही मशीनें अब देश में ही उपलब्ध हैं । वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए सीमेंट उद्योग एक प्राथमिकता प्राप्त उद्योग है । 1964-65 के उत्पादन स्तर से अधिक उत्पादन पर उत्पादन शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी गई है ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

4490. श्री न० कु० साल्वे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1964, 1965, 1966 और 1967 में राज्यवार खानों से कितना मैंगनीज अयस्क निकाला गया ; और

(ख) इसी अवधि में वर्षवार कितने तथा कितने मूल्य के मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) और (ख). दो विवरण जिनमें आवश्यक जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रख दिये गये हैं [पुस्तकालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०-2028/67]

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

4491. श्री न० कु० साल्वे : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड ने 1964 से 1967 तक कितने मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : 1964 से 1967 के वर्षों के दौरान मैंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड द्वारा विदेशों को भेजी गई मैंगनीज इस प्रकार थी :

1964 : 163,237 टन

1965 : 178,375 टन

1966 : 169,245 टन

1967 : 132,585 टन

(आज तक)

जहाजों से भेजे जाने के लिये बन्दरगाहों में पड़ा मैंगनीज अयस्क का स्टाक

4492. श्री न० कु० साल्वे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न बन्दरगाहों में मैंगनीज अयस्क का ऐसा कितना स्टाक पड़ा है, जो जहाजों में भेजा नहीं जा सका है तथा वह कब से वहां पड़ा है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : दिसम्बर, 1967 को विभिन्न पत्तनों में लगभग 1,49,000 टन मैंगनीज अयस्क का स्टाक ऐसा पड़ा था, जो जहाजों में भेजा नहीं जा सका। इसमें से ज्यादातर स्टाक बन्दरगाहों को पिछले छैः महीनों में भेजा जा चुका था। वे स्टाक उन खरीदारों को जहाज पर लदाने के लिये दिए गए हैं जिनके जहाजों के चुनने की प्रतीक्षा की जा रही है। खरीदारों का स्वेज नहर के बन्द हो जाने के कारण जहाजों के चुनने में कठिनाई हो रही है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा खान मालिकों को दिया गया ऋण

4493. श्री न० कु० साल्वे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने जनवरी, 1967 से अक्टूबर, 1967 तक खान मालिकों को कितना ऋण दिया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : जनवरी, 1967 से अक्टूबर, 1967 तक खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने विभिन्न खान मालिकों को 23.83 लाख रुपये का ऋण दिया ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

4495. श्री न० कु० साल्वे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के इस समय मैंगनीज अयस्क के लिए विदेशी क्रेताओं के साथ कोई विक्रय करार हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन करारों के अन्तर्गत मैंगनीज अयस्क की कितनी मात्रा का तथा किस किस के मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया जायेगा और यह निर्यात कब तक किया जायेगा ; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इसका ब्योरा देना खनिज तथा धातु व्यापार निगम, जो एक वाणिज्य संघ है, के हित में नहीं है ।

दिल्ली में उद्योग

4496. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने उद्योग हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि लोगों को नये उद्योग स्थापित करने तथा वर्तमान उद्योगों का विस्तार करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकार को कारखानों के मालिकों तथा उद्योगपतियों से उनकी कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी इक्ठ्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली से निकटवर्ती स्टेशनों को बिजली से चलने वाली गाड़ियां

4497. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से निकटवर्ती स्टेशनों को बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) सरकार का विचार दिल्ली में 'सब वे' कब तक चालू कर देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) दिल्ली से समीपवर्ती स्टेशनों के लिए बिजली गाड़ी चलाने का अभी कोई विचार नहीं है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय भूमिगत रेलवे से है । अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(घ) फिलहाल रेलें भूमिगत रेलवे जैसी अन्तर्नगरीय यात्रा की सुविधाओं की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं हैं । इसकी जिम्मेवारी नागरिक प्रशासन और/या राज्य सरकार पर है ।

कोयम्बतूर सयलुगोलम-सोमराज नगर के बीच रेलवे लाइन का बिछाया जाना

4498. श्री नम्बियार :

श्री रमानी :

श्री चक्रपाणि :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बतूर, सयलुगोलम और सोमराज नगर के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने के लिये सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने निकट भविष्य में इस रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य शुरू करने का निर्णय किया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). चामराजनगर और कोयम्बतूर के बीच सत्यमंगलम के रास्ते एक मीटर लाइन बनाने के लिए 1948-49 में प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये गये थे । 164 किलोमीटर लम्बी इस लाइन पर 4.18 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया था । इस प्रस्ताव को वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं समझा गया ।

(ग) जी नहीं ।

उत्तर रेलवे अस्पताल, दिल्ली

4499. श्री नम्बियार :

श्री नायनार :

श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री एस्थोस :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 अक्टूबर, 1967 को रेलवे की सतर्कता शाखा द्वारा दिल्ली में क्वीन्स रोड स्थित उत्तर रेलवे के अस्पताल में छापा मार कर सामान पकड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो उसमें कितनी प्रगति हुई है ;

(ङ) निष्पक्ष जांच कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(च) यह जांच कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). 7 अक्टूबर, 1967 को कोई छापा नहीं मारा गया। लेकिन रेलवे बोर्ड के चौकसी निदेशालय द्वारा एक बार 7 सितम्बर, 1967 को और दूसरी बार 29 नवम्बर, 1967 को अचानक जांच की गयी थी। चूंकि जांच का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आगे का व्योरा अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी हां। जांच की जा रही है।

(घ) जांच अभी जारी है।

(ङ) रेलवे बोर्ड के चौकसी निदेशालय द्वारा निष्पक्ष ढंग से जांच की जा रही है।

(च) अभी निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि जांच सम्भवतः कब तक पूरी हो जायेगी।

Indian Tractor Factories in Foreign Countries

4500. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of tractors being manufactured are not sufficient to meet the demand for tractors in India ;

(b) if so, the reasons for granting the permission to a Faridabad firm to instal a tractor factory in Ghana (Africa) ; and

(c) whether Government propose to instal tractor factories in other backward and developing countries in future and to stop expansion of tractor factories in the country itself ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) No Indian firm has been granted permission to instal a tractor factory in Ghana

(Africa). M/s. Escorts International Faridabad have, however, been granted approval by the Ministry of Commerce to establish, with local collaboration, a joint venture at Accra (Ghana) for the manufacture of animal and tractor drawn agricultural implements, besides other items such as wire nails, galvanized buckets, head pans, screws, nuts, bolts, woven wire mesh for fencing, welded iron and steel pipes.

(c) Government have no such proposals under consideration.

Rail-Road Competition

4501. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railways are continuously losing in the rail-road competition and they have approached the Central Government to curtail the power of the State Governments and to take over issuing of permits for buses plying on inter-State routes in their own hands and reduce their number so that the people are forced to travel by trains only; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) The railways are not continuously losing in rail-road competition. Even though road transport has been expanding, passenger traffic by rail has been steadily going up.

It has been suggested to the Ministry of Transport that the Inter-State Transport Commission be given the power to grant, revoke or suspend inter-State permits, as provided for in the Motor Vehicles Act, 1939, but it is not the intention to either withdraw the powers at present enjoyed by the State Governments or reduce the number of permits issued so that people would be forced to travel by trains.

(b) The question as regards the powers of the Inter-State Transport Commission is under examination.

Clash at Sahibabad Railway Station

4502. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 56 persons were injured in an encounter between milk-vendors and students at Sahibabad Railway Station near Ghaziabad as reported in Hindustan, dated 20-8-67 ;

(b) if so, the cause of the encounter ;

(c) the action taken by Government in regard thereto ; and

(d) the details of the loss of property sustained as a result thereof?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes, but only 13 persons sustained injuries.

(b) It was alleged that on 18-8-67, some students forcibly took away milk from milk containers owned by milk vendors. This resulted in an altercation between the milk vendors and students, leading to hurling of stones on either side, causing minor injuries to both the parties. The incident developed into a major happening on 19-8-67, when the milk vendors travelling

by 2 ATD (Delhi-Tundla-Agra Passenger) assaulted two students at Sahibabad Railway station in retaliation of the previous day's occurrence. When some students tried to rescue their fellow students, they were assaulted by the milk vendors, causing serious injuries to students.

(c) The matter was immediately reported by the Assistant Station Master, Sahibabad, to the Government Railway Police, Ghaziabad. A case on crime No. 193 u/s 147/148 Cr. P. C. and 323/324 IPC was registered by the Government Railway Police, Ghaziabad, and is still under police investigation.

(d) No loss of property has been reported as a result of this encounter.

Goods Train accidents between Saidraja and Karamnasa Stations

4503. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a goods train met with an accident between Saidraja and Karamnasa Railway Stations at a distance of 42 kilometres from Howrah as reported in "Hindustan", dated the 21st August, 1967 ;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) the loss of life and property sustained as a result thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The accident occurred on 20.8.1967.

(b) According to the finding of the enquiry committee, the wagon marshalled 11th from the train engine derailed due to the breakage of spring of its trailing bogie and the 12th and 13th wagons derailed in consequence.

(c) There was no loss of life or injury to any one. The cost of damage to Railway property was estimated at Rs. 30,000/-.

भारतीय उद्योग के लिए रूसी सहायता

4504. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके हाल ही के मास्को के दौरे के दौरान चौथी पंचवर्षीय योजना की कालावधि में भारतीय औद्योगिक विकास के लिए रूसी सहायता के सम्बन्ध में रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) रूस द्वारा वस्तुएं खरीदने से भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग में चल रही वर्तमान मन्दी की स्थिति को कितनी राहत मिलेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). दौरे के दौरान इंजीनियरी क्षेत्र में भारत में रूस की सहायता से स्थापित सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित प्रश्नों पर बातचीत की गई थी। यह बातचीत चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत के औद्योगिक विकास के लिए अतिरिक्त रूसी सहायता से सम्बन्धित नहीं थी।

(ग) इन उपक्रमों की क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने के लिए यह सुझाव दिया गया था कि रूस उनकी सहायता से स्थापित उपक्रमों के उत्पादों को अपनी तथा तीसरे अन्य देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खरीदे। इस सुझाव की जांच की जा रही है।

पटसन की वस्तुओं का निर्यात

4505. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की वस्तुओं के निर्यात की प्रवृत्ति में हाल ही में कोई सुधार हुआ है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार गैर-सरकारी निर्यातकों की आपत्तियों के बावजूद राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात व्यापार में हस्तक्षेप करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रही है ; और

(ग) पटसन की वस्तुओं की फालतू भण्डार योजना के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य व्यापार निगम पटसन की वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन दे रहा है और देता रहेगा।

(ग) स्टेट बैंक आफ इंडिया की सलाह से पटसन की वस्तुओं के फालतू भण्डार को क्रय करने को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

दिल्ली में गाड़ियों के लिए परिवहन प्रणाली

4506. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था ने दिल्ली में सड़क एवं रेलवे फाटकों से मुक्त भूमि पर, भूमिगत तथा ऊपरी गाड़ियों को बड़े पैमाने पर तेज रफ्तार से परिवहन की एक सुव्यवस्थित प्रणाली का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या इस सुझाव की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो अनुमोदित योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाच्चा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

माल परिवहन सेवा

4507. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने माल परिवहन सेवा को सुप्रवाही बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). उत्तर रेलवे ने माल सेवा को सुप्रवाही बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठये हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

(i) डीजल और बिजली के इंजनों को चलाना । उनका विस्तार करना ।

(ii) ट्रंक मार्गों पर सुपर एक्सप्रेस माल गाड़ियां चलाना ।

(iii) कंटेनर सेवा शुरू करना ।

(iv) दिल्ली क्षेत्र में माल परिहार लाइनों की व्यवस्था करना ; सिगनल व्यवस्था आदि के आधुनिकीकरण सहित वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाना ।

इन सब उपायों से माल यातायात के परिवहन को सुप्रवाही बनाने में सहायता मिली है ।

उत्तर रेलवे पर क्रमबद्ध कार्य विश्लेषण

4508. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक मितव्ययिता अभियान के रूप में रेलवे बोर्ड के कहने पर उत्तर रेलवे ने कार्य का एक क्रमबद्ध विश्लेषण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और कितने वरिष्ठ पदों को कम करने की सिफारिश की गई है ; और

(ग) सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस तरह का कोई कार्य-विश्लेषण नहीं किया गया था लेकिन खर्च में कमी करने के उद्देश्य से सभी विभागों के संवर्गों की समीक्षा की गई थी ।

(ख) और (ग). संवर्ग की समीक्षा और समंजन एक निरंतर प्रक्रिया है । पिछले नौ महीनों में 15 राजपत्रित पदों को छोड़ दिया गया ।

बिहार, उड़ीसा और राजस्थान में लघु उद्योगों का विकास

4509. श्री हिम्मतसिंहका : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 नवम्बर, 1967 के 'दि स्टेट्समैन' समाचारपत्र में प्रकाशित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि बिहार, उड़ीसा तथा राजस्थान उन राज्यों में से हैं जहां निरन्तर रहने वाली दुर्भिक्ष की स्थिति के कारण लघु उद्योगों का विकास बहुत कम गति से हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो देश भर में उद्योगों का समान विकास करने की दृष्टि से, इन राज्यों में लघु उद्योगों का तेजी से विकास करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा क्या-क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) बताया गया है कि नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन के अध्यक्ष ने कहा है कि उड़ीसा, बिहार तथा राजस्थान ऐसे राज्यों में से हैं जहां लघु उद्योगों का विकास धीमा रहा है। यह राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत मशीनों की खरीद के आंकड़ों पर आधारित है क्योंकि इन राज्यों ने अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मद्रास, पश्चिमी बंगाल तथा दिल्ली की भांति इस योजना का लाभ नहीं उठाया है।

(ख) इन राज्यों में सघन आन्दोलन चलाए गए थे जिनमें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, केन्द्रीय लघु उद्योग संस्थान तथा राज्यों के औद्योगिक निदेशकों ने भाग लिया था जिससे यहां औद्योगिक विकास तथा लघु उद्योग क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का वातावरण तैयार किया जा सके। इन आन्दोलनों में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने किराया-खरीद के आधार पर 436 लाख रुपये (राजस्थान 60 लाख रुपये, उड़ीसा 123 लाख रुपये तथा बिहार 253 लाख रुपये) की मशीनों के सम्भरण के आवेदन स्वीकार किये थे।

मध्य रेलवे के स्टेशनों पर माल बुक करने की सुविधायें

4510. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के सोनतलाई, शोभापुर, बकंज, जुनेहटा, करपगांव, कथोटिया और घाटपिंडरी स्टेशनों पर माल बुक करने की सुविधायें प्रदान करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इनमें से किन्हीं अथवा सभी स्टेशनों को यात्री यातायात के लिये बन्द किया जा रहा है ; यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाच्चा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी तक इस सुविधा के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है और आस पास के स्टेशनों पर माल बुक करने की सुविधायें पहले से ही मौजूद हैं।

(घ) 7 स्टेशनों में से केवल 5 स्टेशन, अर्थात् सोनतलाई, शोभापुर, करपगांव, कथोटिया और घाटपिंडरी यात्री-यातायात के लिए खुले हैं और उनमें से किसी को बन्द करने का विचार नहीं है। बकंज और जुनेहटा पार-स्टेशन हैं और अभी उन्हें यात्री-यातायात के लिये नहीं खोला गया है।

केरल में उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र

4511. श्री नायनार : श्री चक्रपाणि :
श्री अ० क० गोपालन : श्री अनिरुधन :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) केरल तथा अन्य राज्यों में उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है ;
(ख) क्या सरकार को केरल राज्य में एक नया उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;
(ग) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर क्या निर्णय लिया गया है ; और
(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) भारत में इस समय तीन आद्यरूप उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र हैं जोकि राजकोट, दिल्ली तथा हावड़ा में स्थित हैं। केरल में कोई भी आद्यरूप उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है।

(ख) जी, हां। केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि केरल में विदेशी सहयोग से एक आद्यरूप उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना शीघ्र की जा सकती है।

(ग) केरल सरकार को सूचित कर दिया गया है कि ऐसा एक केन्द्र प्रत्येक राज्य में स्थापित किये जाने का विचार है जब भी विदेशों से सहयोग का कोई प्रस्ताव आता है तो उसके सब पहलुओं से विचार किया जाता है जिनमें प्रस्तावित केन्द्रों को स्थापित करने का स्थान भी सम्मिलित है। जब भी किसी देश से सहयोग का कोई और प्रस्ताव आयेगा तो केरल में इस प्रकार के केन्द्र की स्थापना के दावे पर भी विचार किया जायेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Allotment of Scooters

4512. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state the number of persons who were allotted Lambretta and Vespa scooters from Central Government quota during the last ten years ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed); Allotment of Lambretta and Vespa scooters from the Central Government quota is being made since September, 1960 only. Since then, approximately 22,250 persons have been allotted scooters of these makes out of the Central Government quota.

New H. M. T. Plants

4513. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7253 on the 28th July, 1967 and state :

(a) the names of States where machine tool plants were proposed to be set up as a part of

the expansion scheme of the Hindustan Machine Tools Ltd. ; and

(b) the names of States in which these proposals have been dropped ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) : According to the original programme Hindustan Machine Tools Limited, were to expand their existing factories at Pinjore (Haryana), Kalamassery (Kerala) and Hyderabad (Andhra Pradesh) and also set up two new units—one each in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. All the schemes have been deferred.

Import of T. V. Sets

4514. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5005 on the 7th July, 1967 and state :

(a) whether in view of the foreign exchange difficulties Government propose to stop the import of television sets and their spare parts ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) and (b). Government do not propose to import any television sets during April, 1967-March, 1968. In the past only *ad hoc* imports of TV sets have been allowed and that too without any free foreign exchange expenditure.

Essential spare parts will, however, be allowed to be imported, if required, for maintaining the television sets which have already been imported into India.

Import of Drilling Rigs

4515. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether in view of the food problem of the country, Government propose to issue liberally import licences for drilling rigs and spare parts of tube-wells ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) and (b) : There is no import policy for drilling rigs and spare parts of tube-wells, but requests from State Governments and other organisations for foreign exchange releases for importing drilling rigs and spare parts for tube-wells are dealt with on merits subject to indigenous availability.

आन्ध्र प्रदेश में हथकरघे के कपड़े की बिक्री पर उपभोक्ताओं को छूट

4516. श्री पें० वेंकटसुब्बया :

श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1 जून, 1967 से बुनकर सहकारी समितियों द्वारा हथकरघे के कपड़े की बिक्री पर उपभोक्ताओं को छूट देने की योजना स्थापित की हुई है ;

(ख) क्या उन्हें आन्ध्र हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, विजयवाड़ा से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से बातचीत की जा रही है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

आन्ध्र प्रदेश में अपेक्स तथा प्राइमरी बुनकर सहकारी समितियों को छूट की बकाया राशि

4517. श्री पें० बेंकटासुब्बया :

श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार को आंध्र प्रदेश में अपेक्स तथा प्राइमरी बुनकर सहकारी समितियों को छूट की बकाया राशि के रूप में 65 लाख रुपये से अधिक राशि अदा करनी है; और

(ख) यदि हां, तो अपेक्स तथा प्राइमरी बुनकर सहकारी समितियों को तुरन्त छूट की देय राशि का भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(1) 1968-69 की योजना पर चर्चा के समय राज्य सरकार ने दावों का आंशिक भुगतान करने के लिये 48 लाख रुपये की व्यवस्था की है ।

(2) राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह तीसरी योजना की अवधि के दौरान और दूसरी योजनाओं जैसे नारियल की जटा, रेशम इत्यादि पर होने वाले वास्तविक व्यय की सूचना दें ताकि इन शीर्षकों के अन्तर्गत अनुदानों के दिये जाने और हथकरघा को और सहायता देने की सम्भावना का अध्ययन किया जा सके ।

रुई के आयात पर वसूल किया गया प्रीमियम

4518. श्री पें० बेंकटासुब्बया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन, बम्बई ने पत्री वर्ष 1966 के दौरान रुई के

आयात पर कितना प्रीमियम वसूल किया;

(ख) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश हथकरघा बुनकर सहकारी संस्था, विजयवाडा की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है, जिसमें सरकार से प्रार्थना की गई है कि इस आयातित रुई से काते गये धागे के आधार पर इकट्ठे किये गये प्रीमियम का कुछ भाग अलग रख दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) (क) 4,89,28,813 रुपये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा के कपड़े का जमा हो जाना

4519. श्री पं० वेंकटसुब्बया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आन्ध्र हैण्डलूम वीवर्ज कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, विजयवाडा से आन्ध्र प्रदेश में शीर्ष तथा मूल बुनकर समितियों दोनों में कपड़े के भारी भण्डार जमा हो जाने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार से 1 जनवरी, 1968 से 15 जनवरी, 1968 तक (पोंगल के कारण) विशेष छूट देने के लिये प्रार्थना की गई है ताकि जमा कपड़े का कम से कम कुछ भाग तो बिक सके; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि आंध्र हैण्डलूम वीवर्ज कोआपरेटिव सोसायटी के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाना चाहिये और आने वाले पोंगल के त्यौहार पर छूट देने के लिये शीघ्र आदेश दिये जाने चाहिये ।

हथकरघे के लिये रंगीन साड़ियों का उत्पादन

4520. श्री पं० वेंकटसुब्बया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आन्ध्र हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, विजयवाडा से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उनके मंत्रालय के 2 जून, 1966 के संकल्प को, जिसके द्वारा रंगे सूत तथा रंगे कपड़े की रंगीन साड़ियों का उत्पादन हथकरघों के लिये आरक्षित किया गया है, पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) अभ्यावेदन में लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है ।

सीमेंट के मूल्य के लिये नया फार्मूला

4521. डा० रानेन सेन : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट निर्माताओं को साधारण मूल्य के भुगतान के बारे में वर्तमान करार इस वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जायेगा;

(ख) क्या आगामी वर्ष के लिये कोई नया मूल्य फार्मूला तैयार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). वर्तमान विनियंत्रण संबंधी व्यवस्था जिसके द्वारा उद्योग ने गन्तव्य स्थान तक समान एफ० ओ० आर० मूल्य तथा कारखाने से चलते समय के तीन विभिन्न मूल्य रखने के लिये सहमति दी थी, 31 दिसम्बर, 1967 तक समाप्त होने वाली है । भविष्य में अपनाई जाने वाली नीति पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

सीमेंट के भंडारों का जमा होना

4522. डा० रानेन सेन : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट बनाने वालों के पास न बिके सीमेंट के भारी स्टॉक जमा हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) जमा भण्डारों को बेचने के लिये उद्योग की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

रुरकेला से पुरी तक सीधे एक्सप्रेस गाड़ी का चलाया जाना

4523. श्री रवि राय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की जनता की ओर से रुरकेला से पुरी तक सीधे एक्सप्रेस गाड़ी चलाने

या कुछ बोगियों वाली गाड़ी चलाने की बार-बार मांग की जाती रही है और क्या इस संबंध में रूरकेला की रेलवे प्रयोक्ता समिति की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) राउरकेला और पुरी के बीच सीधे यातायात के मूल्यांकन से पता चला है कि इन दोनों स्टेशनों के बीच सीधे जाने वाले यात्रियों की दैनिक औसत संख्या इतनी कम है कि इन दोनों स्टेशनों के बीच एक सीधा सवारी डिब्बा चलाने की व्यवस्था करने का भी औचित्य नहीं बनता, एक सीधी गाड़ी चलाने की बात तो दूर रही ।

स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर

4524. श्री रवि राय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के अखिल भारतीय सम्मेलन के पदधारियों से, उनकी वेतन वृद्धि के संबंध में एक ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उन मांगों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस अमान्यता-प्राप्त खण्डीय संगठन से उनकी सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन मिलते रहते हैं ।

(ख) इन मांगों में अन्य बातों के साथ-साथ उनके वेतन-मानों में संशोधन करने की मांग भी शामिल है ।

(ग) इस समय इस कोटि के कर्मचारियों के लिए वे ही वेतन-मान लागू हैं जिनकी सिफारिश दूसरे वेतन आयोग ने की थी और बाद में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों दोनों के वेतन-मानों के प्रारम्भिक ग्रेडों में इनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि के कारण काफी सुधार कर दिया गया था । इस समय इनमें और सुधार करना सम्भव नहीं समझा जाता ।

पूर्वी यूरोप के देशों को निर्यात

4525. श्री मधु लिमये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पूर्वी यूरोप के कुछ देशों द्वारा हमारे देश से राजकीय व्यापार निगम के माध्यम से अथवा अन्य प्रकार से सस्ती दरों पर खरीदे गये भारतीय कपड़े का पुनर्निर्यात ऊंची दरों पर पश्चिम यूरोप के देशों में, जो हमारी परम्परागत मंडियां हैं, किया जाता है;

(ख) क्या भारत के विदेशों में स्थित दूतावास के किसी भारतीय राजनयिक कपड़ा प्रतिनिधि ने इसके बारे में सरकार को सूचना भेजी है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) सरकार का ध्यान इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि पूर्वी यूरोप के कुछ देशों द्वारा भारतीय कपड़ों को खरीदकर पश्चिमी यूरोप के देशों में जो हमारी परम्परागत मंडियां हैं पुनर्निर्यात किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि ये खरीद पूर्वी यूरोप के देशों द्वारा सस्ती दर पर की जाती है। इस आरोप की भी पुष्टि नहीं हुई है कि इस प्रकार के कपड़े पश्चिमी यूरोप के देशों में बेचे जाते हैं। अतः उन कपड़ों का पश्चिमी यूरोप के देशों में उंची दर पर बेचे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के देशों में स्थित भारतीय कपड़े के दूतावास के पदाधिकारियों को जब-जब कपड़े के पुनर्निर्यात की सम्भावना के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुईं, उन्हें सतर्क कर दिया गया। उनसे प्राप्त रिपोर्टें और उत्तरों से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि वास्तव में कपड़े का पुनर्निर्यात किया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

माल डिब्बों की कमी

4527. श्री कामेश्वर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में माल डिब्बों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1968 तक कितनी कमी होगी; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

Railway Line upto Shahjahanpur Via Mailani

4528. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a railway-line via Mailani (North Eastern Railway) was constructed upto Shahjahanpur (North Eastern Railway) during the British days and was afterwards dismantled ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the income per year from the said Railway line when it existed ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). A tramway line existed in the past between Shahjahanpur and Mailani. This line was dismantled in 1918 as the

permanent way and stock was required by the then British Government to be utilised for Military purposes in Mesopotamia (Iraq).

(c) The net earnings on the capital outlay of this line amounted to 4.47% and 4.54% during 1917-18 and 1918-1919 respectively.

दिल्ली-अम्बाला-कालका और दिल्ली-रोहतक-भटिंडा रेलवे लाइन को दोहरा बनाना

4529. श्री रणधीर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-अम्बाला-कालका और दिल्ली-रोहतक-भटिंडा लाइनों पर यात्रियों का यातायात अत्यधिक भीड़ होने और देश की सुरक्षा की दृष्टि से उनका बड़ा महत्व होने के कारण क्या इन लाइनों को दोहरा बनाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) दिल्ली-अम्बाला-कालका खंड पर दिल्ली से सब्जी मंडी के बीच 3 किलो मीटर और दिल्ली-रोहतक-भटिंडा खंड पर 11 कि० मी० लम्बी दोहरी लाइन पहले ही बिछाई जा चुकी है। सब्जी मंडी से सोनीपत तक के खंड पर दोहरी लाइन बिछाने की संभावना के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करने का विचार है। फिलहाल दिल्ली-रोहतक-भटिंडा खंड पर दोहरी लाइन के विस्तार करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) सब्जी मंडी-सोनीपत खंड पर दोहरी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य शीघ्र शुरू किये जाने की संभावना है।

(ग) इकहरी लाइन वाले बाकी खंडों पर दोहरी लाइन बिछाने का काम इस बात पर निर्भर करता है कि वहां समय-समय पर यातायात में कितनी वृद्धि होती है और इसके लिए कितने साधन उपलब्ध हैं।

रेल पटरियों के साथ की भूमि

4530. श्री रणधीर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूरे देश में रेल की पटरियों के दोनों ओर की भूमि को कृषि, बन उगाने या बागान के लिये प्रयोग में लाने के लिये पट्टे पर देने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) स्टेशनों के बीच लाइन के आस-पास की रेलवे की फालतू जमीन पहले से ही किसानों को खेती के लिए दी जा रही है। यह जमीन या तो राज्य सरकार के जरिये दी जाती है, जिन्हें इस तरह की जमीन प्रबन्ध के लिए दी गयी है, या रेलवे द्वारा सीधे लाइसेंस पर दी जाती है। इस नीति को आगे भी जारी रखने का विचार है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे लाइन द्वारा रोहतक तथा हिसार को सोनीपत के रास्ते मेरठ से मिलाना

4531. श्री रणधीर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनीपत होते हुए यमुना नदी के ऊपर से हरियाणा राज्य के रोहतक तथा हिसार को मेरठ से रेलवे लाइन द्वारा मिलाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) अर्थोपाय की वर्तमान विषम स्थिति के कारण इस रेल सम्पर्क के निर्माण को इतनी प्राथमिकता नहीं मिल पा रही है ताकि इस पर निकट भविष्य में विचार किया जा सके। अतः इसे बेहतर समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

उद्योग संबंधी मशीनों का आयात

4532. श्री वेदब्रत बरुआ : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों के लिए मशीनों का आयात करने की अनुमति भारत में उनके उपलब्ध होने के बावजूद भी दे दी जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि इसके कारण इंजीनियरी उद्योग की निर्माण क्षमता को अप्रयुक्त रहने दिया जाता है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ग). यदि उपयुक्त प्रकार की तथा अपेक्षित किस्म की देश में बनी मशीनें उचित समय में सम्भरण के लिए उपलब्ध हों तो औद्योगिक मशीनों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। जिससे माल खरीदने वाले के उत्पादन कार्यक्रम में रुकावट न पड़े। इस प्रकार का निश्चय करने के लिए

इसका भी ध्यान रखा जाता है कि देश में बनी मशीनों का मूल्य अनुचित रूप से अधिक तो नहीं है और इन मशीनों के उत्पादन के लिए उत्पादक को कच्चे माल तथा पुर्जों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की उस स्तर तक आवश्यकता तो नहीं होगी जितनी उस पूरी मशीन के आयात के लिए होती है।

(ख) जी, नहीं।

Medical Officer, N. E. Railway Hospital, Samastipur

4533. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Medical Officer of the North Eastern Railway Hospital, Samastipur continues to be in the same place for the past seven to eight years ;

(b) whether Government are aware that during his incumbency, five nurses and other employees of the hospital were suspended ;

(c) whether a decision has been taken in regard to his transfer and reinstatement of the suspended employees ; and

(d) if so, the details in this regard and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The Medical Officer, incharge of the North Eastern Railway Hospital, Samastipur, has been at that station for a period of about 15 months.

(b) Only four employees, including one nurse, were suspended during his incumbency.

(c) and (d). No occasion has arisen for considering the transfer of the Medical Officer. The case has not progressed to the stage where a decision to reinstate the employees can be taken.

कोयले की यातायात के लिये चार पहियों वाले माल डिब्बे

4534. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों के गिरिडीह ग्रुप (राष्ट्रीय कोयला विकास निगम) और बरौनी ताप बिजली परियोजना के पास केवल चार पहियों वाले माल डिब्बों से माल उतारने तथा माल चढ़ाने की व्यवस्था है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे ने उन्हें चार पहियों वाले माल डिब्बे देना बन्द कर दिया है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का कोयला नहीं बिक पाता; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें चार पहियों वाले माल डिब्बे देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कोयला खानों के गिरिडीह ग्रुप (राष्ट्रीय कोयला विकास निगम) को केवल चौपहिये माल डिब्बों के लदान करने की सुविधा है। बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की साइडिंग कोयले के बी० ओ० एक्स० रकों को संभाल सकती है, लेकिन

उनका माल उतारने का टिपलर केवल चौपहिये माल डिब्बों को संभालने के लिए ही उपयुक्त बताया जाता है।

(ख) जी नहीं। इस्पात कारखाने और कई अन्य उपभोक्ताओं के लिए कोयले का लदान करने के उद्देश्य से गिरिडीह की कोयला खानों को चौपहिए माल डिब्बे सप्लाई किये जा रहे हैं, लेकिन बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट को कोयला भेजने के लिए नहीं दिये जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को कोयला बी० ओ० एक्स० रकों में भेजा जाता है। यह उस नीति के अनुसार है कि जिन उपभोक्ताओं के पास बी० ओ० एक्स० रकों को संभालने के लिए उपयुक्त साइडिंग हैं उन्हें इस तरह के रकों में कोयला सप्लाई किया जाय।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युतीकरण कार्य

4535. श्री स० मो० बनर्जी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर तक रेलवे विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है;

(ख) क्या सभी यात्री रेल गाड़ियों को बिजली से चलने वाले इंजनों से चलाने का प्रबन्ध कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय हावड़ा/सियालदह-कानपुर खण्ड पर सवारी गाड़ियों को बिजली के इंजनों से चलाने से है। इस समय बिजली के इंजनों से 10 जोड़ी सवारी गाड़ियां (उपनगरीय गाड़ियों को छोड़कर) चलायी जा रही हैं। चूंकि बिजली के अतिरिक्त इंजन उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए बिजली के इंजन से कुछ और गाड़ियां चलाने की व्यवस्था की जा रही है।

ड्रम बनाने के लिये इस्पात की चादरों की सप्लाई

4536. श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे उपभोक्ताओं को जिनके अपने निर्माण संयंत्र नहीं हैं, अपने उत्पादों को बन्द करने के लिये ड्रम बनाने के हेतु इस्पात की चादरों का आवंटन कर रही है तथा इस्पात की चादरों के आयात के लिये लाइसेंस दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे ऐसे वाणिज्यिक निर्माताओं पर बहुत प्रभाव पड़ा है, जिनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता अप्रयुक्त रहती है क्योंकि उपभोक्ता उनकी अप्रयुक्त क्षमता के प्रयोग किये जाने की परवाह किये बिना इस्पात की चादरें मनचाहे निर्माताओं को देते हैं;

(ग) क्या ऐसा करना उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की नीति के प्रतिकूल है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसा करने से निरुत्साहित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि अपेक्षित इस्पात की चादर वाणिज्यिक निर्माताओं को अनुपातिक आधार पर दी जा सकें ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जहां तक देश की उत्पादित इस्पात की चादरों का सम्बन्ध है 1 मई, 1967 से सब प्रकार की चादरों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है और सरकार द्वारा चादरों का आवंटन नहीं किया जा रहा है। वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को आयात के लाइसेंस दिये गये हैं। कुछ लाइसेंस तेल कम्पनियों को भी दिये गये हैं जो भी इन ड्रमों के वास्तविक प्रयोग करने वाली हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कपड़ा मिलों को रुई की सप्लाई

4537. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दरम्यानी और मोटा कपड़ा बनाने वाली समस्त कपड़ा मिलों को रुई की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मिलों को अपेक्षित मात्रा में रुई सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इसके लिये भी कोई कार्यवाही की गई है कि कपड़ा मिलों के कुछ बड़े समूह रुई की गांठों को छिपा न रखें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जहां तक सरकार को जानकारी है, ऐसा नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) किसी विशेष कपड़ा मिल द्वारा अधिक मात्रा में सूती कपड़े को जमा करने की सम्भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से स्टॉक जमा करने और उधार पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं।

सिगरेट फैक्ट्रियां

4538. श्री शिवचन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सिगरेट फैक्ट्रियों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या-क्या हैं;

(ख) देश में सिगरेट का वार्षिक उत्पादन और खपत कितनी है; और

(ग) क्या सिगरेट का निर्यात होता है; और यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या है और प्रतिवर्ष उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्खदीन अली अहमद) : (क) देश में सिगरेट बनाने वाले तेरह कारखाने हैं। उनके नामों का विवरण (अनुबन्ध 1) सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2029/67]

(ख) गत तीन वर्षों में सिगरेटों का वार्षिक उत्पादन इस प्रकार हुआ :

वर्ष	उत्पादन (लाख में)
1965	55,4390
1966	58,2260
1967	44,0880
(जनवरी-अक्टूबर)	

सिगरेटों की खपत लगभग उनके उत्पादन के बराबर ही है क्योंकि जिस हिसाब से देश में सिगरेटों की मांग बढ़ी है उसी हिसाब से उनका उत्पादन बढ़ा है।

(ग) सिगरेटों का बहुत कम निर्यात किया जा रहा है। गत तीन वर्षों में सिगरेटों के निर्यात का ब्योरा संलग्न विवरण (अनुबन्ध 2) में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2029/67]

नई कम्पनियां

4539. श्री शिवचन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1967 से सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में राज्यवार छोटे और भारी उद्योगों के लिये कितनी नई कम्पनियां रजिस्टर की गई हैं;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की नई कम्पनियों की पृथक-पृथक रूप में कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है;

(ग) इन नई रजिस्टर हुई कम्पनियों द्वारा सम्बन्धित वस्तुओं के प्रति वर्ष उत्पादन में कितनी वृद्धि की जायेगी; और

(घ) नई रजिस्टर हुई कम्पनियों में टाटा और बिड़ला समूहों की कितनी-कितनी कम्पनियां हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्खदीन अली अहमद) : (क) जनवरी-अक्टूबर, 1967 के मध्य, विभिन्न उद्योगों में पंजीकृत कम्पनियों की संख्या से संबंधित सूचना के

पब्लिक तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों की अलग-अलग दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं [पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-2030/67]

(ख) चूँकि नवीन पंजीकृत कम्पनियों को प्रदत्त पूंजी बढ़ाने में कुछ समय लगता है, अतः सूचना प्राप्य नहीं है ।

(ग) नई कम्पनियों के लेख में पैदावार के बढ़ाने के बारे में सूचना प्राप्त नहीं है ।

(घ) केवल एक कम्पनी बिड़ला समूह से संबंधित जानी जाती है । अन्य कम्पनियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

पूर्वी तथा पूर्वोत्तर रेलवे में प्रथम श्रेणी के डिब्बों में शौचालय और स्नान गृह की सुविधाएं

4540. श्री शिवचन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में चलने वाली रेलगाड़ियों के प्रथम श्रेणी के सब डिब्बों में चार-स्थानों और दो-स्थानों वाले डिब्बों में शौचालय और स्नान गृह की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वी रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में प्रथम श्रेणी के डिब्बों में ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). अलग-अलग कक्षाओं वाले ऐसे डिब्बे, जिनमें 4 शायिकाओं वाले कक्षाओं और 2 शायिकाओं वाले कुपे के साथ शौचालय और स्नान गृह की व्यवस्था रहती है, न केवल दक्षिण रेलवे पर, बल्कि (पूर्व और पूर्वोत्तर रेलों सहित) सभी रेलों पर चल रहे हैं । ये सवारी डिब्बे वर्तमान गलियारेदार सवारी डिब्बों से पहले बने थे और पहले से चल रहे हैं, जबकि गलियारेदार सवारी डिब्बे जो वर्तमान मानक के हैं अभी हाल के वर्षों से शुरू किये गये हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट कौड़िया पुल

4541. श्री हरदयाल देवगुण : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट पुल को द्विमार्गीय पुल में बदलने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). जी हाँ । दिल्ली नगर निगम ने 8 फुट चौड़े वर्तमान कौड़िया ऊपरी पैदल पुल की चौड़ाई 16 फुट करने का प्रस्ताव रखा है ।

लेकिन इस प्रस्ताव को व्यावहारिक नहीं समझा गया और नगर निगम को विकल्प के रूप में वर्तमान पुल के पास ही 8 फुट चौड़ा एक अन्य ऊपरी पुल बनाने का सुझाव दिया गया है, जिसकी पूरी लागत नगर निगम को वहन करनी होगी। नगर निगम से अभी कोई उत्तर नहीं मिला है। अभी यह बताना असामयिक होगा कि रेलवे इस काम को कब शुरू करेगी।

इंजनों, माल डिब्बों तथा यात्री डिब्बों का निर्माण कर रहे उद्योग

4542. श्री स० कुण्डू : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने इंजनों, माल डिब्बों, यात्री डिब्बों आदि जैसे रेलवे के सामान का निर्माण करने के लिये उद्योग स्थापित करने पर 1948 के पश्चात् अब तक कितना खर्च किया है ;

(ख) ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं ; प्रत्येक कारखाने पर कितना खर्च किया गया है और वे कहां-कहां स्थित हैं ; और

(ग) इस वर्ष ऐसे कितने नये कारखाने स्थापित किये गये हैं और आगामी वित्तीय वर्ष में कितने और कहां-कहां कारखाने स्थापित करने की योजना है ?

रेलवे मंत्री (चे० मु० पुनाचा) (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०- 2031/67]

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में कोई नया रेलवे उत्पादन यूनिट नहीं खोला गया है और न अगले वित्तीय वर्ष में कोई यूनिट खोलने का विचार ही है।

रूरकेला में चौथी धमन भट्ठी

4543. श्री स० कुण्डू : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोत्साहन बोनस का गलत हिसाब लगाये जाने के विरोध में कर्मचारियों द्वारा असंतोष व्यक्त किये जाने के कारण अगस्त और सितम्बर, 1967 में रूरकेला इस्पात कारखाने की चौथी धमन भट्ठियां बन्द थीं ;

(ख) यदि हां, तो ये धमन भट्ठियां कितने दिन बन्द रहीं तथा इन धमन भट्ठियों के बन्द रहने के कारण कितनी धनराशि की हानि हुई थी ; और

(ग) क्या प्रोत्साहन बोनस के इस गलत हिसाब लगाने के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया गया था और क्या इस कार्य के लिए किसी अधिकारी को दण्ड दिया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) और (ख). धमन भट्ठी विभाग के कर्मचारियों द्वारा अगस्त, 1967 के बोनस दरों में वृद्धि करने की मांग पर जोर डालने के गैर-कानूनी हड़ताल किये जाने के कारण चौथी धमन भट्ठी को 30 अगस्त, 1967 को बन्द करना पड़ा और 3 सितम्बर, 1967 को उसे ढक दिया गया। इसको फिर से चालू

करने का कार्य 5 सितम्बर, 1967 की मध्य रात्रि से आरम्भ किया गया। इसके परिणामस्वरूप हुई हानि की जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण के विचाराधीन है।

बन्द हो गई सूती कपड़ा मिलें

4544. श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री विश्वनाथ मेनन :

श्री उमानाथ :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बन्द हो गई सभी 86 सूती कपड़ा मिलों के मजदूरों ने मिलों को पुनः खोलने के लिये अगस्त, 1967 में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो बन्द हुई मिलों को पुनः खोलने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या बन्द हुई सूती कपड़े की सभी मिलों को पुनः खोल दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) शायद माननीय सदस्य का आशय मद्रास राज्य के कोयम्बेटूर जिले में अगस्त, 1967 में सूती कपड़ा मिलों की हड़ताल से है। यदि हां, तो इसका उत्तर हां में है, परन्तु यह 86 राज्य की सूती कपड़ा मिलों की कुल संख्या है, बन्द मिलों की संख्या नहीं।

(ख) से (घ). मद्रास सरकार द्वारा डा० पी० एस० लोकनाथन की अध्यक्षता में नियुक्त की गई त्रिपक्षीय समिति की शिफारिशों पर कुछ बन्द सूती कपड़ा मिलों द्वारा वाणिज्य बैंकों से लिये गये ऋण के लिये मद्रास सरकार गारन्टी देने को तैयार है। उनमें से कुछ सूती मिलें फिर से खुल गई हैं, परन्तु पांच मिलें अभी भी बन्द हैं। राज्य सरकार की सलाह से इन में से दो मिलों के मामले की जांच करने के लिये एक पदाधिकारी ग्रुप की नियुक्ति की गई है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि क्या यह इन मिलों को फिर से चलाने के लिये वित्तीय सहायता दी जा सकती है। जहां तक दूसरी मिलों का सम्बन्ध है राज्य सरकार द्वारा उनको फिर से खोलने के प्रयास किये जा रहे हैं।

चूने के पत्थर की खान, मदुक्कराई का बन्द किया जाना

4546. श्री रमानी :

श्री नायनार :

श्री चक्रपाणि :

श्री राममूर्ति :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बेटूर जिले में मदुक्कराई में स्थित एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी

की चूने के पत्थर की खान दिसम्बर, 1967 से बन्द होने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसको बन्द होने से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरहदीन अली अहमद) : (क) मैसर्स एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड से जानकारी प्राप्त की गई है कि मदुक्कराई स्थित चूने की प्रमुख खान को बन्द नहीं किया गया है और उत्पादन पूरा चल रहा है। एटीमदाई नामक एक छोटी खान जो सीमेंट बनाने के लिए सीमेंट कारखाने को अच्छे किस्म का चूना दे रही थी, बन्द कर दी गई है।

(ख) मदुक्कराई खान से निम्न तथा मध्यम किस्म के चूने के पत्थर को अब फ्लोटेशन संयंत्र जिसे नवम्बर, 1967 में चालू किया गया था, में डाल कर ठीक किया जाता है। अतः सीमेंट बनाने के लिए अब एटीमदाई खान के ऊंचे किस्म के चूने के पत्थर की आवश्यकता नहीं है।

(ग) पता चला है कि एटीमदाई में ठेकेदारों के 53 मजदूरों को दिसम्बर, 1967 में सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करने के पश्चात तथा मुआवजे का भुगतान करके छटनी कर दी गई है। सरकार इस मामले में और अधिक कार्यवाही नहीं कर सकती।

सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला खानें

4548. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में कोयले की कितनी खानें हैं ; उनमें कितनी पूंजी लगी है, वे कुल कितना उत्पादन करती हैं ; तथा मूल्य ह्रास, ब्याज घटा कर उन्हें शुद्ध लाभ कितना होता है तथा यह लाभ लगाई गई पूंजी के अनुपात में कितना है ; और

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों को होने वाली आय गैर-सरकारी क्षेत्र की उसी स्तर की कोयला खानों को होने वाली आय की तुलना में अधिक है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : इच्छित सूचना एकत्र की जा रही है और इकट्ठी की जाने पर सदन के पटल पर रख दी जायगी।

औद्योगिक नीति

4549. श्री दामानी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि औद्योगिक नीति संकल्प में संशोधन करने की सम्भावना है और यदि हां, तो इसमें क्या संशोधन किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्खदीन अली अहमद) : 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में संशोधन अथवा प्रवर्धन करने की आवश्यकता होगी या नहीं इस प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिये लघु उद्योग

4550. श्री दामानी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'गत तीन वर्षों में प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के लिये पुर्जों के निर्माण में लघु उद्योग क्षेत्र ने कितनी प्रगति की है ; और

(ख) क्या दिये गये पुर्जों नमूने के अनुसार थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्खदीन अली अहमद) : (क) छोटे कारखानों द्वारा प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के लिये कई प्रकार के हिस्से, पुर्जे व स्टोर की वस्तुएँ सप्लाई की जा रही हैं । 1963-64 से 1965-66 के दौरान 39 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की खरीदारी की गई ।

(ख) छोटे कारखानों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं प्रतिरक्षा विभागों के विशिष्ट विवरणों के अनुसार होती हैं । सामान्यतः, प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार सामान बनाने के लिए सुसज्जित छोटे कारखाने स्वयं माल की सप्लाई भी करते हैं और केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन भी उनकी मदद करता है ताकि उनकी वस्तुओं का उत्पादन विशिष्ट विवरणों के अनुसार हो सके ।

आयातित इस्पात के हैंडलिंग एजेंटों से बकाया राशि की वसूली

4551. श्री दामानी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आयात किये गये इस्पात के हैंडलिंग एजेंटों से बकाया-शुल्क की वसूली के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) हैंडलिंग एजेंटों द्वारा देय शुल्क की राशि बकाया न रहे, इस सम्बन्ध में निरोधक प्रक्रिया सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के कर्मचारी

4552. श्री दामानी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या हाल में और घटा दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में उनकी संख्या घटाने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). 1967-68 (4 दिसम्बर, 1967 तक) के दौरान लोहा और इस्पात नियंत्रक कार्यालय से 98 व्यक्तियों को हटाया गया है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कर्मचारियों का 'धीरे काम करो' का रवैया

4553. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कर्मचारी अगस्त, 1967 से 'धीरे काम करो' का रवैया अपनाये हुए हैं ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) उनके इस रविये के कारण सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी है ; और

(ग) कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कालामेसरी स्थित कारखाने के श्रमिकों ने लाभांश की तत्काल अदायगी, अन्तरिम सहायता और विशेष भत्ते की मांगों को लेकर 18 अगस्त, 1967 से धीमी गति से काम प्रारम्भ कर दिया और 9 सितम्बर, 1967 से अनिश्चित काल तक के लिये हड़ताल प्रारम्भ कर दी। चूँकि हिंसा तथा कारखाने की सम्पत्ति को क्षति पहुंचने की आशंका थी, अतः प्रबन्धकों ने 13 सितम्बर, 1967 को तालाबन्दी की घोषणा कर दी थी। लम्बी बातचीत के पश्चात् प्रबन्धकों और मजदूरों के बीच एक समझौता हुआ था, और मजदूरों द्वारा हड़ताल समाप्त कर दी गई थी तथा प्रबन्धकों द्वारा तालाबन्दी हटा दी गई थी। कारखाने में 23 अक्टूबर, 1967 को पुनः कार्य प्रारम्भ हो गया था और उसके पश्चात् वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उत्पादन में हुई हानि का अनुमान लगभग 60 लाख रु० लगाया गया है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अन्य किसी भी कारखाने में 'धीमी गति' से काम करने की प्रवृत्ति नहीं अपनाई गई थी।

लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद द्वारा की गई सिफारिशें

4554. श्री मयाबन :

श्री श्रीनिवास मिश्र :

श्री मणिभाई जे० पटेल :

श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद् ने, जिसकी 22 नवम्बर, 1967 को बैठक हुई थी, इस्पात के नियंत्रण को और अधिक कम करने, तथा इस्पात की दुर्लभ किस्मों के उत्पादन की ओर अधिक ध्यान देने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) और (ख). लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद् की स्थाई समिति की दूसरी बैठक 22 नवम्बर, 1967 को हुई थी जिसने एक उप-समिति का गठन किया जो लोहे और इस्पात के वितरण, मूल्य बढ़ाने और विभिन्न प्रकार के इस्पात का उत्पादन बढ़ाने, जिसकी सप्लाई कम है, सम्बन्धी विभिन्न सुझावों की जांच कर रही है।

भारी इंजीनियरिंग निगम रांची का निर्माण कार्य

4555. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरी निगम रांची का निर्माण कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रहा है और क्या यह स्थिति इसलिए है क्योंकि इस उद्योग समूह का मशीनें लगाने का काम तथा दूसरा निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ;

(ख) यदि हां, तो उन दोनों के निर्माण कार्य की स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह उद्योग समूह वर्ष 1972 तक बोकारो के लिए 10 लाख टन इस्पात दे सकेगा जैसा कि वचन दिया गया था;

(घ) सारे उद्योग समूह पर अब तक कुल कितनी पूंजी लगी है, और इस वर्ष इसमें कुल उत्पादन कितना हुआ है, और क्या इस उद्योग समूह को इसकी निर्धारित क्षमता के अनुसार क्रयादेश मिलते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उद्योग समूह को उसकी पूरी क्षमता पर कैसे चलाया जा सकेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्खदीन अली अहमद) : (क) और (ख). भारी इंजीनियरी निगम, रांची को भारी मशीनें बनाने का संयंत्र, ढलाई व गढ़ाई संयंत्र और भारी मशीनों औजारों के संयंत्र लगाने की तीन परियोजनाएं क्रियान्वित करती हैं। भारी मशीनें बनाने के संयंत्र और भारी मशीनों औजारों के संयंत्र के सम्बन्ध में निर्माण कार्य आमतौर पर निगम द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। हां, ढलाई गढ़ाई संयंत्र के सम्बन्ध में नींव डालने के काम में परिवर्तन होने और इस्पात के इमारती ढांचों की कम सप्लाई के परिणामस्वरूप उत्पादन के मुख्य भवन के निर्माण में देरी हुई है। निर्माण कार्य की प्रगति का ब्योरा इस प्रकार है :

भारी मशीनें बनाने का संयंत्र : सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कुल 27,561.61 मीट्रिक टन के उपकरणों व मशीनों में से अक्टूबर, 1966 के अन्त तक 25,006.62 मीट्रिक टन के उपकरण व मशीनें लगाई गईं।

ढलाई गढ़ाई संयंत्र: निर्माण कार्य चल रहा है। जितनी मशीनें लगाई जा चुकी हैं उनके अनुसार उत्पादन आरम्भ हो गया है। आशा है कि इस संयंत्र का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1966 के आरम्भ में निश्चित की गई तिथि के बजाए सितम्बर, 1968 तक पूरा हो जाने की आशा है।

भारी मशीनी औजार संयंत्र: सिविल कार्य पूरा होने वाला है और 67 प्रतिशत मशीनें व उपकरण लगाये जा चुके हैं। उत्पादन कार्य अक्टूबर, 1966 से प्रारम्भ हो गया। संयंत्र के मार्च, 1968 तक पूरे हो जाने की आशा है।

(ग) भारी इंजीनियरी निगम बोकारो को लगभग 62,000 मीट्रिक टन मशीनें 'व टेक्नालाजिकल ढांचे तथा इस्पात के 26,000 टन इमारती ढांचे' देगा। इसे देने के समय पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(घ) भारी इंजीनियरी निगम में अब तक लगाई गई पूंजी का ब्योरा इस प्रकार है :

ईक्विटी	100 करोड़ रुपये
ऋण	99.01 करोड़ रुपये

(वास्तविक अप्रैल-अक्टूबर 1966)

मीट्रिक टन	मूल्य (लाख रु०)
इस वर्ष कुल उत्पादन	
भारी मशीनें बनाने का संयंत्र	6200 (लगभग) 240 (लगभग)
ढलाई गढ़ाई संयंत्र	6952 (लगभग) 135 (लगभग)
भारी मशीनी औजार संयंत्र	4 रेडियल बरमा मशीनें
	4 दोहरी कालम वाली रन्दा मशीनें
	49 (लगभग)
	5 सैन्ट्रल खराद

भारी मशीनें बनाने के संयंत्र की विद्यमान उत्पादन क्षमता 1970-71 तक पूर्णतः उपयोग में लाई जायेगी, परन्तु फाउन्डरी फोर्ज और भारी मशीनी औजार बनाने वाले संयंत्र की विद्यमान क्षमता का पूर्ण उपयोग न किया जा सकेगा।

(ङ) संयंत्रों का उत्पादन कार्य और लाभ अर्जित करने की क्षमता की जांच बराबर की जाती रहती है। इन संयंत्रों को अधिक से अधिक आर्डर दिलाने तथा यथासम्भव विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ करने के सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र के निगमों के प्रबन्ध निदेशक

4556. श्री रा० की० अमीन : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र के निगमों के प्रबन्ध निदेशकों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे निदेशकों की संख्या कितनी है, जो अन्य निगमों से, जिनके वे निदेशक हैं, शल्यक या उपलब्धियां प्राप्त करते हैं; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित व्यक्तियों में से 60-65, 65-70, 71-75 और 75 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग में आने वालों की संख्या पृथक-पृथक कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना प्राप्त नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि, 20,700 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को मिलाकर, 27,000 से ऊपर कम्पनियां अस्तित्व में हैं।

नर्मदा नदी पर रेल का पुल

4557. श्री रा० की० अमीन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम रेलवे पर बड़ीच और अंकलेश्वर के बीच नर्मदा नदी पर रेलवे पुल खस्ता हालत में है; और

(ख) यदि हां, तो पुल के पुनःनिर्माण के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) नर्मदा नदी पर रेलवे पुल नं० 502 खतरनाक हालत में नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी पुल के स्ट्रिंगरों के संक्षारित ऊपरी प्लैज कोण बदले जा रहे हैं। यह काम जून, 1968 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

जापान को हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात

4558. श्री यशपाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान में भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं की बहुत मांग है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जापान में हस्तशिल्प की वस्तुओं की बहुत मांग है। मैसर्स मितसूकोसी द्वारा जापान में अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में लगाई गई भारतीय हस्तकला और हथकरघा प्रदर्शनी के परिणामस्वरूप इनकी मांगों में और वृद्धि के संकेत मिले हैं।

(ख) टोकियो और जापान के व्यापारिक संघ का अपने स्टोरों में इसी प्रकार की प्रदर्शनी करने का विचार है। भारत की हस्तकला और हथकरघा निर्यात कारपोरेशन लि० का विचार टोकियो में एक नमूना कार्यालय और प्रदर्शन कमरा खोलने पर विचार कर रही है।

मिलों द्वारा रंगीन साड़ियों का उत्पादन

4559. श्री यशपाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलों द्वारा रंगीन साड़ियां बनाई जाने के कारण हथकरघा उद्योगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या हथकरघा उद्योग की सहायता करने के उद्देश्य से सरकार का ऐसे उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) और (ख). चूंकि संयुक्त मिलों के रंगीन साड़ियों के उत्पादन पर 1950 से प्रतिबन्ध लगा है, जैसा कि सरकार की जानकारी है, अतः हथकरघा उद्योग को संकट का सामना करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बादली स्टेशन पर दुर्घटना

4560. श्री यशपाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 नवम्बर, 1967 को बादली स्टेशन पर एक पार्सल एक्सप्रेस गाड़ी तथा बम्बई-नागपुर एक्सप्रेस गाड़ी के बीच टक्कर के बारे में जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-घटल पर रखी जायेगी; और

(ग) उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे-मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) दुर्घटना 18-11-1967 को बादली स्टेशन पर हुई। रेल संरक्षा के बम्बई-स्थित अपर आयुक्त ने दुर्घटना की विधिक जांच की है। उनकी अनन्तिम रिपोर्ट मिल गयी है, लेकिन उनकी पूरी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

(ख) इस पहलू पर अन्तिम रिपोर्ट मिलने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

(ग) अन्तिम रिपोर्ट मिलने पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

गुजरात में रुई का स्टॉक पकड़ा जाना

4561. श्री यशपाल सिंह :

श्री देवराव पाटिल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा कपड़ा आयुक्त के रुई का स्टॉक पकड़ने के आदेश को अवैध घोषित किये जाने के निर्णय का अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) कपड़ा आयुक्त ने अब तक रुई का स्टॉक कहां-कहां पकड़ा है और चालू वर्ष में अनिवार्य विक्री के लिये आदेश जारी किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) और (ख). निर्णय की प्रति की प्रतीक्षा है। इस बीच इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Managing Directors of Public Limited Companies

4562. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Managing Directors of Public Limited Companies enrol their family members and other relatives in make-believe employment registers and appropriate all the income of the Company by paying them very high salaries and allowances ; and

(b) if so, whether Government propose to take some steps to stop such misappropriation of public money ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Government are not aware of any company where all the income of the company is appropriated by relatives of Managing Directors by way of Salaries and allowances.

There is no prohibition to relatives of Managing Directors of public limited companies being appointed to offices of profit under the Company provided in cases where the remuneration paid to such relatives exceed Rs. 6,000 per annum, it is supported by a special resolution under section 314 of the Companies Act, passed by the Company in general meeting. Appointments below Rs. 6,000 per annum or other appointments not covered by section 314 of the Act such as technical adviser, legal adviser, etc. are regulated by the Company itself.

(b) If any complaint is received of any contravention of Section 314 in respect of any specific company it is looked into by the Company Law Board.

Import of Steel

4563. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the quantity of steel being imported at present, on an average annually ;

(b) the industries for which the steel is imported ; and

(c) the period by which India is expected to attain self-sufficiency in the production of steel ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) The average annual import of iron and steel for 1964-65, 1965-66 and 1966-67 has been about 0.8 million tonnes.

(b) Steel is imported for a number of industries, like, engineering, ship building, automobile, drums and barrels for oil industry, precision instruments, wire drawing.

(c) India will be self-sufficient in most categories of steel when Bokaro Steel Plant goes into full production. Certain specialised categories of steel will, however, continue to be

imported even thereafter. In this connection, it would be relevant to mention that even industrially advanced countries, like U.S.A., U.S.S.R., U.K. etc. also import certain categories of steel which they do not produce in sufficient quantities.

दिल्ली से बाहर टायर ले जाने पर प्रतिबन्ध

4564. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडिया सुपर रिक्शा और साइकिल टायरों और ट्यूबों को दिल्ली से बाहर पंजाब समेत सभी पड़ोसी राज्यों को ले जाने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली को वितरण केन्द्र बनाये रखने के हेतु इन प्रतिबन्धों को हटाने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फल्लूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। दिल्ली प्रशासन ने 19 अक्टूबर, 1967 को दिल्ली साइकिल टायर तथा ट्यूब (वहन नियन्त्रण) आदेश 1967 जारी किया है।

(ख) दिल्ली संघीय राज्य क्षेत्र से साइकिल के टायरों और ट्यूबों की बड़े पैमाने पर निकासी को रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन ने 19 अक्टूबर, 1967 से दो महीने के लिए दिल्ली संघीय राज्य क्षेत्र से टायर और ट्यूबों की बिना अनुमति निकासी पर रोक लगा दी है, क्योंकि इससे इनकी दिल्ली क्षेत्र में कृत्रिम कमी हो जाती थी और व्यापारियों द्वारा टायरों और ट्यूबों का अधिक मूल्य लिया जाता था विशेषकर लोक प्रिय किस्म के टायरों और ट्यूबों का जैसे डनलप गुडइयर तथा इण्डिया सुपर। यह प्रतिबन्ध इन वस्तुओं के मूल उपकरण के रूप में सम्भरण पर लागू नहीं होता है।

(ग) इस आदेश को 18 दिसम्बर, 1967 के पश्चात जारी रखा जाये या नहीं इस पर दिल्ली प्रशासन द्वारा यथासमय विचार किया जायेगा।

इण्डिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स, सीरामपुर के शेयरों का घोटाला

4565. श्री जार्ज फरनेन्डीज :

श्री महाराज सिंह भारती :

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरामपुर के शेयर रजिस्ट्रों तथा वार्षिक विवरणों में हेराफेरी की गई तथा/अथवा उन्हें बदल दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनी के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने तथा समवाय विधि बोर्ड द्वारा कार्यवाही करने के विलम्बकारी तरीके समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) यह आरोपित करते हुये, एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि, कम्पनी रजिस्ट्रार कलकत्ता के कार्यालय में, मैसर्स इंडिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड द्वारा मिसिल की गई, 29-12-62 तक बनाई गई मूल वार्षिक विवरणी कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय के कुछ अधिकारियों की उपेक्षा से, कम्पनी द्वारा जोड़ तोड़ कर दी गई। मामला प्रारम्भ में, विभाग के सतर्कता अधिकारियों द्वारा जांच किया गया, जिसे आरोप की सहायता के लिये कोई प्रत्यक्षतः साक्ष्य नहीं मिला। फिर भी उसने पता किया कि गलत प्रक्रिया अपनाते हुये, प्रलेखों के त्रुटिपूर्ण तथा पथभ्रष्ट करने वाले फोटोस्टेट तैयार किये गये। यह निश्चय करने के लिये कि फोटोस्टेट के तैयार करने तथा देने के पीछे कोई कदाशय अभिप्राय था, मामला, जांच के लिये, विशेष पुलिस स्थापना को संदर्भित कर दिया गया। ब्योरेवार जांच करने के पश्चात, विशेष पुलिस स्थापना इस निश्चय पर पहुंची है, कि उपरोक्त कम्पनी के अभिलेखों को नहीं छेड़ा गया है, परन्तु फोटोस्टेट प्रति तैयार करते समय, कागजों की गलत आसन व्यवस्था के कारण प्रलेखों का पथभ्रष्ट करने वाला फोटोस्टेट तैयार किया गया था। इसलिए विशेष पुलिस स्थापना ने, फोटोस्टेट तैयार करने में विशेष सतर्कता न बरतने के लिये, कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल के कार्यालय के, दो अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की है। कम्पनी रजिस्ट्रार कलकत्ता को, नियम के अनुसार, उनमें से एक के विरुद्ध जो कर्मचारी वर्ग का अराजपत्रित सदस्य हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अनुदेश दे दिया गया है। दूसरे आदमी के मामले में, जो एक राजपत्रित अधिकारी है, विशेष पुलिस स्थापना की रिपोर्ट सम्बन्धित कागजातों के साथ केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उनके परामर्श के लिये, भेज दी गई है। आयोग का परामर्श प्राप्त होने पर, मामले पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से, प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इंडिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स, लिमिटेड, सेरामपुर की लेखापरीक्षा

4566. श्री जार्ज फरनेन्डीज :

श्री देवेन सेन :

श्री चित्ति बाबू :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समवाय विधि बोर्ड कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत इण्डिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड सेरामपुर (पश्चिमी बंगाल) के मामलों की जांच के लिए एक विशेष लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई थी;

(ख) क्या यह जांच पूरी हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और सरकार ने विशेष लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा पूरी कराने में क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). हां, श्रीमान । कम्पनी विधि बोर्ड ने, अपने आदेश, दिनांक 10 नवम्बर, 1966 के द्वारा निदेशित किया, कि इण्डिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड के लेखे की किताबों का, 1 जुलाई, 1959 से 30 जून, 1965 तक की अवधि की, विशेष लेखापरीक्षा, मैसर्स लोढा एण्ड कम्पनी चार्टर प्राप्त लेखाकार कलकत्ता के श्री आर० एस० लोढा के द्वारा की जायेगी । उसके तुरन्त बाद ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आदेश की विधिमान्यता पर प्रार्थना करते हुये, कम्पनी द्वारा मिसिल की गई एक याचिका पर, कलकत्ता उच्चन्यायालय ने, विशेष लेखा-परीक्षक को, विशेष लेखा-परीक्षा करने से रोकते हुये, एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर दी । मुख्य याचिका अभी तक न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत है ।

अमरीका को इन्जनों का निर्यात

4567. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

श्री न० कु० सांघी :

श्री य० अ० प्रसाद :

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में रेलवे इन्जनों की मांग है;

(ख) क्या अमरीका सरकार की इन्जनों की मांग को पूरा करने के हेतु सरकार ने अमरीकी सरकार से बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं । ऐसी कोई जानकारी हमारे नोटिस में नहीं आई है । फिर भी हम इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं ।

(ख) और (ग). इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

4568. श्री न० कु० सांघी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में, भारत के केवल उन व्यापारिक फर्मों को अपनी वस्तुएं प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाती है जो प्रदर्शनी में स्थान का किराया दे सकते हैं;

(ख) क्या इस नीति के परिणामस्वरूप लघु उद्योगों के बहुत से एकक अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने से असमर्थ रहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बात के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि जिन अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भारत भाग लेता है उनमें लघु उद्योगों को भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने का अवसर मिले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जी, नहीं । सरकार द्वारा लिये जाने वाले स्थान की दरें बहुत ऊंची नहीं हैं और वह लघु उद्योग एकक की पहुंच तक हैं । इसके अतिरिक्त इन एककों को जब कभी भी आवश्यक होता है विशेष रियायत दी जाती है ।

द्वितीय श्रेणी के नये शयन डिब्बे

4569. श्री य० अ० प्रसाद : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शीघ्र ही नई किस्म के द्वितीय श्रेणी के डिब्बे रेलगाड़ियों में लगाये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये डिब्बे किन गाड़ियों में लगाये जायेंगे; और

(ग) ये डिब्बे कब चलाये जायेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) से (ग). जी हां । दूसरे दर्जे के नई किस्म के डिब्बे पहले ही निम्नलिखित गाड़ियों के साथ चलाये जा रहे हैं :

- (1) 15 डाउन/16 अप जी टी एक्सप्रेस;
- (2) 1 डाउन/2 अप हावड़ा-बम्बई मेल (नागपुर होकर);
- (3) 3 डाउन/4 अप फ्रंटियर मेल;
- (4) 1 अप/2 डाउन कालका-दिल्ली-हावड़ा मेल; और
- (5) 11 डाउन /12 अप बम्बई-मद्रास एक्सप्रेस ।

निम्नलिखित गाड़ियों के साथ भी ऐसे डिब्बे शीघ्र ही चलाने का विचार है :

- (i) 11 अप/12 डाउन हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस ।
- (ii) 51 डाउन/52 अप सियालदह-पठानकोट एक्सप्रेस ।

नायलोन के धागे का आयात

4570. श्री विशम्भरन :

श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में नायलोन के धागे का आयात करने के लिए राज्य व्यापार निगम को लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम को किन-किन देशों से तथा प्रत्येक देश से कितने मूल्य के धागे का आयात करने की अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या सरकार ने नायलोन के धागे के आयात का देश के नकली रेशम उद्योग तथा रेयन आदि पर प्रभाव का अध्ययन किया है और यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या नकली रेशम की उपलब्धि सम्बन्धी कम्पनी समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) नियमित उधार के विरुद्ध अमरीका, इटली, पश्चिमी जर्मनी और जापान से आयात की अनुमति दी जायेगी । प्रत्येक देश से निम्नलिखित मूल्य का आयात किया जायेगा :

	लाखों रुपये में
अमरीका	275
इटली	375
पश्चिमी जर्मनी	125
जापान	125
	कुल 900

(ग) जी, हां । इन आयातों से वीविंग और नीटिंग उद्योगों और उनकी अनुमानित आवश्यकता और रेसीय उपलब्धताओं के अन्तर को भरने में सहायता मिलेगी ।

(घ) जी, नहीं ।

Export of Locomotives

4571. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of Railways be pleased to state :

- the number of factories in the country manufacturing locomotives ;
- the types of locomotives manufactured and the number thereof imported during the last two years ;
- whether Government have exported locomotives ; and
- if so, the amount of foreign exchange earned therefrom during the last two years ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Locomotives are manufactured in the following three factories :

- Chittaranjan Locomotive Works, Chittaranjan.
- Diesel Locomotive Works, Varanasi.

3. Tata Engineering and Locomotive Company Limited, Jamshedpur.

(b) (i) **The types of locomotives manufactured are :**

Steam, Diesel and Electric locomotives.

(ii) **Number of locomotives imported during the last two years were :**

51 Broad Gauge Diesel Locomotives,

71 Broad Gauge Electric Locomotives and 14 Metre Gauge Electric Locomotives.

(c) No.

(d) Does not arise.

रही रेल की पटरियां

4573. श्री हिम्मतसिंहका : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने रही पटरियों को नीलाम द्वारा बेचने की प्रणाली को समाप्त कर दिया है और 70 प्रतिशत रही पटरियां स्टील री-रोलिंग मिल्स एसोसिएशन को दी जाती हैं और अवशेष 30 प्रतिशत सम्बन्धित राज्य सरकारों को दे दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रक्रिया में किन परस्थितियों में परिवर्तन किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि इस नई व्यवस्था से रही पटरियों के बेचने पर स्टील री-रोलिंग मिल्स एसोसिएशन के सदस्यों को एकाधिकार प्राप्त हो गया है;

(घ) क्या यह सच है कि नई व्यवस्था के अनुसार रही रेल पटरियां पहले नीलाम द्वारा बिक्री से प्राप्त मूल्यों की तुलना में अब उक्त एसोसिएशन को बहुत कम मूल्य पर बेची जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक नई व्यवस्था के अन्तर्गत कितने मूल्य की पटरियां बेची गई हैं और इसमें कितनी हानि होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। स्टील री-रोलिंग मिल्स एसोसिएशन और राज्य सरकारों के निदेशकों के जरिए बिक्री के अलावा खुली नीलामी के जरिए निबटारा करने की प्रणाली भी जारी है।

(ख) निबटारे के काम की गति बढ़ाने के उद्देश्य से स्टील री-रोलिंग मिल्स एसोसिएशन (एस० आर० एम० ए०) के साथ पंजीकृत री-रोलरो के प्रतिनिधियों और अन्य री-रोलरो के साथ एक करार किया गया था।

(ग) चूंकि नीलामी बराबर होती रहती है, इसलिये किसी विशेष खरीददार का एकाधिकार नहीं है।

(घ) जी नहीं। करार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में, 31-3-67 को समाप्त होने वाली छमाही में नीलामी से जो कीमत हासिल हुई वह प्रति मीट्रिक टन 387 से 470 रुपये थी।

इस करार के अन्तर्गत नियत कीमत 458 रु० प्रति मीट्रिक टन है, जो कुल मिलाकर अधिक ही ठहरती है।

(ड) स्टील री-रोलिंग मिल्स एसोसिएशन के जरिए लगभग 1163 मीट्रिक टन रद्दी पटरियां बेची गयीं। सम्बन्धित राज्य सरकारों के जरिए उन री-रोलरों को पटरियों की अभी तक कोई बिक्री नहीं की गयी है, जो पंजीकृत नहीं हैं। उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए हानि होने का सवाल नहीं उठता।

चाय का निर्यात

4574. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वाणिज्य मंत्री 24 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 248 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के निर्यात के लिए समान नीति अपनाने के बारे में श्रीलंका सरकार से बातचीत करने के लिए कोई प्रतिनिधिमण्डल श्रीलंका भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं और अपनाई गई समान नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बागमेर और खण्डवा स्टेशनों के बीच गाड़ी का पटरी से उतर जाना

4575. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 नवम्बर, 1967 को मध्य रेलवे के भुसावल-खण्डवा सेक्शन पर बागमेर और खण्डवा स्टेशनों के बीच दिल्ली आने वाली पंजाब मेल के इंजिन के पीछे के 8 डिब्बे पटरी से उतर गये थे, इसके फलस्वरूप पांच व्यक्ति तथा एक बच्चा जख्मी हो गया था;

(ख) क्या रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जी हां, इस दुर्घटना में 7 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति दे दी गयी;

(ख) और (ग). जांच समिति के अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती से हुई।

मनीपुर के सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों को कार और स्कूटर खरीदने के लिये ऋण दिया जाना

4576. श्री मेघचन्द्र : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के लिए कारों और स्कूटरों का कितना कोटा आवंटित किया गया था;

(ख) कारें खरीदने के लिये मनीपुर सरकार से कितने सरकारी कर्मचारियों, मंत्रियों और निर्वाचित सदस्यों ने कार ऋण लिए;

(ग) क्या यह सच है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री कोइर सिंह और कुछ निर्वाचित सदस्यों ने मनीपुर सरकार से कार ऋण लिया था;

(घ) यदि हां, तो लिये गये ऋण और इसके लौटाए जाने का ब्योरा क्या है; और

(ङ) क्या यह सच है कि ऋण चुकाए जाने से पहले ही कार बेच दी गई थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद् द्वारा इस्पात मूल्य ढांचे में सुझाये गये परिवर्तन

4577. श्री हिम्मतसिंहका : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद् ने 22 नवम्बर, 1967 को अपनी बैठक में इस्पात मूल्य ढांचे तथा वित्त प्रणाली में कई परिवर्तन करने का सुझाव दिया था और संयुक्त संयंत्र समिति के पुनर्गठन की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद् द्वारा क्या सुझाव दिये गये थे; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). लोहा तथा इस्पात सलाहकार समिति की 22 नवम्बर, 1967 की बैठक में एक उप-समिति का गठन किया गया जो इस्पात के मूल्य तथा संयुक्त प्लान्ट समिति के भविष्य के कार्य के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों की जांच कर रही है। उप-समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार किया जायेगा ।

ड्राइवरों और गाड़ों को मील भत्ता

4578. श्री इसहाक साम्भली : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'ग' ग्रेड के ड्राइवरों तथा 'ख' ग्रेड के गाड़ों के मील भत्ते की दरों में अन्तर के क्या कारण हैं यद्यपि उनके वेतनक्रम समान अर्थात् 150-240 रुपये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : ड्राइवरों और गाड़ों की ड्यूटियां और जिम्मेदारियां समान नहीं हैं। अतः उनको मिलने वाले मील-भत्ते की दरों की तुलना करना उचित नहीं है।

कन्डक्टरों तथा गाड़ों को यात्रा भत्ता

4579. श्री इसहाक साम्भली : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो कन्डक्टर 205-280 रुपये वाले वेतनमान में हैं, उन्हें प्रतिदिन 4.50 रुपये यात्रा भत्ते के रूप में दिये जाते हैं, जो केवल जेब खर्च मात्र है और इसी ग्रेड के गाड़ों को 3.60 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यात्रा भत्ता दिया जाता है, जिसका 60 प्रतिशत केवल जेब खर्च है और 40 प्रतिशत प्रोत्साहन खर्च; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). जब कन्डक्टर बाहर लाइन पर जाते हैं तो उन्हें यात्रा भत्ता दिया जाता है। 205-280 रुपये की वेतन-सीमा के लिए इसकी वर्तमान दर 4 रु० 50 पैसे प्रतिदिन है। रनिंग कर्मचारियों को, जिसमें गाड़ भी शामिल हैं, यात्रा-भत्ता नहीं दिया जाता, बल्कि तय की हुई वास्तविक मील दूरी के आधार पर मील भत्ता दिया जाता है, जिसमें यात्रा-भत्ता और प्रोत्साहन दोनों तत्वों का समावेश होता है। ग्रेड 'ए' के गाड़ों को प्रति 100 किलोमीटर पर 2 रुपये 25 पैसे की दर से मील भत्ता दिया जाता है। औसतन, ग्रेड 'ए' के गाड़ों की दैनिक मील भत्ता आमदनी कन्डक्टरों द्वारा अर्जित यात्रा भत्ते से अधिक होती है। 3 रुपये 60 पैसे प्रतिदिन की दर मील भत्ते के एवज में प्राप्त भत्ते की सूचक है जो ग्रेड 'ए' के गाड़ों को उस समय दिया जाता है जब उन्हें गैर-रनिंग ड्यूटी देनी होती है, जैसे न्यायालय में उपस्थित होना, विभागीय परीक्षाओं में बैठना आदि।

'ए' तथा 'बी' ग्रेड के रेलवे गाड़

4580. श्री इसहाक साम्भली : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अतिच्छादी वेतनक्रमों के कारण 'ए' तथा 'बी' ग्रेड के गाड़ों में से अधिकांश अपने वेतनक्रम में अधिकतम वेतन पर जो मामूली होता है, रुके रहते हैं जिसका एक कारण तो पदोन्नति के उचित अवसर न होना है और दूसरा कारण यह है कि जब तक कि उन्हें 'बी' ग्रेड ही मिलता है, उनकी आयु अधिक हो जाती है और इसलिए उनमें से अधिकांश उसी रुके हुये वेतन पर सेवा निवृत्त हो जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि 'बी' ग्रेड गार्ड अपनी पदावलि में ही पदोन्नति नहीं ले सकता है क्योंकि 'ए' ग्रेड सेलेक्शन पद होता है जिसके अन्तर्गत बहुत कम पद होते हैं और संवर्ग से बाहर के पदों में भी अधिक आयु हो जाने के कारण पदोन्नति नहीं ले सकते;

(ग) क्या यह भी सच है कि आर० टी० ए०, ए० वाई० एम० तथा सेक्शन कंट्रोलरों के पदों की उपलब्धियां कम होने के कारण 'बी' ग्रेड के अधिकांश गार्ड इन पदों के लिये चयन के इच्छुक नहीं होते क्योंकि वे इसे पदोन्नति न समझ कर पदावनति समझते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) ग्रेड 'ए' के गार्डों के पद प्रतिशत के आधार पर नहीं, बल्कि चलने वाली डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों की संख्या के आधार पर स्टजित होते हैं । ग्रेड 'ए' के गार्डों के पद केवल ग्रेड 'बी' के गार्डों के लिए हैं और पदोन्नति के लिए कोई आयु-सीमा निर्धारित नहीं है ।

(ग) और (घ) . यह सच है कि निःसंवर्ग पदों की कुछ कोटियों में जिनमें गार्ड भी पदोन्नति पाने के हकदार हैं, पदोन्नति की पात्रता के लिए आयु-सीमा लागू है । ग्रेड 'बी' के गार्डों का वेतन मान 150-240 रुपये है, जबकि उल्लिखित अन्य कोटियों पर लागू होने वाला वेतनमान 250-380 रुपये है । चूंकि गार्ड भी रनिंग भत्ता पाने के हकदार होते हैं इसलिए यह संभव है कि उनमें से कुछ प्रतिशत लोग 250-380 रुपये के ग्रेड में नियुक्ति न पाना चाहें । लेकिन अधिकतर गार्ड इस संवर्ग में पदोन्नति पाने के लिये जरूर उत्सुक होंगे क्योंकि उनका वेतन 40 प्रतिशत रनिंग भत्ता सूचक वेतन जोड़कर निर्धारित किया जाता है । आगे और पदोन्नति का अवसर भी उपलब्ध है ।

पैसेन्जर गार्डों का स्थानान्तरण

4581. श्री इसहाक साम्भली : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृपालानी आयोग ने यह सुझाव दिया था कि पैसेन्जर गार्डों के स्थानान्तरण की भांति वाणिज्यिक तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों का किसी एक स्थान पर पांच वर्ष से अधिक समय तक कार्य करते रहने के बाद स्थानान्तरण किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत केवल पैसेन्जर गार्डों का ही स्थानान्तरण किये जाने के क्या कारण हैं जबकि उनका कार्य क्षेत्र अपरिवर्तित रहता है और उन्हें रहने के लिये तत्काल मकान नहीं दिये जाते हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, एक सिफारिश में कहा गया था कि इस विषय पर पहले से विद्यमान आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये ।

(ख) इस विषय से सम्बन्धित आदेशों के अनुरूप योजना के अन्तर्गत न केवल यात्री गाड़ियों के गाड़ों बल्कि विशेष टिकट परीक्षकों, चल टिकट परीक्षकों, वाणिज्यिक क्लर्कों, सहायक स्टेशन मास्टर्स और स्टेशन मास्टर्स का भी नियतकालिक स्थानान्तरण करना होता है। लेकिन नियतकालिक स्थानान्तरण की यह योजना वर्ष 1968 के लिए अस्थायी रूप से स्थगित की जा रही है।

रेलवे गाड़ों के वेतनक्रम

4582. श्री इसहाक साम्भली : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे गाड़ों के वेतनक्रमों तथा भत्तों में परिवर्तन तथा पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि की मांगों के समर्थन में संसद् के लगभग 45 सदस्यों ने उनको एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) मामले पर विचार हो रहा है।

त्यौहारों के अवसर पर रेलगाड़ियां न चलाई जाना

4583. श्री लोबो प्रभु : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दशहरा, दीवाली तथा होली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहारों के अवसरों पर बहुत सी गाड़ियां नहीं चलाई जातीं अथवा उन्हें रोक दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो 12 अक्टूबर, 1967 को दशहरा के त्यौहार के अवसर पर भारतीय रेलों में कर्मचारियों की कमी के कारण कितनी गाड़ियां नहीं चलाई गईं; और

(ग) क्या ऐसे महत्वपूर्ण त्यौहारों के अवसर पर रेल गाड़ियों को चलाते रहने के लिये संगचल कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त राशि देने का सरकार का प्रस्ताव है, जैसा कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले इतवार, क्रिस्मस और गुड-फ्राइडे के अवसरों पर कर्मचारियों को काम पर रखने के लिये किया जाता था ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) . जी हां, दशहरा, दीवाली और होली जैसे कुछ महत्वपूर्ण त्यौहारों पर, कुछ क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी के कारण, माल गाड़ियों के संचालन में कुछ अस्तव्यस्तता आ जाती है। दशहरे की छुट्टी के कारण 12-10-67 को कुल मिलाकर लगभग 60 गाड़ियों पर ही प्रभाव पड़ा और वे देर से चलाई गयीं।

(ग) जी नहीं।

कल्याणी में स्कूटर बनाने का कारखाना

4584. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याणी में बिना विदेशी सहयोग से स्कूटर बनाने का एक कारखाना आरम्भ किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब तक अपने स्कूटर बाजार में ले आयेगा और इन स्कूटरों का बिक्री मूल्य कितना होगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) . सरकार ने इस प्रकार का एक समाचार देखा है कि पश्चिम बंगाल के कल्याणी में स्कूटर बनाने के लिये लघु क्षेत्र में एक कारखाना लगाने का विचार है। समाचार के अनुसार स्कूटर बनाने के लिये किसी भी विदेशी पुर्जों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रस्तावित उद्यम के बारे में पूरे व्योरे का पता लगाया जा रहा है।

कोयले का उपयोग

4585. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की मांग में कमी को ध्यान में रखते हुए कोयले के उपयोग में विविधीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) क्या अन्य देश कोयला आयात करने के इच्छुक हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हां, महोदय। कोयले पर आधारित एक उर्वरक प्लांट की स्थापना, नान-कोकिंग कोल से धातुकार्मिक कोक का उत्पादन और संश्लिष्ट तेल आदि के उत्पादन के बारे में प्रस्तावों पर विचार और अध्ययन हो रहा है।

(ख) हां, महोदय। बर्मा, लंका, नेपाल, सिक्किम और भूटान पहले ही भारत से कोयले का आयात कर रहे हैं। जापान और हांगकांग ने भी कुछ रुचि प्रकट की है।

विदेशों से औद्योगिक सहयोग

4586. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्री महोदय ने जिन देशों का हाल ही में दौरा किया था क्या उनके साथ घनिष्ठ औद्योगिक सहयोग स्थापित करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और परिणामों के कब तक पता लग जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां; उन देशों में से जिनका दौरा किया गया था कुछ के साथ और अधिक घनिष्ठ औद्योगिक सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया में हुई बातचीत दिल्ली में पहले हुई तीनों देशों में आर्थिक सहयोग की सम्भावनाओं के विषय में हुई बातचीत को आगे बढ़ाने के संबंध में थी । जहां तक चैकोस्लोवाकिया तथा सोवियत रूस से बातचीत का संबंध है जो इस देश में उनके सहयोग से स्थापित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित है, आगे कार्रवाई की जा रही है ।

बल्गेरिया में हुई बातचीत के फलस्वरूप बल्गेरिया के मशीन निर्माण मंत्री तथा एक विशेषज्ञ दल यहां आया था और उन्होंने कुछ ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया जिनमें दोनों देश आपसी लाभ के लिए सहयोग कर सकते हैं ।

ब्रिटेन तथा फ्रांस के दौरे का अभिप्राय आपसी हितों के मामलों पर केवल विचार-विमर्श करना था ।

समवाय पंजीयक का कार्यालय, पश्चिमी बंगाल

4587. श्री स० कुन्दू :

श्री गार्डिलिंगन गौड :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय पंजीयक कार्यालय, पश्चिमी बंगाल में कुछ दस्तावेजों में हेरफेर करने/ उनको बदलने संबंधी जांच विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और उस कार्यालय में दस्तावेजों में हेरफेर के कितने मामलों की जांच की जा चुकी है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि परिणामों की उपेक्षा कर वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था और क्या संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) विशेष पुलिस स्थापना ने, इण्डिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड सेरामपुर के प्रलेखों में कथित हेरफेर की जांच पूर्ण कर ली है ।

(ख) सरकार के नोटिस में केवल एक मामला आया है। विशेष पुलिस स्थापना इस निश्चय पर पहुंची है, कि कम्पनी के प्रलेखों को छेड़ा नहीं गया है, परन्तु फोटोस्टेट प्रति तैयार करते समय, कागजातों की गलत आसन व्यवस्था के कारण, प्रलेखों का पथभ्रष्ट करने वाला फोटोस्टेट तैयार किया गया। विशेष पुलिस स्थापना ने, फोटोस्टेट तैयार करने में विशेष सतर्कता न बरतने के लिये, कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल के कार्यालय के दो अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की है। कम्पनी रजिस्ट्रार कलकत्ता को, नियम के अनुसार, कर्मचारी वर्ग के एक अराजपत्रित सदस्य के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अनुदेश दे दिया गया है। इस जांच के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है। विशेष पुलिस स्थापना द्वारा भेजी गई रिपोर्ट, एक राज-पत्रित अधिकारी को फांसती है, अतः यह रिपोर्ट, संबंधित कागजातों समेत, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श के लिए, भेज दी गई है। आयोग का परामर्श प्राप्त होने पर, मामला पुनः क्रियान्वित किया जायेगा।

(ग) परिणामों की उपेक्षा के लिये, कम्पनी रजिस्ट्रार पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता, के कार्यालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी का तबादिला नहीं किया गया है।

फिल्मों का निर्यात

4588. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वाणिज्य मंत्री 24 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1816 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 1967 में समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में विदेशों को कौन-कौन सी फिल्मों का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र में विनियोजन

4589. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय और तृतीय योजना अवधि में संगठित उद्योग में सरकारी क्षेत्र ने कुल कितना विनियोजन किया;

(ख) द्वितीय और तृतीय योजना अवधियों के दौरान प्रत्येक राज्य ने सरकारी क्षेत्र में संगठित उद्योग में कितना-कितना विनियोजन किया;

(ग) गुजरात राज्य का इतना कम भाग होने के क्या कारण हैं; और

(घ) गुजरात में आगामी पांच वर्षों के दौरान विनियोजन के क्या प्रस्ताव हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के निदेशक

4590. श्री रा० की० अमीन: क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों में कुल कितने निदेशक हैं; और

(ख) 31 मार्च, 1967 को उनमें से कितने 50-60, 61-65, 66-70, 71-75 तथा 75 से अधिक आयु वर्ग के थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) . सूचना प्राप्य नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है, कि 20,700 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को मिलाकर, 27,000 से ऊपर कम्पनियां अस्तित्व में हैं।

पटसन की मिलों का आधुनिकीकरण

4591. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (एन० आई० डी० सी०) ने आधुनिकीकरण के लिये पटसन की मिलों को कुछ ऋण दिये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के ऋण अब भी दिये जाते हैं या अब बन्द कर दिये गये हैं;

(ग) उन पटसन की मिलों के नाम क्या हैं जिन्हें आरम्भ में ऋण दिये गये थे, उन्हें कितना ऋण दिया गया था और पटसन के मिल मालिकों की ओर अभी वापिस की जाने वाली कितनी धनराशि बकाया है;

(घ) ऐसी कौन-कौन सी मिलें हैं जिन्होंने व्याज और मूल धनराशि की किस्तों की अदायगी नहीं की है या अदा करने में देर की है; और

(ङ) यदि कोई धनराशि अदा नहीं की गई तो सरकार ने उसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) जो ऋण पहले ही मंजूर किये जा चुके हैं उनके अतिरिक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम और नये ऋण नहीं दे रही है।

(ग) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2032/67]

पौण्ड के अवमूल्यन का निर्यात पर प्रभाव

4592. श्री श्रीधरन :	श्री रा० बरुआ :
श्री जि० ब० सिंह :	श्री जनार्दनन :
श्री सेक्वीरा :	श्री सूपकार :
डा० रानेन सेन :	श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री कामेश्वर सिंह :	श्री रवि राय :
श्री शिव चन्द्र झा :	

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन द्वारा पौण्ड का और श्रीलंका द्वारा 'रुपये' के अवमूल्यन का भारत के निर्यात पर, विशेष रूप से पटसन, चाय, कपड़ा और मशीनों पर संभावित प्रभावों के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार निर्यात शुल्क में छूट देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि निर्यात किये जाने वाला भारतीय माल प्रतियोगिता में ठहर सके; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार अवमूल्यन से उत्पन्न हुई भारतीय निर्यातकों की कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) उप-प्रधान मंत्री ने 20 नवम्बर, 1967 को संसद् में दिये गये अपने वक्तव्य में ब्रिटेन और दूसरे देशों द्वारा किये गये अवमूल्यन से भारत के निर्यात पर पड़े प्रभाव के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये थे। उसमें कहा गया था कि इसके परिणामस्वरूप भारत के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्थिति के विकास के साथ-साथ इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

खुर्दा तथा बोलंगिर के बीच रेलवे लाइन

4593. श्री अ० दीपा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दसपुल्ला, पुरमकटका भगीपद-ताराभे होती हुई खुर्दा और बोलंगिर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण करने हेतु वर्ष 1946-47 में सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो लाइन को अब तक न बनाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) वित्तीय दृष्टि से यह लाइन औचित्यपूर्ण नहीं समझी गयी।

रूरकेला संयंत्र के विस्तार के लिये जर्मन इंजीनियर और तकनीशन

4594. श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री रवि राय :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूरकेला के विस्तार का कार्यक्रम तैयार करने के लिये कुछ जर्मन इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने इंजीनियर तथा तकनीशन आमंत्रित किये गये हैं;

(ग) उनके भारत में ठहरने पर होने वाले खर्च का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या जर्मन इंजीनियरों तथा तकनीशनों को आमंत्रित करने से पूर्व भारतीय इंजीनियरों तथा तकनीशनों द्वारा विस्तार का कार्यक्रम तैयार करने की सम्भावना का पता लगाया गया था ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). बहुत ही नवीन किस्म के यूनियों को चलाने और उनके संधारण के लिये कुछ विदेशी तकनीशनों की सेवाएं प्राप्त करने हेतु हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड पश्चिम जर्मनी की कुछ फर्मों के साथ बातचीत कर रहा है। चूंकि बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिये तकनीशनों की संख्या और संभावित व्यय का ब्योरा देना कठिन है।

फूलबनी जिले में रेलवे लाइन

4595. श्री अ० दीपा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य के फूलबनी जिले में कोई रेलवे लाइन नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस जिले में से होकर जाने वाली कोई रेलवे लाइन बिछाने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Contract for Purchase of Railway Equipment

4596. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the details in respect of the Companies which were given contracts by the Railway Department for the purchase of Railway equipment during the last five years ;

(b) the number and names of firms which failed to supply the goods in time and against whom the action has been initiated ; and

(c) the value of contract given to each of these companies or firms ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c). The number of such contracts in each year is of the order of 2 lakhs. The details asked for in respect of five years have to be obtained from 13 Railways/Production Units. The time and effort involved will not be commensurate with the results that may be achieved. However, details in respect of purchases valued over Rs. 5,000 in each case are published in the Indian Trade Journal issued weekly by the Department of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta, Ministry of Commerce. Failures by the contractors to supply in time are dealt with in terms of the relevant contract.

Class IV Railway Employees

4597. **Shri Y. S. Kushwab :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that class IV railway employees viz, sweepers, loco employees, station waiting room attendants etc. have to attend their duty for 12 hours on stations like Rewari Station of the Bikaner Division and Aligarh Junction (Northern Railway) ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by Government in this respect ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) . (a) to (c) . Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

संधारण आयात

4598. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राथमिकता वाले उद्योगों के संधारण आयात के लिये विदेशी मुद्रा देने के प्रश्न को उनके निर्यात से जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग). ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । निर्यात में वृद्धि करने के सम्बन्ध में प्राथमिक उद्योगों का परामर्श लिया गया है । इस दिशा में कुछ कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं ।

पश्चिमी बंगाल में नई रेलवे लाइनें

4599. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने कितनी रेलवे लाइनों का सुझाव दिया है तथा उनकी प्राथमिकता क्रम क्या है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार एक नई रेलवे लाइन बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए नीचे लिखे प्रस्तावों की सिफारिश की है :

(i) संतरागाछी-विष्णुपुर।

(ii) ओल्ड मालदा-बालूरघाट-हिल्ली।

(iii) बारसोई-राधिकापुर लाइन को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलना।

(ख) और (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। लेकिन कठिन वित्तीय स्थिति के कारण उपर्युक्त प्रस्तावों में से किसी प्रस्ताव के चौथी योजना में शामिल किये जाने की संभावना नहीं है।

पश्चिमी बंगाल में 1967-68 में स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक एकक

4600 श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में वर्ष 1967-68 के दौरान स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक एककों की संख्या तथा नाम क्या हैं; और

(ख) पश्चिमी बंगाल को उपरोक्त अवधि और प्रयोजन के लिए कुल कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

भोपाल तथा इन्दौर के बीच रेलवे लाइन

4601. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सेहोर, आष्टा तथा देवास होते हुए, भोपाल तथा इन्दौर को मिलाने वाली रेलवे लाइन बनाई जाने के सम्बन्ध में जनता निरन्तर मांग करती आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) प्रस्तावित लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में हाल में इस मंत्रालय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

4602. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में और उद्योग स्थापित किये जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद) : (क) ऐसा कोई भी अनुरोध नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्

4603. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् के दल का, जिसने हाल ही में विभिन्न देशों की यात्रा की थी, प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है;

(ख) क्या भारतीय निर्यातकों के व्यवहार के बारे में प्रतिवेदन में अशोभनीय बातें कही गई हैं;

(ग) क्या इस बात की भी सूचना मिली है कि केनिया और अमरीका भारतीय निर्यात के विरुद्ध वहां के निर्यातकों के कदाचरण के कारण जमा विरोधी अधिनियम एण्टीडम्पिंग एक्ट, की सहायता लेने पर विचार कर रही है ; और

(घ) इन निर्यातकों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) माननीय सदस्य शायद इंजीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद् के प्रतिवेदन संख्या 31 का जिक्र कर रहे हैं जो 1965 में जारी किया गया था और जो परिषद् के विदेश कार्यालयों के कार्य के सम्बन्ध में है। यह प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है।

(ख) प्रतिवेदन में, कुछ भारतीय निर्यातकों में अनुशासन की कमी और व्यापारिक नैतिकता न होने का उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ). प्रतिवेदन में केनिया और अमरीका सहित कुछ देशों में भारतीय उत्पादों पर जमा-विरोधी शुल्कों के लगाये जाने के खतरे की ओर ध्यान दिलाया गया है। ऐसे खतरों को कम करने और रोकने के लिये यह देखने के प्रबन्ध किये गये हैं कि निर्यात की वस्तुएं प्रमापी स्तर की हों और उनका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से अधिक न हो।

रेलवे भोजन व्यवस्था के कर्मचारी

4604. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाने के डिब्बों (डाइनिंग कारों) तथा जलपान-गृहों में रेलवे भोजन व्यवस्था के कितने कर्मचारी वर्गवार कार्य करते हैं;

(ख) इन कर्मचारियों को कितना वेतन तथा भत्ता मिलता है ;

(ग) क्या यह सच है कि खान-पान विभाग के कर्मचारियों को परिचय-पत्र तथा पास नहीं दिये जाते हैं ; और

(घ) क्या सरकार भोजन व्यवस्था कर्मचारियों को वे सभी सुविधायें देने का विचार कर रही है जो अन्य रेलवे के कर्मचारियों को मिलती हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नाइलोन के धागे का आयात

4605. श्री जे० एच० पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 में आपात की घोषणा के बाद से नाइलोन धागे और/या अन्य नाइलोन के उत्पादों का विशेष आयात किया गया था ;

(ख) क्या चीनी आक्रमण के समाप्त प्रायः होने के उपरांत यह नाइलोन प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं से अधिक समझा गया था; और यदि हां, तो उसका लागत-बीमा और भाड़ा सहित कितना मूल्य था और बाजार मूल्य कितना था ;

(ग) क्या इस फालतू नाइलोन को वास्तविक उपभोक्ताओं में यथानुपात आधार पर नीलाम वितरण नहीं किया गया;

(घ) क्या इस नाइलोन का बड़ा भाग ऊन सलाहकार के कहने पर कुछ फर्मों को दे दिया गया था ;

(ङ) यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं ; और

(च) क्या इस मामले में कोई जांच की गई थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) कोई नाइलोन धागा आयात नहीं किया गया था । नाइलोन के टॉप्स/फाइबर/टो आयात किये गये थे ।

(ख) 72.32 लाख रु० के मूल्य के नाइलोन फाइबर और 31.76 लाख रु० के मूल्य के नाइलोन टॉप्स में से, जो कि भारतीय ऊनी मिल संघ द्वारा, उनको दिये गये विशेष तदर्थ लाइसेंसों के अन्तर्गत आयात किये गये थे, 11.05 लाख रु० का नाइलोन फाइबर और 20.52 लाख रु०

के नाइलोन टाप्स प्रतिरक्षा की आवश्यकता से फालतू पाये गये । इसके अतिरिक्त 50 लाख रु० के नाइलोन टो भी फालतू पाये गये थे ।

(ग) नाइलोन टाप्स वर्सटिड कताई मिलों को उनकी करघों की संख्या के आधार पर आवंटित किये गये थे और नाइलोन फाइबर मिलों को उनकी अधिष्ठापित क्षमता के आधार पर आवंटित किये गये थे । नाइलोन टो को, जिसे टाप्स में बदल दिया गया था, ऊनी मिलों को बेचे जाने की अनुमति दे दी गई थी ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) और (च). प्रश्न ही नहीं उठते ।

आयातित कच्ची ऊन का आवंटन

4606. श्री जे० एच० पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातित कच्ची ऊन के आवंटन के मामले में जम्मू तथा काश्मीर सरकार और हिमाचल प्रदेश को विशेष कोटा परमिट दिया गया था;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि जम्मू और काश्मीर राज्य पर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 लागू नहीं होता इस कारण उस राज्य में बहुत से अनधिकृत बुनाई कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं और इसका लाभ उठाने के लिये पंजाब तथा अन्य राज्यों की पूंजी काश्मीर ले जाई जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश को दिया गया विशेष तथा अधिक कोटा इन अनधिकृत एककों को न दिया जाये; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच करवाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) ऊन के निर्यात के लिये काश्मीर राज्य के उद्योग निदेश को एक आवंटन किया गया था । हिमाचल प्रदेश को कोई आवंटन नहीं किया गया था ।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951, 15 फरवरी, 1962 से जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू होता है । जम्मू तथा काश्मीर राज्य में अनधिकृत बुनाई एककों के स्थापित होने या पंजाब और अन्य स्थानों से पूंजी के काश्मीर में जाने के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है । जानकारी प्राप्त करके सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जम्मू तथा काश्मीर राज्य को किया गया आवंटन जो कि कुछ वर्सटिड कताई मिलों के लिये अभिप्रेत था, उसे इन एककों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई सलाहकार समिति की सिफारिशों पर बांटा जाता है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ऊनी कपड़ा उद्योग के लिये कच्चे माल का आयात

4607. श्री जे० एच० पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊनी कपड़ा उद्योग के संगठित तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के लिये कच्चे माल का आयात तथा नियतन करने के बारे में एक नई नीति की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस उद्योग के संगठित तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में, कताई न करने वालों को कच्ची ऊन के लाइसेंस और कोटे देने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने इससे लाइसेंसों तथा कोटे को चोर बाजार में बेचने से जो कदाचार होगा उस पर विचार किया है;

(ङ) क्या सरकार ने सरकारी तथा विकेन्द्रीकृत तथा संगठित क्षेत्र के प्रतिनिधियों की परिषद् द्वारा ऊन का आयात करने, निश्चित कमीशन, उसकी कताई कराने और इस प्रकार उचित मूल्यों पर तैयार किये गये ऊनी धागे का सभी वास्तविक उपभोक्ताओं में आवंटन करने की सम्भावना पर विचार किया है; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसी व्यापक और उचित नीति न बनाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग). कच्चे माल के आयात और आवंटन के लिये नई नीति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान 30 नवम्बर, 1967 को वाणिज्य मंत्री द्वारा लोक सभा में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है ।

(घ) सरकार को आशा है कि नई नीति के परिणामस्वरूप निर्दिष्ट प्रकार का कदाचार नहीं होगा ।

(ङ) और (च). ऊन के निर्यात के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम एक परामर्शदातृ तालिका बना रहा है । नई नीति में इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र प्रतिस्पर्धी दरों पर ऊन को धागे में कतवा सके । अतः निर्धारित कमीशन पर ऊन को कतवाने और उपभोक्ताओं को आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आस्ट्रेलिया से प्राप्त ऊन

4608. श्री जे० एच० पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से 40 लाख टन 'ग्रीजी' ऊन भेंट स्वरूप प्राप्त हुई थी;

(ख) इस ऊन का लागत बीमा-भाड़ा मूल्य क्या होगा और इस समय भारत में इसका बाजार मूल्य क्या है; और

(ग) क्या यह ऊन अब तक अवितरित पड़ी है और इस ऊन का गोदामों में खराब होने और सड़ने देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) और (ख). कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया सरकार को 3 वर्ष की अवधि में 40 लाख पौंड निजी मैरिनो ऊन सप्लाई करने के लिये राजी हो गई है। इस ऊन की लागत भारत में एक विशेष निधि में रुपयों में जमा की जायेगी। और उसे ऊन टेकनालोजी अनुसन्धान और प्रशिक्षण पर प्रयोग में लाया जायेगा। 16.25 लाख पौंड कच्चा ऊन जिसका मूल्य 92.93 लाख रु० था सितम्बर से अगस्त, 1967 के बीच आयात की गई थी। इस ऊन का बाजार मूल्य ज्ञात नहीं है। इस ऊन का विक्रय मूल्य बिक्री के समय का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य तथा उस पर किया गया मजूरी व्यय होगा।

(ग) पूल से 14.95 लाख रु० के मूल्य की ऊन दी गई है। जो ऊन इस समय स्टॉक में है वह अच्छी हालत में है। शेष मात्रा शीघ्र ही उठाई जायेगी।

“हेयर बैलिंग टॉप्स” के लिये धन का नियतन

4609. श्री जे० एच० पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय कपड़ा आयुक्त ने 4 लाख 50 हजार रुपए के मूल्य के हेयर बैलिंग टॉप्स का आवंटन किया था;

(ख) क्या बम्बई उच्च न्यायालय ने जून, 1967 में इस आधार पर इस आवंटन को रद्द कर दिया था कि यह “इकतरफा” आयुक्ति संगत तथा अनुचित था;

(ग) यदि हां, तो क्या इसकी कोई जांच की गई है कि अनुचित आवंटन किस प्रकार किया गया; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). यह सच है कि बम्बई उच्च न्यायालय ने इस विशिष्ट मिल को इस आवंटन के रद्द किये जाने का आदेश दिया है। तथापि, मिल ने इस आदेश के विरुद्ध अपील की है। मामला पंजाब उच्च न्यायालय के समक्ष भी विचाराधीन है। और इसलिये इस समय किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात के मूल्य-ढांचे में परिवर्तन

4610. श्री रा० बरुआ : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के वर्तमान मूल्य ढांचे और इसकी वर्तमान वितरण प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या-क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). लोह तथा इस्पात सलाहकार परिषद् की स्थायी समिति की दूसरी बैठक 22 नवम्बर, 1967 को हुई और उसमें एक उप-समिति का गठन किया गया। वह अब इस्पात के मूल्य निश्चयन और वितरण तथा संयुक्त संयंत्र समिति के भविष्य के कार्य सम्बन्धी सुझावों की जांच कर रही है।

माल डिब्बे बनाने की क्षमता

4611. श्री लोबो प्रभु : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में रेलवे के माल डिब्बे की अलग-अलग कितनी क्षमता है ;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता को 40,000 माल डिब्बों तक बढ़ा देने का विचार है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या देश में रेलवे के माल डिब्बे आवश्यकता से अधिक जमा हो जाने के कारण तथा विदेशी बाजार में कठोर प्रतिस्पर्धा को देखते हुए क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों की वर्तमान क्षमता को अन्य प्रकार के उत्पादन में लगाने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) (i) निजी क्षेत्र : निजी क्षेत्र की लायसेंस-प्राप्त क्षमता चौपहियों के हिसाब से 38,459 माल-डिब्बे है, लेकिन चौपहियों के हिसाब से कभी भी उत्पादन 27,565 माल डिब्बों से अधिक नहीं रहा है; अतः निजी क्षेत्र की अनुकूलतम उत्पादन-क्षमता 27,565 माल डिब्बे ही है।

(ii) सरकारी क्षेत्र : सरकारी क्षेत्र में निर्दिष्ट रूप से माल डिब्बों के निर्माण के लिए क्षमता नहीं विकसित की गयी है। लेकिन 1960 से, जबकि माल डिब्बा निर्माण उद्योग की क्षमता पर्याप्त नहीं थी, प्रोत्साहन-योजना चालू होने के फलस्वरूप उपलब्ध अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता का उपयोग करके रेल कारखानों में नये माल डिब्बे बनाये जा रहे हैं। जैसे-जैसे मरम्मत और अनुरक्षण का काम उत्तरोत्तर बढ़ेगा, वैसे-वैसे यह काम धीरे-धीरे बन्द कर देने की योजना है।

(ख) जी नहीं, फिलहाल नहीं।

(ग) (i) निजी क्षेत्र में माल डिब्बा निर्माण उद्योग संरचना के निर्माण-कार्यों से सम्बद्ध है और इस क्षेत्र में अन्य प्रकार के उत्पादन आरम्भ करना पूर्णतया व्यक्तिशः प्रबन्धकों पर निर्भर है।

(ii) रेल कारखानों में मरम्मत और अनुरक्षण का काम उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए, रेल कारखानों में अन्य प्रकार के उत्पादन आरम्भ करने का सवाल नहीं उठता।

रेलवे किरायों तथा भाड़ों में कमी

4612. श्री लोबो प्रभु : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) अनुमानित किराये तथा भाड़े में कमी के सम्बन्ध में नवीनतम आंकड़े क्या हैं;
 (ख) क्या यह सच है कि इस कमी का कारण इस वर्ष भाड़ों में वृद्धि के बाद भाड़े का अत्याधिक होना है ;
 (ग) क्या रेलवे ने वर्तमान मंदी को कम करने के लिये कोई रियायत देने पर विचार किया है ; और
 (घ) खाद्यान्न की उपज में वृद्धि तथा आयात में कमी से भाड़े से होने वाली आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1.4.1967 से 31.10.1967 तक की अवधि में वास्तविक आमदनी के आंकड़े उपलब्ध हैं । इस अवधि में यात्री यातायात से आमदनी में कोई कमी नहीं हुई है । वास्तव में आमदनी प्रत्याशा से लगभग 2 करोड़ रुपये अधिक रही है । लेकिन माल यातायात से आमदनी में लगभग 10 करोड़ रुपये की कमी हुई है ।

(ख) और (ग). वर्तमान आर्थिक मंदी 15 जून, 1967 से भाड़ा-दरों में संशोधन से बहुत पहले शुरू हो गयी थी और यह नहीं कहा जा सकता कि माल यातायात से आमदनी में जो कमी हुई है वह इस वर्ष भाड़ा-दरों में की गयी मामूली वृद्धि के कारण है । वाणिज्यिक दृष्टि से उचित होने पर रेल भाड़े की कम दरें घोषित की जाती हैं ।

(घ) देश में अनाज का उत्पादन बढ़ने और अनाज के आयात में कमी के कारण अनाज की औसत कर्षण-दूरी और इससे होने वाली आमदनी कम हो जायेगी । लेकिन अनाज के यातायात पर भाड़े की दर बहुत कम है और अनाज के यातायात में काम आने वाले माल-डिब्बे ऐसे यातायात के लिए इस्तेमाल किये जा सकेंगे, जिनकी भाड़ा-दर अधिक होती है । अतः माल-यातायात से आमदनी में कुछ वृद्धि होनी चाहिए ।

सूती तथा बालों के औद्योगिक पट्टे और होज-पाइपों का निर्माण

4613. श्री अ० दीपा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या देश में सूती तथा बालों के पट्टे और होज-पाइप बना रही मिलों को उनके पुनर्वास के लिये सहायता और अनुदान देने का कोई प्रस्ताव है ; और
 (ख) यदि हां, तो इस दिशा में निर्णय कब किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूत और बालों से बनने वाले पट्टों और होज पाइपों का उत्पादन

4614. श्री अ० दीपा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में सूत और बालों से बनने वाले पट्टे और होज पाइप (सूती) बनाने के लिये अपेक्षित अनुमति के बिना ही बहुत से करघे लगाये गये हैं ;

(ख) क्या इस मामले में जांच का आदेश दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है और कितने व्यक्तियों तथा कम्पनियों पर अभियोग चलाये गये हैं ; और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल के ईस्टर्न बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के बारे में अनुमति के बिना करघे लगाये जाने के सम्बन्ध में जांच का आदेश दिया गया है ?

वाणिज्य-मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (घ). जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा के फूलबनी जिले का सर्वेक्षण

4615. श्री अ० दीपा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के फूलबनी जिले में खनिज सम्पत्ति का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां पर इस सर्वेक्षण की आवश्यकता का अनुभव करती है ; और

(घ) क्या इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). हां, महोदय । जिले का प्रारम्भिक खनिज सर्वेक्षण लगभग पूरा हो गया है । हाल के वर्षों में जिले के कुछ भागों में आधुनिक टोपोशीटों पर पद्धतिपूर्ण भूवैज्ञानिक खनिज सर्वेक्षण भी किया गया है । अब तक किये गये सर्वेक्षणों के फलस्वरूप इस जिले में राटाकांडी के स्थान पर कुछ बिना महत्व की मिट्टियां, तुमुदिबांध में ग्रेफाइट, ताराभा में रौक क्रिस्टल, जयपुर, जयपुर पंखीमहल और गोछापाड़ा में कैल्कतूफा, सीतलपानी में मैंगनीज, कुरुमुंडा, तल्हाबल, लंडी बांध, खेजरपाड़ा, टीकरासाही, मुक्ता-पारा, बामरा, शामसुन्दरपुर, मरसुन्दी और दूसरे स्थानों पर अभ्रक और बारापल्ली, ताकूद, देवगढ़ और दोदिरमल में स्टिलबाइट पाई गई है, परन्तु उनमें से कोई भी वाणिज्य और आर्थिक महत्व की नहीं हैं ।

(ग) और (घ). राष्ट्र संघ स्पेशल फन्ड की सहायता से सम्भावित खनिज पदार्थों का मूल्यांकन करने के लिये और चट्टान की बनावट के ढांचे का पता लगाने के लिये उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ फूलबनी जिले में हवाई सर्वेक्षण की एक योजना राज्य सरकार से प्राप्त हुई है। मामले पर विचार किया जा रहा है।

वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4616. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कितने सरकारी क्षेत्र के निगम तथा स्वायत्तशासी निगम स्थापित किये गये हैं ;

(ख) कौन सी विज्ञापन एजेंसी उनके प्रचार का कार्य कर रही है ;

(ग) क्या वह पूर्णतया भारतीय मलकियत वाली एजेंसी है ; और

(घ) उन्हें 1966 तक कितनी कमीशन दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) पांच।

(ख) से (घ). राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी सभा-पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-2033/67] अन्य दो निगमों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के निगम तथा स्वायत्तशासी निगम

4617. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कितने सरकारी क्षेत्र के निगम तथा कितने स्वायत्तशासी निगम स्थापित किये गये हैं ;

(ख) कौन सी विज्ञापन एजेंसी उनके प्रचार का कार्य कर रही है और क्या वह पूर्णतया भारतीय मलकियत वाली एजेंसी है ; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1966 तक उन्हें कितनी कमीशन दी गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चेन्ना रेड्डी) : (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मद्रास में अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग और व्यापार मेला

4618. श्री चेंगलराया नायडू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार मद्रास में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मेले में भाग लेने के लिये सहमत नहीं हुई है ;

- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;
 (ग) मेले के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ;
 (घ) इस मेले में भाग लेने के लिये कितने देशों ने इच्छा व्यक्त की है ; और
 (ङ) अमरीका को भी इस मेले में भाग लेने पर सहमत करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

- (ख) कारण यह दिया गया है कि मेले में सरकारी तौर पर भाग लेने का प्रबन्ध करने के लिये निधियों का आवंटन प्राप्त करने में अमरीकी वाणिज्य विभाग असमर्थ रहा है ।
 (ग) मेला 12 जनवरी से 17 फरवरी, 1968 तक होगा ।
 (घ) अब 15 देशों ने मेले में भाग लेने की इच्छा प्रकट की है ।
 (ङ) मेले में अमरीका द्वारा भाग लिये जाने को सुनिश्चित करने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किये गये हैं परन्तु उनमें कोई सफलता नहीं मिली ।

केलों का निर्यात

4619. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 1965 तथा 1966 में ठीक-ठीक कितनी मात्रा में केला समुद्री जहाज द्वारा विदेशों को भेजा गया था ;
 (ख) सहकारी समितियों को कितना क्रय मूल्य दिया गया था ;
 (ग) (1) पैकिंग (2) जहाजों को दिये गये किराये तथा (3) अधीक्षण तथा अन्य कामों के लिये रखे गये कर्मचारियों के वेतन आदि पर कितना व्यय किया गया ;
 (घ) रूस से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई तथा खर्च आदि निकाल कर कितनी राशि प्राप्त हुई ; और
 (ङ) शुद्ध लाभ अथवा हानि कितनी थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 1965-66 और 1966-67 के दौरान क्रमशः 9149 और 12003 टन केला निर्यात किया गया था, जिसमें से 1046 और 5366 मीट्रिक टन केला रूस को क्रमशः 1965 और 1966 में प्रायोगिक और विकास आधार पर निर्यात किया गया था ।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा सहकारी समितियों को 1965 और 1966 में क्रमशः 3.91 लाख रु० और 25.86 लाख रु० का क्रय मूल्य दिया गया ।

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा 1965 और 1966 के दौरान किया गया व्यय इस प्रकार है :

	1965	1966
(एक) बैंकिंग सामग्री पर	2.15 लाख रु०	9.75 लाख रु०
(दो) किराये पर	6.27 " "	22.57 " "
(तीन) कर्मचारियों पर	0.54 " "	1.15 " "

(घ) 1965 और 1966 के लिये रूस से प्राप्त सकल तथा शुद्ध राशियां इस प्रकार हैं :

	1965	1966
सकल राशि	6.95 लाख रु०	47.35 लाख रु०
शुद्ध राशि	6.81 " "	41.92 " "

(ङ) 1965 और 1966 के दौरान शुद्ध हानि इस प्रकार हुई :

	1965	1966
शुद्ध हानि	6.48 लाख रु०	14.96 लाख रु०

Railway Lines in Madhya Pradesh

4620. **Shri Nathuram Ahirwar** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demand to construct a Railway line between Lalitpur (Jhansi) Station and Tikamgarh-Chhatarpur-Panna-Satna in Madhya Pradesh is being made for the last many years ; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Due to the present difficult ways and means position it is not possible to consider this proposal in the near future and it will have to wait for better times.

फीरोजपुर डिवीजन में अनुसचिवीय कर्मचारियों का संवर्ग निर्धारित करना

4621. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के फीरोजपुर डिवीजन में अनुसचिवीय कर्मचारियों के संवर्ग पिछली बार 1949-50 में निर्धारित किये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि संचालन कर्मचारियों में वृद्धि के फलस्वरूप काम के बढ़ जाने के बाद भी कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मण्डल की कार्मिक शाखा में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने के लिये प्रायोजित कार्य-विश्लेषण इस कारण स्थगित कर देना पड़ा क्योंकि सभी रेलों में स्थापना सम्बन्धी मामलों की कार्यविधि के सरलीकरण के सम्बन्ध में सामान्य अध्ययन शुरू किया गया था । इसी बीच प्रशासकीय खर्च में मितव्ययिता की भारी आवश्यकता को देखते हुए, लिपिक वर्गीय पदों में भर्ती पर सामान्य प्रतिबन्ध लगा दिया गया । यह प्रतिबन्ध अभी जारी है ।

उत्तर रेलवे डिवीजनों में अवकाश पर गये लोगों के स्थान पर काम करने वाले अनुसचिवीय कर्मचारियों की संख्या

4622. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के विभिन्न डिवीजनों में अनुसचिवीय कर्मचारियों की संख्या के बारे में विभिन्न आधार अपनाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ डिवीजनों को अवकाश पर जाने वाले लोगों के स्थान पर कार्य करने के लिये कर्मचारी रखने की अनुमति नहीं दी जाती ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनुसचिवीय कर्मचारियों की कमी के कारण कुछ डिवीजनों में, जैसे फीरोजपुर में, अनुसचिवीय कर्मचारियों को अर्जित अवकाश नहीं दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान रेलवे कर्मचारियों की अनुपस्थिति

4623. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में रेलवे कर्मचारियों की अनुपस्थिति को बिना वेतन की छुट्टी माना गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस छुट्टी को देय छुट्टी मानने के लिये कर्मचारियों से कोई अभ्या-वेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) मामलों पर उनके गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की गयी ।

नारियल जटा का निर्यात

4624. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारियल जटा का निर्यात कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) जहाज में लादने से पहले अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जाता है । उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के लिये अनुसंधान किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त नारियल जटा के उत्पादों को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

4625. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को मैंगनीज अयस्क के निर्यात के मामले में पिछले दिनों काफी धक्का लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो कमी वाले वर्षों तथा वृद्धि के वर्षों की तुलना में वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) 1957 के दौरान मैंगनीज अयस्क का निर्यात 19 लाख टन तक पहुंच गया था । बाद में यह 1962 में घट कर 9 लाख टन रह गया । 1964 में निर्यात धीरे-धीरे बढ़ कर 15 लाख टन हो गया । तत्पश्चात यह 12-13 लाख टन पर स्थिर हो गया । 1967 में इसके लगभग 12 लाख टन होने की सम्भावना है । निर्यात में इस कमी का मुख्य कारण प्रतिस्पर्धा है जोकि निम्न कारणों से है :

1. इस्पात उद्योग में मैंगनीज अयस्क की मांग की कमी होना ।
2. मैंगनीज के उत्पादन में वृद्धि होना ।
3. स्वेज नहर के बन्द हो जाने के कारण भाड़े पर असर पड़ना ।

चन्दा जिले में एक निम्न तापीय कार्बनीकरण कारखाने की स्थापना

4626. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सुझाव के अनुसार, सरकार का

विचार महाराष्ट्र राज्य के चन्दा जिले में एक निम्न तापीय कार्बनीकरण कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सुना गया है कि क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य में एक निम्नताप वाला कार्बनीकरण प्लांट स्थापित करने की सम्भावना की जांच कर रही है। यह प्रस्ताव अभी जांच की ऐसी प्रारम्भिक अवस्था में है कि ऐसा कोई अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि इसको कार्यान्वित करने के लिये यह कब अन्ततः हाथ में ले लिया जायेगा। इसलिये इस अवस्था पर इसको पूरा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

**Disappearance of Railway Tickets for Bombay from Kapseti
Railway Station (N. Rly.)**

4627. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government had received information regarding the disappearance of some tickets for Bombay in 1965-66 from Kapseti Station on the Northern Railway, if so, the date on which this information was received and the number of tickets reported to have disappeared :

(b) the number of such tickets collected, the dates on which collected and the dates on which these tickets were issued ; and

(c) the action taken by Government in the matter and the facts that came to light ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. The Divisional office, Lucknow, received the information on 30th December, 1965. The number of tickets reported lost was 200, out of which 100 were for Dadar and 100 for Bombay V. T.

(b) 43 of those tickets were collected at the destination between 26th June and 30th October, 1965 as verified from the Collected Ticket Register but since the collected tickets are not available, verification of date of issue of each individual ticket is not possible.

(c) It has not been possible to fix responsibility for the theft and fraudulent issue of these tickets, but, as the authority responsible for safe keeping of printed tickets, the Station Master has been held responsible for the loss of them. Disciplinary proceedings against him are in progress.

Export of Tea

4628. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to devaluation of currency by the Ceylon Government, India's Tea export trade would suffer very badly ;

(b) if so, the reaction of Government in this regard ; and

(c) the extent of loss in trade as a result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :
(a) to (c). It is too early to assess with any degree of accuracy the effect which Ceylon's devaluation will have on the world market of tea. Government, therefore, propose to watch the developing situation. It is premature to judge whether there would be any "loss of trade" or the extent thereof.

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से टायरों का आयात

4629. श्री यशपाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से स्कूटरों तथा मोटरों के टायरों का आयात करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Thefts in Barauni and Dhanbad Railway Yards

4630. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of theft cases in Barauni railway-yard of North Eastern and Eastern Railway and Dhanbad railway yard of the Eastern Railway during the last one year, the value of goods stolen and the amount of compensation paid to the persons concerned ;

(b) whether investigations were held into the said theft cases and if so, the results thereof ;

(c) whether some high officers of Railways were also found involved in the theft cases and if so, the action taken against them ;

(d) whether Government propose to construct walls around the said yards with a view to check the recurrence of theft cases ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) There has been no such thefts in Dhanbad Railway yard, Eastern Railway while only five cases involving property worth Rs. 2,520/- were reported during 1966 in Barauni Railway yard on North Eastern Railway. Station-wise figures for compensation paid are not maintained.

(b) Yes, the result of investigation is being ascertained.

(c) No.

(d) No. The existing preventive measures are considered adequate.

(e) Does not arise.

Pit-Head Baths at N.C.D.C. Collieries

4631. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Coal Development Corporation have provided pit-head baths at all collieries for the workers to take their baths following the practice in foreign countries ;

(b) whether it is also a fact that all these pit-heads are either lying unutilized or the ration and other articles are being stored in them ;

(c) if so, the justification for introducing such a scheme and whether Government propose to take any action against the officers responsible for doing this ; and

(d) the total expenditure incurred by the Corporation on the construction of these pit-head baths ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). The pit-head baths provided by the National Coal Development Corporation, in their collieries, are in accordance with the standards prescribed in the Pit-Head Bath Rules under the Mines Act. The pit-head baths are generally utilised in all the collieries excepting in a few collieries where the workers prefer to use the facility of water connections provided in the quarters. The pit-head bath at Saunda colliery only is being used as a store with special permission of the Coal Mines Welfare Organisation.

(d) Rs. 14.33 lakhs approximately.

भारतीय सीमेंट निगम द्वारा जांच

4632. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम द्वारा आंध्र प्रदेश के कुट्टापा जिले के येरागुण्टला में की गई जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्खदीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर सीटों का आरक्षण

4633. **श्री सूरजभान** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन के लिये, जो सैनिक और औद्योगिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन है, पहले दर्जे और तीसरे दर्जे की सीटों के आरक्षण का कोई कोटा नियत नहीं किया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). सैनिक कर्मचारियों के लिये अम्बाला छावनी से पहले दर्जे की शायिकाओं के नीचे लिखे कोटे नियत किये गये हैं :

	गाड़ी	नियत कोटा
57	पठानकोट एक्सप्रेस (अम्बाला छावनी-पठानकोट)	पहले दर्जे की 2 शायिकाएं
36	शिमला डाकगाड़ी (अम्बाला छावनी-कालका)	"
335	सवारी (अम्बाला छावनी-पटियाला)	"
339	सवारी (अम्बाला छावनी-मलोट)	"

सामान्य जनता के लिए शायिकाओं और सीटों का कोटा नियत करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और यदि औचित्य हुआ तो कोटा नियत कर दिया जायेगा ।

Employment of S. C. and S. T. persons in Bhilai Steel Plant

4634. **Shrimati Agam Das Guru Minimata** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether 15 per cent posts in the category of employees getting salaries upto Rs. 200 per mensem in the Bhilai Steel Plant have been filled up by the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) and (b). At present, the percentage of employment of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Bhilai Steel Plant in posts corresponding to Class IV is 14 and 5 per cent and in Class III 3 and 4 per cent, respectively. The employment of such persons in some cases is below the prescribed limit on account of non-availability of suitably qualified persons in adequate numbers.

Filling up of posts in Bhilai Steel Plant

4635. **Shrimati Agam Dass Guru Minimata** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an assurance was given by him to the workers in Bhilai Steel Plant that posts of workers and other employees upto Rs. 200 per mensem would be filled up from the local people ; and

(b) if so, whether the said assurance has been implemented ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) and (b). According to the policy laid down by Government for all public sector undertakings, first

preference in the matter of recruitment is required to be given to persons displaced from areas acquired for the project, especially those of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. However, in the recruitment of skilled workers, clerks and other non-technical staff whose scales of pay are comparatively low, preference is to be given only so long as the basic qualifications and experience are forthcoming. Since all such vacancies are generally to be filled through the Employment Exchanges close to the Project, the chances are that these posts go to local people. Instructions to this effect have been given to the Plant authorities and this is being implemented.

आयात सम्बन्धी करार

4636. श्री गा० शं० मिश्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी मुद्रा की गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार लागत बीमा भाड़ा अथवा लागत और भाड़े के आधार पर किये गये आयात करारों को समाप्त करना वांछनीय समझती है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस बात को ध्यान में रखा है कि एफ० ओ० बी० अथवा एफ० ए० एस० के आधार पर किये गये आयात सम्बन्धी करारों तथा जीवनबीमा निगम के माध्यम से बीमा करवाने तथा भारतीय जहाजों अथवा कांफ्रेंस लाइन्स के जहाजों से माल ढोने से काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत हो जायेगी जो सी० आई० एफ० और सी० एण्ड एफ० ठेकों में बीमे और भाड़े पर खर्च हो जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) सरकार की नीति 'जहाज तक निःशुल्क' के आधार पर खरीदने और 'लागत बीमा भाड़ा के आधार पर बेचने की है। सरकार के सभी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सामान्यतः इस नीति का पालन किया जाता है। जहां तक निजी क्षेत्र का सम्बन्ध है, उनके लिये विदेशी मुद्रा विनियमों में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है।

(ख) इस बात को ध्यान में रखा गया है कि उक्त नीति के अनुसार व्यापार करार करने के परिणामस्वरूप भारतीय जहाजों में माल भेजने से देश को काफी विदेशी मुद्रा की बचत होती है।

(ग) सरकार पहले से ही 'जहाज तक निःशुल्क' के आधार पर आयात करार करने की नीति को अपना रही है। इस प्रकार भारत सरकार अधिकतम मात्रा भारतीय जहाजों में भेजती है जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है।

मध्य प्रदेश के कोयले के मूल्यों में वृद्धि

4637. श्री गा० शं० मिश्र : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में कोयले के मूल्यों में पांच रुपये प्रति टन के हिसाब से

वृद्धि की गई है किन्तु मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादकों ने कोयले के दामों में चार रुपये प्रति टन की वृद्धि पर आपत्ति की है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में कोयला उद्योग, जो पहले ही प्रोत्साहन न मिलने के कारण नुक्सान उठा रहा था, अब बन्द होने वाला है, विशेषकर मजूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू होने तथा कोयले पर से नियंत्रण हटाये जाने के पश्चात यह उद्योग बन्द होने वाला है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में कोयला उद्योग में लगी हुई पूंजी अन्य उद्योगों में लगाई जाने लगी है, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की 'छटनी' होगी ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो मध्य प्रदेश में कोयला उद्योग को सुदृढ़ आर्थिक आधार पर चलाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य में कोयला उद्योग के बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी). (क) अब कोयले के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं। अब कोयले का मूल्य खरीदने वाले तथा बेचने वाले आपस में तय करते हैं।

(ख) और (ग). मध्य प्रदेश में कोयला उद्योग के बन्द होने अथवा पूंजी के अन्य उद्योगों में लगाये जाने के विषय में सरकार को कोई ज्ञान नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) इस विषय का कोई प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ।

Export Duty on Coir Industry

4639. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian Coir Industry has demanded the abolition of export duty ;

(b) the decision taken by Government in regard thereto ; and

(c) the value of coir goods exported during 1966-67 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) Yes, Sir.

(b) The matter is under constant examination.

(c) The value of coir goods exported during 1966-67 was Rs. 13.71 crores.

उत्तरपाड़ा स्टेशन के निकट दुर्घटना

4640. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस की उत्तरपाड़ा के निकट एक स्थानीय गाड़ी के साथ बड़ी टक्कर हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) पिछले छः मास में भारतीय रेलों पर कितनी दुर्घटनाएँ हुईं ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या उक्त दुर्घटना में किसी विदेशी का हाथ था ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) . 29-11-67 को लगभग 21.30 बजे जब नं० टी 43 अप तारकेश्वर स्थानीय गाड़ी उत्तरपाड़ा स्टेशन की अप मुख्य लाइन पर खड़ी थी तो नं० 11 अप हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस इसके पिछले हिस्से से टकरा गयी । इससे 21 यात्रियों को हल्की चोटें आयीं । स्टेशन पर अथवा उत्तरपाड़ा के सिविल अस्पताल में मरहम पट्टी के बाद सभी घायलों को छुट्टी दे दी गयी ।

(ग) पिछले 6 महीनों में अर्थात् जून, 67 से नवम्बर, 67 तक की अवधि में भारत की सरकारी रेलों में टक्कर होने, पटरी से उतरने, समपारपर गाड़ियों के सड़क यातायात से टकराने और गाड़ियों में आग लगने के वर्गों के अन्तर्गत कुल मिलाकर 599 गाड़ी दुर्घटनाएँ हुईं ।

(घ) जी नहीं ।

Overbridge at Lonavela City Crossing Road

4641. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bombay Division of the Central Railway has decided to construct an over-bridge at Lonavela city crossing road ; and

(b) if so, when the construction is likely to be taken up ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

Earnings of Suburban Local Trains of Bombay Division

4642. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total earnings of suburban local trains in the Bombay Division on the Central Railway during the period from 1st April, 1966 to 30th March, 1967 ;

(b) the daily passenger traffic of the said trains ; and

(c) whether it is a fact that the suburban train Department is running at profit and if so, the extent thereof?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) The total earnings during the year from 1st April, 1966, to 31st March, 1967, were Rs. 6,13,66,266.

(b) 10,37,146.

(c) These services are not running at a profit.

Use of Hindi Equivalents of Words at Railway Stations

4643. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a collection of Hindi equivalents of words in use at Railway Stations has been sent to all the Railway Stations ; and

(b) if not, whether arrangements are being made to get such a collection prepared and supply the same to all stations ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (b) Presumably, the reference is to words and expressions commonly used in sign-boards and notices displayed at Railway stations. A list of English-Hindi equivalents of such words and expressions was compiled some time back and printed copies thereof were supplied to the Zonal Railway, with instructions that the standardized Hindi equivalents should be adopted in all sign-boards and notices displayed at Railway stations.

Closing Down of Railway Lines

4644. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railways are undergoing heavy losses on different Railway lines ;

(b) whether the Central Government have issued instructions to State Governments for improving road transport with a view to close down certain Railway lines ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes, on certain sections the Railways do incur a heavy loss.

(b) Certain State Governments have been requested to confirm that road transport can be so augmented as to take care of the traffic at present being carried by rail on sections which are unremunerative.

(c) A study of the uneconomic lines has been in progress. Examination in some cases having been completed instances were noticed where road transport could, without difficulty and without detriment to the economy of the area, replace rail transport. The State Governments have accordingly been requested to confirm whether there would be any difficulty in making necessary arrangements for such additions to road transport as may be found necessary in case the closure of these branch lines becomes necessary.

The number of such lines regarding which references to State Governments have been made is fourteen. Their particulars are shown in the statement attached. **[Placed in Library. See. No. LT-2034/67]**

Conversion of Delhi-Ahmedabad Line into B. G.

4645. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration to convert the portion of Delhi-Ahmedabad Railway line in Rajasthan into a broad-gauge line ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) the steps so far taken or proposed to be taken to connect important cities of Rajasthan with a broad-gauge line ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) This proposal is not justified at present on traffic considerations.

(c) Rajasthan is well served by a network of M. G. lines. In addition, two lines are under construction (a) Hindumalkot-Sriganganagar (B. G.), (b) Jaisalmer-Pokaran (M. G.).

Export of Tea and Jute

4646. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state ;

(a) the amount of foreign exchange earned so far during this year by exporting jute and tea and whether there is some improvement this year as compared to the figures of last year ;

(b) the extent to which our export business has received a set-back in the recent past on account of Pakistan's competition in jute export and Ceylonese competition in respect of tea export ; and

(c) whether Government have prepared any special scheme this year for encouraging the export of these items and if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) The amount of foreign exchange earned in respect of jute manufactures and tea during this year as compared to the figures of last year is indicated below :—

Jute Manufactures	Value of Exports (in crores of rupees)
April '67-Aug '67	105.58
April '66-Aug '66	102.45 (post devaluation)
Tea	Value of Exports (in crores of rupees)
April '67-Aug '67	48.76
April '66-Aug '66	47.36 (post devaluation)

It will be thus seen that the foreign exchange earnings in respect of both these items during the current year has shown some improvement over the corresponding period of 1966.

(b) Since 1964-65 exports of jute goods have been declining. This decline is due to various factors such as short crop in India during successive years, competition from synthetics, growth of jute mills in other countries and competition from Pakistan. The exports have, however, shown some improvement in the first five months of the current year.

Since 1964-65, exports of tea also showed a downward trend. This is attributable to higher internal consumption and competition from other tea producing countries including Ceylon. But exports of tea have picked up during the current year.

(c) There is no special scheme for export promotion of jute goods. However, various measures are taken to increase their exports by way of increased production of raw jute, vigorous research programme to find out new and diverse uses for jute goods to provide greater outlet for these goods, compulsory pre-shipment Inspection and Quality Control, long-term Trade Agreements with East European countries with specific provision for export of jute goods and reduction in export duties.

In the case of tea, Government have sanctioned a scheme for launching 100% Indian tea packets and bags through a net work of super markets in the U. S. A. at a total cost of \$ 114,000 for a period of three years in the first instance. Besides various measures are taken to promote the image of Indian tea abroad such as intensive consumer sampling through participation in exhibitions, demonstrations and displays in departmental stores, prominent hotels and important social gatherings, advertising through the press and radio, promoting introduction of Indian packs of tea by the leading blenders and packers and maintaining adequate public relations, the techniques varying in emphasis and operation from country to country and from time to time.

Hindustan Zinc Ltd., Udaipur

4647. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the total amount invested by the Central Government so far in the establishment of a factory owned by Hindustan Zinc Ltd., Udaipur (Rajasthan) and when the production of zinc is expected to commence there ;

(b) the amount paid so far to the Metal Corporation of India, the former management concern of this factory, by way of compensation, and if it has not been paid ; when this amount is likely to be paid and the action taken by Government in this regard so far ; and

(c) the extent of profit earned by the factory after its having been taken over by Government and the extent of increase in expenditure on staff and other amenities etc. ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) The total amount invested by the Central Government, as on 14.12.1967, in the Hindustan Zinc Limited is Rs. 993.75 lakhs for the construction of zinc smelter and for expansion of the lead-zinc ore mines at Zawar which will supply raw material for the smelter. The smelter is expected to be commissioned shortly.

(b) No compensation has yet been paid to the Metal Corporation of India for acquisition of its undertaking. The Government of India are at present assessing the quantum of compensation payable to the Company in accordance with the provisions of the Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Act, 1966 (No. 36 of 1966).

(c) The zinc smelter has not yet gone into commercial operation and hence the question of profit does not arise for the present. The increase in the expenditure on the staff after the take over from the Metal Corporation of India is about Rs. 24 lakhs per year, of which about Rs. 15 lakhs is on account of additional dearness allowance granted to the staff as per Awards of the Arbitrator and about Rs. 9 lakhs on account of new appointments of staff mainly for the

zinc smelter. The increase on other amenities to the staff like transport facilities, leave facilities, medical facilities and leave travel concession to workmen is about Rs. 4 lakhs per year.

Railway Line Between Chittor and Kota

4648. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the action taken so far in regard to the construction of a Railway line between Chittor and Kota and whether any survey thereof has been conducted ;

(b) when Government propose to start construction thereof and the details of the proposals ; and

(c) whether Government are considering to allocate funds in the next Budget in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) to (c). A fresh traffic survey for this line was carried out recently and the traffic survey report has been examined. This 179 Kms. long line is estimated to cost Rs. 10.01 crores for B. G., and Rs. 8.34 crores for M. G. The line is seen to be heavily unremunerative, yielding a return of (—) 1.85% for B. G. and 1.17% for M. G. in the sixth year of opening. The proposal for construction of Kotah-Chittorgarh line is not being pursued on account of its unremunerative character.

रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर

4649. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1960 से 1967 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सिफारिश समिति की सिफारिशों के अनुसार पदोन्नत किये गये चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की संख्या, विशेषकर सी० एण्ड डब्लू०, सफाई, चिकित्सा और संचालन विभागों के अधीन गैंगमैनों और भंगियों की संख्या अब भी कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Suspension of Railway Employees on North-Eastern Railway.

4650. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total number of Railway employees suspended from service on the North-Eastern Railway during the year 1966-67 ;

(b) the number of those who were paid subsistence allowance and the amount thereof during the said period :

(c) the number of those who have not been paid such allowance so far and the reasons therefor as also the amount of arrears that have accumulated on that account ; and

(d) the extent of man-days lost by the Railways due to the suspension of these Railway employees ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha). (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

रूरकेला इस्पात कारखाने को घाटा

4651. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रबन्धकों द्वारा बिजली घर के कण्डेंसर पाइप को साफ न कर सकने के कारण, रूरकेला इस्पात को प्रतिदिन 20,000 रुपये का घाटा हो रहा है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में जर्मनी के विशेषज्ञों के प्रतिवेदन पर उचित ध्यान दिया गया है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या दीर्घकाल से की जा रही इस उपेक्षा के लिये किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वी अफ्रीका को रेलवे के डिब्बों की सप्लाई

4652. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश की इंजीनियरिंग फर्मों ने पूर्वी अफ्रीका को बड़ी संख्या में रेलवे के माल डिब्बे सप्लाई करने के लिए ऋयादेश प्राप्त किए हैं ;

(ख) क्या सम्बन्धित ठेके में यह व्यवस्था की गई है कि इन माल डिब्बों के लिये ढले हुए इस्पात की बोगियों का ब्रिटेन से आयात किया जाना चाहिए ;

(ग) क्या यह सच है कि देश में इस प्रकार की बोगियां बनाई जा सकती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फरूद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां । मेसर्स जेसप एण्ड कम्पनी ने ईस्ट अफ्रीकन रेलवेज एण्ड हार्बर्स से छोटी लाइन के 247 बन्द माल डिब्बों के सम्भरण का आर्डर प्राप्त किया है ।

(ख) जी, हां । संविदा की शर्तों में 'ग्लूसेस्टर' किस्म के ढले इस्पात की बोगियां भी आर्डर दिये पर सम्भरण करने वाले डिब्बों में सम्मिलित हैं ।

(ग) संविदा में निहित 'ग्लूसेस्टर' किस्म की इस्पात की बोगियों के निर्माण की क्षमता अभी देश में स्थापित नहीं हुई है।

(घ) निर्यात के आर्डर देने में सम्भरणकर्ताओं को खरीदारों द्वारा निर्धारित विशिष्ट विवरणों का पालन करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है।

अलौह धातुओं का निर्यात

4653. श्री म० सुदर्शनम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलौह धातुओं का सारा आयात सरकार द्वारा प्रायोजित एक ही एजेंसी के माध्यम से करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई अभ्यावेदन आये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर में सीमेंट बनाने का कारखाना

4654. श्री मेघचन्द्र : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के सीमेंट बनाने के प्रस्तावित कारखानों को समाप्त करने का सरकार ने निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कारखाना स्थापित करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्खदीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) मनीपुर सरकार अभी इस परियोजना का तकनीकी तथा आर्थिक अध्ययन कर रही है और संयंत्र की स्थापना के बारे में निर्णय तब किया जायेगा जब उसे इस बात की तसल्ली हो जायेगी कि सीमेंट बनाने में उपयुक्त चूने के पत्थर की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और वह निर्णय प्रक्रिया के बारे में संतुष्ट हो जायेगी।

मनीपुर की हथकरघा वस्तुओं के इम्पोरियम (प्रदर्शनालय)

4655. श्री मेघचन्द्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में तथा अन्य राज्यों की राजधानियों में मनीपुर की हथकरघा तथा दस्तकारी की वस्तुओं के इम्पोरियम (प्रदर्शनालय) खोलने के लिये सुविधायें दे रही है ;

(ख) क्या मनीपुर सरकार ने ऐसी सुविधायें लेने के लिये औपचारिक रूप से कोई प्रार्थना की थी ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा इम्पोरियम खोलने के लिये सुविधायें देने के हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) . दिल्ली में ही एक इम्पोरियम के निर्माण के लिये भूमि के एक प्लॉट के आवंटन के लिये मनीपुर सरकार से एक प्रार्थना प्राप्त हुई है जो कि निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के विचाराधीन है ।

मनीपुर में सहकारी कताई मिल की स्थापना

4656. श्री मेघचन्द्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र में जिस सहकारी कताई मिल परियोजना को सरकारी पूंजी से स्थापित करने का प्रस्ताव तथा आयोजन किया गया था उसे अन्त में समाप्त कर दिया गया तथा संस्था का विघटन कर दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो मिल के लिये अंशधारियों तथा अन्य साधनों से कितनी धनराशि इकट्ठी की गई तथा अब तक कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या अंशधारियों की धनराशि उन्हें वापिस दे दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) 30-4-1967 तक इकट्ठी की गई कुल रकम 57,025 रु० थी और व्यय 10,403.37 रु० था ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

मनीपुर में हथकरघा वस्तुओं का उत्पादन

4657. श्री मेघचन्द्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में मनीपुर में हथकरघा वस्तुओं का कुल कितना उत्पाद हुआ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में धागे की कुल कितनी खपत हुई;

(ग) मनीपुर में हथकरघा उद्योग के विकास करने के लिये 1966-67 में कितनी धनराशि दी गई; और

(घ) बुनकर सहकारी समितियों को 1966-67 में कितना ऋण तथा अनुदान दिया गया तथा इस अवधि में जिन समितियों को ऋण अथवा अनुदान दिया गया उनके नाम तथा उनको दी गयी राशि पृथक-पृथक कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 7.20 करोड़ रु० ।

(ख) पांच-पांच किलोग्राम के 10 लाख बन्डल ।

- (ग) 1966-67 के दौरान कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई थी ।
 (घ) जिन समितियों को यह सहायता दी गई थी उनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Khadi and Village Industries Commission

4658. **Shri J. Sundar Lal** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state ;

(a) the names of organisations which have been closed down so far out of those granted loans by the Khadi and Village Industries Commission and the reasons for their closure ;

(b) the names of the 'Bhandars' which were supplied inferior quality goods by those organisations ;

(c) the action taken by the Khadi and Village Industries Commission against those organisations ; and

(d) the total loss sustained by the Khadi and Village Industries Commission in this behalf?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Branch of Khadi Gramodyog Bhawan in Super Bazar, New Delhi

4659. **Shri J. Sundar Lal** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the agreement under which a branch of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi has opened in Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi and the main terms and conditions of that agreement ;

(b) whether any additional facilities and benefits are being given to the employees working in that branch ;

(c) the estimated average profit or loss per annum from the said branch ; and

(d) whether the Khadi and Village Industries Commission propose to open branches in other Super Bazars also ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) The Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi has not opened a branch in the Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi. At the request of the management of the Super Bazar, it has deputed its staff for running the Khadi Department of the Super Bazar. Copies of the letters exchanged between the Khadi Gramodyog Bhawan and the Super Bazar setting out the terms and conditions of the agreement are laid on the Table of the House **[Placed in the Library. See No.LT-2019/67]**

(b) Staff of the Khadi Gramodyog Bhawan deputed to work in Super Bazar get Rs. 15/- as Super Bazar allowance in addition to their usual emoluments as employees of the Bhawan.

(c) Since the Khadi Department of the Super Bazar is not a Branch of the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi, the question of any profit or loss accruing to the Khadi Gramodyog Bhawan does not arise.

(d) No such proposal is as yet under consideration of the Khadi and Village Industries Commission.

वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापक सर्वेक्षण

4660. श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह विचार है कि औद्योगिक प्रबन्ध अधिकारियों को विदेशों में भेजकर उनसे वस्तुओं का व्यापक सर्वेक्षण तथा विपणन की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये अध्ययन कराये जायें ।

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) इन यात्राओं से क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) और (ख). निम्नलिखित वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के निर्यात प्रोत्साहन प्रभाग द्वारा सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है :

(एक) कपड़े और तैयार वस्त्र ।

(दो) समुद्रीय उत्पाद ।

(तीन) ताजा तथा परिरक्षित फल और सब्जियां ।

(चार) मशीनी औजार ।

(पांच) गर्म मसाले ।

(छः) चमड़ा और चमड़ा उत्पाद ।

(सात) अलौह मैंगनीज ।

(आठ) खली और सम्बन्धित वस्तुएं ।

(2) अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण भारत सरकार के परामर्श से प्रत्येक सर्वेक्षण को किसी भारतीय अनुसंधान संगठन को संविदा के आधार पर देगा । इन सर्वेक्षणों का सम्पूर्ण व्यय अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा वहन किया जायेगा ।

(3) प्रत्येक वस्तु सर्वेक्षण का उद्देश्य उस वस्तु के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की जांच करना है । भारतीय अनुसंधान संगठन उत्पादन और विपणन सम्बन्धी सभी बातों का अध्ययन करेगा और निर्यात नीति के सम्बन्ध में सुझाव देगा । सर्वेक्षण में निर्यात सम्बन्धी बाधाओं का भी अध्ययन किया जायेगा । प्रत्येक वस्तु सर्वेक्षण का समय लगभग 6 महीने होगा ।

(4) अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण में, उन भारतीय उद्योगों के, जो विदेशी

मांगों के अनुरूप उत्पादन कर रहे हैं, 60 मध्यस्तरीय अधिकारियों को प्रतिवर्ष अध्ययन के लिये विदेश यात्रा पर भेजने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है जिनसे उन्हें विदेशी मण्डियों की स्थिति का पता चल सके और यह भी पता चल सके कि उन देशों में किन-किन वस्तुओं की मांग है। अधिकारियों को 8 से 10 व्यक्तियों के ग्रुप में भेजने का विचार है। प्रत्येक ग्रुप विदेश में 13 सप्ताह ठहरेगा। इन यात्राओं का सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा व्यय अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा वहन किया जायेगा।

(ग) इन यात्राओं से सम्भावित लाभ : आशा है कि इन दौरों से भारतके निर्यात व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आशा है कि इन यात्राओं से भारतीय विपणन अधिकारियों को निम्न बातों की जानकारी मिलेगी :

- (एक) वैदेशिक मण्डियों में भारतीय वस्तुओं के लिये अपेक्षित किस्म स्तर।
- (दो) इन मण्डियों में मांग की प्रवृत्ति।
- (तीन) इन तथा प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के मूल्य का ढांचा।
- (चार) वर्तमान विपणन तथा वितरण प्रणाली।

कारतूसों का आयात

4661. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राजकीय व्यापार निगम ने नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया को आयातित कारतूसों का बहुत बड़ा कोटा दिया है; और

(ख) क्या नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा सम्बद्ध राइफल क्लबों तथा लोगों को कारतूसों का समुचित वितरण किये जाने के बारे में राजकीय व्यापार निगम ने कोई शर्तें लगाई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : जी हां।

(ख) जी हां। नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया के साथ किये गये राज्य व्यापार निगम के करार में यह शर्त है कि नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा राइफल क्लब, राइफल एसोसिएशन को माल उनके अपने उपयोग के लिये इस शर्त पर दिया जायेगा कि वे उसे आगे नहीं बेचेंगे।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

छिपे नागाओं के साथ बात

Shri George Fernandes (Bombay-South): Sir, first of all I want a clarification from Government. It is a very serious matter. We heard many a minister on this subject. These talks have been going on for a pretty long time. We should be told about the concrete results of all this. We should also be told as to which ministry of Government is dealing with this subject.

अध्यक्ष : इस विषय को पहले भी उठाया गया है। अब इस प्रश्न को उठाने का समय नहीं है।

Shri George Fernandes: Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon:—

“The terms laid down by Underground Nagas for talks with the Prime Minister such as that Mr. Phizo be allowed to return to India and participate in the talks.”

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : 1966 और 1967 के दौरान, प्रधान मंत्री ने छिपे नागाओं के प्रतिनिधियों से छह बार बातचीत की। इस तरह की आखिरी बातचीत 5 अक्टूबर, 1967 को हुई थी। तब से छिपे नागाओं के प्रतिनिधियों ने बातचीत करने के लिए कोई नई प्रार्थना नहीं की है, इसलिए उनके द्वारा कोई शर्तें अथवा पूर्व शर्तें लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, सरकार का ध्यान हाल की उन प्रेस रिपोर्टों की ओर आकर्षित किया गया है जिनका सम्बन्ध छिपे नागाओं के निकट सूत्रों द्वारा दिये गये कथित बयानों से था। सरकार के पास इस तरह के बयानों के बारे में अधिकृत जानकारी नहीं है; सम्भव है कुछ नागरिकों ने निजी हैसियत से वे बयान दिए हों। इसलिए, सदन इस बात की सराहना करेगा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उठाए गए सवालों का सम्बन्ध काल्पनिक प्रश्नों से है क्योंकि इस विषय पर सरकार के साथ लिखा-पढ़ी नहीं हुई है।

जहां तक बातचीत जारी रखने का सम्बन्ध है, भारत सरकार छिपे नागाओं के प्रतिनिधियों के साथ इस आशा और विश्वास के साथ बातचीत करने को सदा तत्पर रही है कि भारतीय ढांचे के अन्तर्गत, नागालैंड में कोई शांतिपूर्ण समाधान निकल आएगा। सरकार को इस बात का कोई कारण दिखाई नहीं देता कि इस नीति को तब तक क्यों त्याग दिया जाए जब तक कि छिपे नागा लोग युद्ध-विराम के करार की शर्तों का पालन करते हैं। नागालैंड की राज्य सरकार इस नीति का पूर्णरूप से समर्थन करती है।

Shri George Fernandes: First of all I request that this matter should be dealt by Home Ministry and not by External Affairs ministry. Some of the Nagas treat themselves as not belonging to India. It would be better if they are treated as part of India. I want that Prime Minister should clarify this. I want to know whether Government has asked for Mr. Phizo's participation in these talks?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): We also want to see that this problem is solved as early as possible. It makes no difference as to which ministry deals with matter. In regard to Mr. Phizo, I never said that he should take part in talks. My secretary was not asked to arrange for departure of Naga leaders. The Naga leaders changed their dates of departure many times. Thus there was some misunderstanding in regard to booking of berths etc. No one was discourteous to them.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): The Hon. Minister has said that the talks with hostile Nagas will continue, because they are in our interest. The newspapers carry different stories. It is reported that the hostile elements have captured Shivsagar district and they have attacked our military camps at many places and they have kidnapped our civilian officers. All these things are demoralising the Nagaland Government. I want to know whether Nagas are prepared to remain with India and whether demands are within the framework of our constitution and whether Government declare the Nagaland state as disturbed and hand over its administration to military authorities?

Shrimati Indira Gandhi: I fully understand the concern of Hon. Member. We formulate our policy in consultation with the Governments of Nagaland and Assam. They are generally invited when talks take place. The Army authorities are also consulted.

There is some change in their attitude now. Military comes under our Ministry of Defence. The Defence Minister is there in cabinet when decisions are taken. One of the groups of Nagas is still hostile but there is a feeling in people there they should live in peace in Indian union. One group is still to be reconciled to the idea of being a part of Indian union.

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi): I want to know whether it is proper for the Prime Minister of our country to talk with those people who do say that they are not prepared to be citizens of this country?

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, I want to raise a point of order. How far is it correct on the part of Prime Minister to talk to the people who do not agree that they are citizen of this country. It is a disrespect of our constitution. It is contempt of our sovereignty. I would say that Prime Minister should not make such a statement.

सदस्य का रिमांड (प्रतिप्रेषण)

REMAND OF MEMBER

(श्री रामगोपाल शालवाले)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि कल मुझे नई दिल्ली के प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट से निम्न पत्र प्राप्त हुआ है :

“श्री रामगोपाल शालवाले, सदस्य लोकसभा, को मेरे समक्ष पेश किया गया था और उन्हें 16 दिसम्बर, 1967 तक अदालती हिरासत में रखा गया है। इस समय वह दिल्ली के तिहाड़ सेंट्रल जेल में हैं।”

स्थगन प्रस्ताव
MOTION FOR ADJOURNMENT

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत से स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। मैंने कहा था कि मैं कार्यमंत्रणा समिति से मश्विरा करूंगा। कल उसकी बैठक हुई थी। अब मैं केवल एक को ले रहा हूँ। सबसे पहला श्री यज्ञदत्त शर्मा का प्रस्ताव है। इसके लिये सभा की आज्ञा है। इसे हम चार बजे लेंगे।

—
सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड का 1966-67 के लिये प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

- (1) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4196 की एक प्रति जो दिनांक 30 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2019/67]
- (2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2020/67]

—
कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

ग्यारहवां प्रतिवेदन

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : Mr. Speaker, I move that this House agrees with the Eleventh Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 14th December, 1967.

Shri George Fernandes (Bombay South) : I beg to move this amendment that this Report should be sent back.

I want to know as to when the Report of Hazari Committee would be discussed in the House.

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रस्ताव यह है कि इस प्रतिवेदन को कार्य मंत्रणा समिति के पास भेज दिया जाये।

Shri George Fernandes : I propose that the Report be sent back to the committee. I also want to know when the Hazari Report is going to be discussed.

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात समझ ली है। आपका संशोधन सभा के मतदान के लिये रखा जायेगा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मैं स्वयं उपस्थित था। सभी निर्णय मेरी सहमति से हुए।

Shri George Fernandes : I beg leave to withdraw the motion.

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : प्रस्ताव को वापिस लेने के लिये भी सभा की अनुमति आवश्यक है।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

Amendment was by leave withdrawn

अध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० राम सुभग सिंह के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह है :

“कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से, जो 14 दिसम्बर, 1967 को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, what about extension of time for the present session.

अध्यक्ष महोदय : यह मामला भी कार्य मंत्रणा समिति के सम्मुख रखा गया था और यह निर्णय किया गया था कि हम इस सबको अधिक से अधिक 23 दिसम्बर तक बढ़ा सकते हैं।

राजभाषा (संशोधन) विधेयक

तथा

राजभाषा के बारे में संकल्प—जारी

OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) BILL

AND

RESOLUTION Re : OFFICIAL LANGUAGES—Contd.

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : It is the extremist element who are standing in the way of development of Hindi. The younger generation is being instigated by Hindi protagonists. They have started pulling down the signboards written in English and number plates of Motor cars are being removed. I want to ask whether Jan Sangh is not responsible for these violent

tendencies? Was it proper on the part of two U. P. Ministers to defy prohibitory orders here? However Government should also have treated them in more befitting manner. We should consider the question of development of Hindi dispassionately. There has been reaction of these provocations in Tamilnad and Hindi supporters are responsible for it. The chief Minister of Tamilnad said Hindi films will not be exhibited and Vividh Bharati programme will not be heard. In this amending bill feelings of the people living in non-Hindi areas have been respected. In view of this they should also show friendly gesture.

It has been mentioned in the Bill that Government should submit an annual report on the progress and development of Hindi. Unless there is any definite plan for the development of Hindi, these reports can hardly serve any purpose.

It is felt that more classes have come up in our society after the achievement of independence. There is very much difference in the atmosphere in the Public Schools and other primary schools. The education of English is creating class consciousness. Now this class consciousness is being created in the services also. There is already a feeling that non-English knowing persons are suffering. We should not encourage these things.

I feel that the language issue has been magnified to the extent that even foreign countries have started broadcasting that India is busy in solving their language problem. I think Government should convene a round table conference in which leaders of all the opposition parties, Hindi Journalists and supporters of English should be invited and then we should see whether any compromise formula can be evolved or not. It would reduce opposition of Hindi.

So far the question of official language of the country is concerned, no one can deny that Hindi is official language. It would be better if we use Hindi in the international field also. At the same time we should also learn English so that we may be in touch with the rest of the world.

Shri Meetha Lal Meena (Sawai Madhopur) : In order to put the country on solid foundation, it is necessary to have a national language. I am sure that only Hindi can be our national language. I feel that had the Government taken proper steps for propagation and development of Hindi, this situation would have not taken such a terrible turn. In my opinion Government has created this problem.

The bureaucrats working under Congress Government do not want to use Hindi in day to day administration. They think of the future of their children who are studying in English schools. It is because of their vested interests that they do not allow to make Hindi our official language. Government has not encouraged Hindi in the real sense. Even in Parliament House names like 'lobby' etc. in English. An examination of teachers in the grade of Rs. 170-380 was conducted by Western Railway. The copies of persons who wrote answers in Hindi have not even been checked. This is not the way of encouraging Hindi.

I am not in favour of imposing any language on any one. Neither Hindi should be imposed on non-Hindi speaking people nor English should be imposed on Hindi speaking people. The source of all the regional languages is Sanskrit. English is not the language of the people living in South. We should respect all the regional languages and try to develop them.

Raja Ram Mohan Ray had said that only Hindi could occupy the place of national

language. Shri Bunkim Chandra Chatterjee, Rabindra Nath Tagore, Shri R. C. Dutt and Shri Subhash Chandra Bose have expressed similar views about Hindi. We cannot keep a foreign language as our official language for ever. In view of this the Government and Hindi supporters should make joint efforts for the development of Hindi.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पर पुनः सम्मेलित हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Shri Shashibhushan Bajpai (Khargaon): We should have broad mind to solve the problems of this great country. I thought that we can adopt even the languages of our neighbouring countries as our own. But I was pained to hear Mr. Sezhiyan that Sanskrit and Urdu are foreign languages. Even a foreigner cannot say like that. Urdu has great contribution at its credit, and Hindi has also been developed side by side. The people in Northern India have always been ready to adopt other languages but it is painful to hear that Sanskrit is a foreign language. We have no objections to honour all the 14-15 languages but we should not insist on English. We have to develop atleast one language for the country. I feel that if agitations do not take place, more people will be in favour of Hindi. I am against this agitation because I knew there will be reaction in Tamilnad and something happened.

Shri Ramaswamy Naiker used to start his lecture after breaking the image of Lord Ganesha and always spoke against Sanskrit but his statute was unveiled by our national leaders which is not proper. If somebody tries to disintegrate the country, he may be from North or South, we should not consider his action as unpatriotic one. I am of the view that English should not be imposed on Hindi speaking people. I would appeal to the people who stand for English that they should not hate Hindi. If English is banned for 15 years, socialism can definitely find its place in India.

श्री स० कुण्डू : मुझे न तो अंग्रेजी भाषा से कोई प्रेम है और न अंग्रेजों की सभ्यता से, परन्तु फिर भी मैं परिस्थितियों द्वारा अंग्रेजी में बोलने के लिये विवश किया गया हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण यह कि हमारा शासक दल अपनी निष्क्रियता के कारण हमें कोई राष्ट्रीय भाषा या सम्पर्क भाषा नहीं दे सका।

भाषा आत्मा की अभिव्यक्ति होती है और साहित्य उस भाषा का वहन होता है। यदि हम आत्मा की धड़कन, प्रेम, प्रसन्नता और दुःख की भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहें तो वह लोक-भाषा में ही की जा सकती है। इस सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हो सकती। हम दक्षिण में रहने वाले अपने मित्रों की भावनाओं का आदर करते हैं। परन्तु इसके साथ ही उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उन्हीं के प्रदेश के बड़े-बड़े लेखकों ने जनता की भावनाओं का ऐसी सुन्दर भाषा में चित्रण किया है जिसकी तुलना हम संसार के किसी भी साहित्य से कर सकते हैं।

यदि हमें देश और भाषा में से एक को चुनने के लिये कहा जाये तो हम निश्चय ही देश

को चुनेंगे। जब यह प्रश्न उठता है कि हमें दक्षिण के लोगों को अपने साथ रखना है तो हम उन्हें कुछ रियायत या आश्वासन दे सकते हैं कि हिन्दी उन पर लादी नहीं जा रही।

हम सभी भारत के चित्र को प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल अंग्रेजी बोलने वाले ही इस चित्र को प्रस्तुत नहीं करते। देश की जनता ने इस भाषा को कभी भी नहीं अपनाया और इस भाषा के माध्यम से हमारे देश का चित्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद लोगों के मन में भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न हो गया है। मैं भी इस बात को समझता हूँ कि हिन्दी पढ़े-लिखे लोगों को आज घटिया किस्म के लोग समझा जाता है उन्हें नौकरियाँ नहीं मिलतीं। परन्तु इसके साथ ही मैं हिन्दी के पक्षपातियों से अनुरोध करता हूँ कि वे दक्षिण के लोगों की भावनाओं को समझें। यदि हिन्दी को वहाँ एकदम लागू किया जाये तो वे समझने लगेंगे कि सारा देश उनका नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें इस समस्या का समाधान ढूँढना है।

हमने अपने संशोधन में कहा है कि केन्द्रीय सरकार को जिस भाषा में राज्य का पत्र मिलेगा—अंग्रेजी या हिन्दी—वह उसी भाषा में उस पत्र का उत्तर देगी। अनुवाद भेजने की आवश्यकता ही नहीं। हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं और यह बहुत ही गम्भीर परिस्थितियाँ हैं। जो लोग हिन्दी को लाना चाहते हैं, उन्हें किसी प्रकार के हिंसात्मक कार्य नहीं करने चाहिये। उन्हें बहुत ही संयम के साथ अन्य लोगों की संस्कृति तथा भावनाओं को अपने साथ आत्मसात करना चाहिए।

मैं अंग्रेजी का विरोध करता हूँ। दक्षिण के लोगों को भी अंग्रेजी के माध्यम से हिन्दी की महान् कृतियों का ज्ञान होना चाहिए। उन कृतियों का अनुवाद दक्षिण में परिचालित किया जाना चाहिए। दक्षिण में कितने लोगों को हिन्दी में लिखे साहित्य का ज्ञान है? अभी तक हिन्दी के साहित्य तथा सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार दक्षिण में नहीं किया गया और न ही हिन्दी वालों ने दक्षिण की भाषाओं में लिखित साहित्य का आत्मसात किया है। हमें हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में ग्रहण कर लिये जाने तक इस सम्बन्ध में स्वेच्छा से कार्य करना चाहिये। उस समय तक दोनों प्रदेशों के बीच साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के आदान-प्रदान के लिये अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

Shri K. R. Ganesh (Andaman and Nicobar Islands): The language problem in Andaman and Nicobar Islands has been solved. Where there is no pressure or suspicion in the minds of people, a language can develop there in the natural way and in view of this we should adopt only such means to solve this language problem. Until we remove English from its present status, neither Hindi nor any other language can develop. After achievement of independence English has become the language of sophisticated people.

There is no dispute between Hindi and other regional languages. In fact it is a problem of bread and butter. The people who do not get a chance in the services consider themselves to be second class citizens. The people living in backward areas in the country should also

have their share in the services. They should also take active part in the development of the country. If English is removed from its present place, the dispute between Hindi and other regional languages will also be over. First of all we have to take decision with regard to removal of English. English is required by people who have to work in the international field or some specialised job.

In every State, 80 per cent of the people would remain and work in their own State and only 20 per cent would come to central services who would require to have knowledge or proficiency in Hindi. Only 5 per cent people would be required to know Hindi. Our general attitude towards this Bill is that neither Hindi should be imposed on any body nor English should be imposed on Hindi speaking people.

श्री राजाराम (सलेम): मैंने राजभाषा (संशोधन) विधेयक में 179 से 187 तक संशोधन प्रस्तुत किये हैं। संकल्प में भी मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है। यह विधेयक ठीक नहीं है और संकल्प उससे भी खराब है। श्री विभूति मिश्र ने इस सभा में कहा था कि यदि सरकार यह घोषणा करे कि दक्षिण के लोगों को हिन्दी सीखने पर 25 रुपये अधिक वेतन मिलेगा तो प्रत्येक व्यक्ति हिन्दी सीखना आरम्भ कर देगा। क्या ऐसा कहना साम्राज्यवाद नहीं है ?

Shri Bibhuti Mishra : I had said this dispute is not for language but it is a dispute for the jobs. I quoted South and said that there should be improvement in the situation.

श्री राजाराम : क्या ये लोग समझते हैं कि केवल हिन्दी भाषी भारत के नागरिक हैं और अन्य लोग भारत के नागरिक नहीं हैं ? (अन्तर्बाधायें)

उपाध्यक्ष महोदय : भाषा के सम्बन्ध में वाद-विवाद के समय इस प्रकार की बातें नहीं की जानी चाहिए और गृह-युद्ध आदि भाषा का प्रयोग भी यहां नहीं करना चाहिये।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : यदि श्री विभूति मिश्र ने यह कहा है कि अगर केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक अहिन्दी भाषी व्यक्ति को 25 रुपये दिये होते तो सबने हिन्दी सीख ली होती। (अन्तर्बाधायें) उनका ऐसा कहना दक्षिण के लोगों के आत्म-सम्मान पर चोट पहुंचाना है। ऐसा कहने के स्थान पर अच्छा यह होता कि उनसे अपील की जाती कि वे भी हिन्दी सीख लें क्योंकि हिन्दी राजभाषा बना ली गई है।

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : सरकारी नौकरी में कई प्रकार के भत्ते दिये जाते हैं। इसलिये यदि कोई व्यक्ति सम्बन्धित कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिये भाषा भत्ता देने का प्रस्ताव करता है तो इसे एक तर्क के रूप में ग्रहण करना चाहिये। इस सम्बन्ध में कोई भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये। हमें सुव्यवस्थित ढंग से वाद-विवाद में भाग लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विभूति मिश्र ने हिन्दी पढ़ाने के लिये प्रोत्साहन की व्यवस्था करने के लिये कहा था। यह कहना आपत्तिजनक नहीं है।

श्री राजाराम : आज 'टाइम्स आफ इण्डिया' में एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें लिखा

है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं तथा मंत्रियों के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं। यहां तक कि जनसंघ, जो हिन्दी का इतना समर्थक है, के नेताओं के बच्चे भी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये केवल वोट लेने के लिये इस प्रकार के नारे लगाते हैं। हम उन जैसे नहीं हैं (अन्तर्बाधायें) कल मुझे चावल का राशन कार्ड दिया गया। यह कार्ड हिन्दी में छापा गया है। उसमें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं है। यदि हम लंदन जायें तो और बात है परन्तु हम अपने ही देश में विदेशी बन गये हैं। दिल्ली में हमारे साथ विदेशियों की तरह व्यवहार किया जाता है। (अन्तर्बाधायें)

उच्चतम न्यायालय के 20 अधिवक्ताओं ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा है कि राज भाषा संशोधन विधेयक से श्री नेहरू के आश्वासनों का ठीक-ठीक पालन नहीं किया गया है। इसलिये संविधान में संशोधन ही एकमात्र उपाय है। राजाजी ने भी 20 दिसम्बर, 1967 के 'स्वराज्य' में लिखा है कि बाद में संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : जब श्री हनुमन्तय्या ने सभा में कुछ शान्ति लाने का प्रयत्न किया था तो एक सदस्य ने कहा था कि "आप श्री हनुमन्तय्या को खरीद सकते हैं परन्तु हमें नहीं खरीद सकते।" उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बातों से सभा की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : हम इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। मैं सभा से बाहर जाती हूँ। (अन्तर्बाधाएं)

(इसके पश्चात् श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से उठकर चले गये)

'Shrimati Sucheta Kripalani and some other Hon. Members then left the House.'

श्री जे० के० चौधरी (त्रिपुरा-पश्चिम) : इस भाषा समस्या में घमंड, द्वेषभाव, उत्तेजना तथा राजनीति का प्रभाव अधिक है। हम सभी को अपनी भाषा पर गर्व है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम अन्य लोगों के प्रति द्वेषभाव रखें। दक्षिण के लोग कह रहे हैं कि यह हिन्दी साम्राज्यवाद है तथा उत्तर भारत के लोग कहते हैं कि दक्षिण के लोग राष्ट्रभाषा के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं तथा अंग्रेजी को, जो दासता की भाषा है, जारी रखने पर बल दे रहे हैं। यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। हम बहुत से अंग्रेजी बातों का अनुसरण कर रहे हैं। अंग्रेजी सीखने का अर्थ यह नहीं कि हम अभी भी अंग्रेजी के दास हैं। भाषाओं का विकास स्वयं होता रहता है। हम ऐसे लोगों पर, जो किसी भाषा को अपनाना नहीं चाहते, उसे थोप नहीं सकते हैं।

जिस प्रकार यह कहना बिल्कुल गलत है कि अंग्रेजी दासता का चिह्न है, उसी प्रकार दक्षिण के लोगों का यह कहना गलत है कि संस्कृत एक विदेशी भाषा है। हमें अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिये। उत्तरी भारत के लोगों से भी अधिक दक्षिण भारत के लोगों ने संस्कृत सीखी है। त्रिवेन्द्रम बार एसोसिएशन ने एक इश्तिहार में कहा है कि जिन पन्द्रह भाषाओं को

संविधान की आठवीं सूची में मान्यता दी गई है, उनमें से संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसे समूचे भारत की राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है। संस्कृत का प्रयोग समूचे देश में किया जाता है यद्यपि यह बोलचाल की भाषा नहीं है। अंग्रेजों के आने से पूर्व कई शताब्दियों तक हमारी संस्कृति, विज्ञान तथा तकनीकी जानकारी का विकास संस्कृत के माध्यम से ही होता रहा है। किसी विशेष राज्य का न तो उस भाषा पर दावा हो सकता है और न ही कोई इसे अपना कहने से इनकार कर सकता है। यह ही एक ऐसी भाषा है जिसने हमारी सभी क्षेत्रीय भाषाओं पर प्रभाव डाला है तथा उनके विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया है। समझ में नहीं आता कि संस्कृत को पीछे क्यों डाल दिया गया है तथा अंग्रेजी को आगे क्यों बढ़ा दिया गया है।

क्या उत्तर वाले यह कह सकते कि दक्षिण में उनकी अपनी भाषायें नहीं होंगी जबकि संविधान में सभी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। उन सभी भाषाओं को समानता का दर्जा मिलना चाहिए। यह निश्चित है कि द्विभाषावाद केवल भारत सरकार में ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में भी बहुत समय तक रहेगा। हम अपने विश्व-विद्यालयों में प्रादेशिक भाषायें आरम्भ कर सकते हैं परन्तु हमें अंग्रेजी को बहुत समय तक के लिये जारी रखना होगा। इसलिये, इस सम्बन्ध में झगड़ा अनावश्यक है।

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों को ही समान रूप से एक पीढ़ी के लिये रखना होगा। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और उसे अपनी समस्त जनता को नहीं सिखाया जा सकता। अतः हमें बहुत समय तक दोनों भाषाओं को ही रखना होगा। शायद वर्ष 2000 तक ही हम अंग्रेजी को पूर्णतया हटा सकेंगे।

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : The Home Minister has acceded that ultimately Hindi will become the official language of the country. He has also admitted that Hindi could not become official language of the country even twenty years after the promulgation of the constitution although it has been provided in the constitution that Hindi will replace English after fifteen years. The responsibility for the same is of the Government which is against Hindi.

A conspiracy has been hatched to continue English indefinitely. A single State is being given the power of veto. The provisions in the Bill do not reflect the views of the Home Minister that Hindi is the national language and will remain so. Hindi has virtually been given a secondary position in the matter of official communication, since it has been provided that if the original communication is in Hindi, an English translation of the same will have to be attached. In fact the position should have been otherwise or at least it should have been provided that the translation will be done at the receiving end.

The national language is being disgraced here....

उपाध्यक्ष महोदय : अब समय हो गया है। कृपया बैठ जाइये।

Shri Shiv Charan Lal : I should be given some time....

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। यह कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री कृष्णमूर्ति : * *

श्री शिवचरण लाल : * *

Shri Madu Limaye (Monghyr) : Why his speech has not been recorded. The Member may stand up.

श्री पं० वेंकटसुबय्या (नन्दयाल) : श्री मधु लिमये ने अध्यक्षपीठ का अपमान किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य को अध्यक्षपीठ के विरुद्ध उकसाता है, तो सभा की कार्यवाही कैसे चल सकती है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
सत्रहवाँ प्रतिवेदन

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : I beg to move that this House agrees with the Eleventh Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 14th December, 1967.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 17वें प्रतिवेदन से जो 13 दिसम्बर, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : नियम 26 में उपबन्ध है कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये दो घंटे दिये जायेंगे परन्तु अब इसके लिये केवल आधा घंटा रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मामले में कार्य मंत्रणा समिति से अपील कर सकते हैं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Business Advisory Committee cannot override the decisions of the House.

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह बात कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकार होने से पहले उठानी चाहिये थी। अब इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता।

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक
INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL
धारा 312 का हटाया जाना
Omission of Section 32

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

* * कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

संसद् सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT
(AMENDMENT) BILL

(धारा 3, 6 आदि का संशोधन)

(Amendment of Section 3, 6 etc.)

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि संसद् सदस्य वेतन-भत्ता अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।”

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान्, मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूँ । माननीय सदस्य पहले भी ऐसा विधेयक प्रस्तुत कर चुके हैं जिसे उन्होंने बाद में वापस ले लिया था । इस विधेयक के अन्तर्गत वे संसद् सदस्यों के लिये कुछ और सुविधायें प्राप्त करना चाहते हैं । माननीय सदस्य चाहते हैं कि संसद् सदस्यों की पत्नियों को भी गाड़ियों में प्रथम श्रेणी का सोने के लिये स्थान मिले । इस प्रकार का विधेयक पहले भी अस्वीकार किया जा चुका है । वह यह भी चाहते हैं कि किसी संसद् सदस्य को दो बार सदस्य रहने के बाद सरकारी कर्मचारियों की भांति सेवा निवृत्ति वेतन भी दिया जाये । उन्हें बिना किराये के मकान, मुफ्त टेलीफोन, फर्नीचर, पानी, बिजली तथा अन्य सुविधायें भी उपलब्ध हों ।

वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह सभी उचित नहीं है । मूल्य देशनांक पहले ही 205 तक पहुंच चुका है । सरकारी कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रश्न पर श्री मोरारजी देसाई ने कहा है कि इस पर विचार किया जा रहा है परन्तु उनके दल के ही एक सदस्य अपने लिये यह सभी सुविधायें चाहते हैं जबकि सरकारी कर्मचारियों को मितव्ययिता के उपदेश दिये जा रहे हैं । हमें देश में अन्य लोगों की तुलना में पहले ही बहुत कुछ मिल रहा है । हमें इस प्रकार के वित्तीय लाभ प्राप्त करने के प्रयत्न नहीं करने चाहिये ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I should be given time to speak.

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय कोई चर्चा नहीं की जा सकती ।

Shri Randhir Singh : You should allow me to speak.

उपाध्यक्ष महोदय : आप बेकार सभा का समय ले रहे हैं ।

श्री रणधीर सिंह : * *

Shri P. L. Barupal : It has become a habit of Mr. Banerji to oppose everything, but he has not left a single penny due as a Member of Parliament. Mr. Banerji gets money from the trade unions. He owns bungalows and has rented them.

Shri S. M. Banerji : On a point of personal explanation. It is wrong.

Shri George Fernandes : This Bill involves financial expenditure. It cannot be introduced.

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात को ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : यदि यह सिद्ध हो जाये कि देश में कहीं भी मेरी कोई सम्पदा है तो मैं त्याग-पत्र देने के लिये तैयार हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि संसद् सदस्य वेतन-भत्ता अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।”

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 138; विपक्ष में 31

Ayes 138; Noes 31

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri P. L. Barupal : Sir, I introduce the Bill.

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

दिल्ली में कथित पुलिस शासन तथा उत्तर प्रदेश के दो
मंत्रियों के साथ दुर्व्यवहार

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : Sir, I beg to move :

“That the House do now adjourn.”

Sir, I wish to draw your attention to the establishment of police rule in Delhi. Shri Ram Prakash Gupta, Municipal Commissioner and Secretary of Jan Sangh in Municipal Corporation was beaten in Chandni Chowk, where Section 144 is not in force. It resulted in head injuries to him.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
Mr. Speaker in the chair

* * कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

There was lathi charge in Jama Masjid area also, on a procession, although Section 144 was not in force in that area. The University Campus is in the heart of the city from where a number of roads pass. There are also residential quarters in that area. It was encircled by the police and even the ordinary people who passed through it, were manhandled. A bus carrying the students of Jamia Milia was stopped by the police and when a professor, who accompanied the students, told that they were going back to their homes, he was abused.

The worst part of it is that the trains coming in Delhi are stopped at Shahdara, Sonipat and Ghaziabad and all the young persons travelling by those trains are taken to be students and they are made to get down at those stations and are not allowed to enter Delhi. It has become a sort of police rule.

The question of the arrest of two ministers of Uttar Pradesh has been raised. It is clear that those ministers are public servants. The ministers stand at different level and, therefore, permission for their arrest should have been obtained from higher authorities. But instead of that they were manhandled and were disgraced in the court of the magistrate. To cover up their mistakes, one D. S. P. and a magistrate have lodged a report against those ministers.

We have adopted democratic way of life in our country. The people have a right to express their feelings in a democracy, if they do not see eye to eye with any policy of the Government. If the people are denied that right, the democracy cannot function. Although we talk of democracy time and again, the Home Minister has set up police rule in Delhi.

No incident has taken place in Delhi but all restrictions have been imposed on the people here. The police have ill-treated Shri Balraj Madhok, M. P. and have arrested him under Section 151 of the Criminal Procedure Code. The laws introduced in Delhi should be such that no scope is left for the police to carry on such excesses. The action of the police is unjustified and a judicial enquiry should be conducted in this connection. The executive should be separated from the judiciary at the earliest possible so that such excesses are not committed in future.

श्री पें० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : हम इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करते हैं। आज मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि आज जब आप सपरू हाऊस में अंग्रेजी में बोलने लगे तो आपको बोलने नहीं दिया गया। इससे यह पता लगता है कि लोग कितने भावुक हो गये हैं। यह सब देखते हुए हम सबके लिये आवश्यक हो गया है कि विधि तथा व्यवस्था का आदर करें। संयुक्त समाजवादी दल के दो मंत्री यहां निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिये आए हैं और वे दावा करते हैं क्योंकि वे मंत्री हैं, इसलिये उन पर विधि तथा व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिये। इसलिये माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। जब पुलिस ने इस बारे में अपने कर्तव्य पालन का प्रयत्न किया तो उन पर आरोप लगाये गये। सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रियों ने, जिन पर विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व है, उन पर आरोप लगाये।

एक बड़ा विचित्र वातावरण उत्पन्न हो गया। स्वयं मंत्री हड़ताल कर रहे हैं। सरकार सरकार के खिलाफ ही हड़ताल कर रही है। सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं

घट रही हैं। यह संसदीय लोकतंत्र है जिसमें विभिन्न मतों को प्रकट करने के लिये बहुत अधिक गुंजाइश होती है परन्तु अभिव्यक्ति का ढंग संवैधानिक होना चाहिये। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को क्या आवश्यकता थी दिल्ली आकर विरोध प्रदर्शन करने की। वे अपनी विधान सभा में इसके विरुद्ध संकल्प पास कर सकते थे। ऐसे कार्यों से तो संसदीय परम्पराओं की हत्या हो जायेगी तथा सरकार संवैधानिक ढंग से काम न कर पायेगी। अतः मेरा यह कहना है कि यह स्थगन प्रस्ताव उचित नहीं है और माननीय सदस्य को इसे वापस ले लेना चाहिये।

श्री सम्बन्धन (तिरुत्ताणि) : यह बड़ी ही खेद की बात है कि भारत की राजधानी में शान्ति और व्यवस्था बिगड़ गई है। वहां पर आज अहिन्दी भाषी राज्यों के लोग असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तथा पुलिस उनकी दुर्दशा को चुपचाप खड़ी देखती रहती है। कभी पुलिस आवश्यकता से अधिक ज्यादाती करती है, कभी वह बिल्कुल भी कार्य नहीं करती। यही कारण है कि दिल्ली में आज शान्ति और व्यवस्था भंग हो गई है। केन्द्रीय सरकार पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ काम नहीं कर रही है। दिल्ली का प्रशासन केन्द्रीय सरकार के हाथ में है और वहां की हालत ही नाजुक बन रही है। यदि सरकार ठीक ढंग से काम करती तो यह स्थित उत्पन्न न होती। मेरा यह अनुरोध है कि इस मामले में न्यायिक जांच कराई जाये, जिससे दोषी व्यक्तियों का पता चले और यहाँ स्थिति सामान्य हो जाये।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। चूंकि इस प्रस्ताव में शान्ति और व्यवस्था भंग करने वालों का समर्थन किया गया है और इससे उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता जो अनुशासन तोड़ते हैं, जो गड़बड़ फैलाते हैं, इसलिये यह प्रस्ताव उचित नहीं है। मैं प्रस्तावक से पूछना चाहता हूँ कि क्या भाषा की समस्या दिल्ली की गलियों में सुलझाई जा सकती है? क्या दिल्ली में अराजकता फैलाने से या दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भड़काने से भाषा विवाद का हल निकल आयेगा? ऐसा नहीं होगा। यदि आप यह चाहते हैं कि हिन्दी का प्रसार बढ़े तो आपको धैर्य रखना चाहिये। जो लोग कानून भंग करते हैं उनके कार्य को उचित बताना एक दम गलत है। अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The language of the Adjournment Motion is very clear. It is not regarding language issue but it is about the activities of police in respect of two U. P. Ministers who were beaten and manhandled by the police. We want to condemn the Government for the excesses of the police done to the people in general and to the U. P. Ministers in particular.

Section 144 has been in force in Delhi in one or the other part for the last two years. It has been imposed around Parliament House also where people use to demonstrate to invite the attention of their representatives to their grievances. Unfortunately, now they cannot do so, because prohibitory orders are there. It is a wrong thing and under the garb of ban police harass people unnecessarily. U. P. Ministers were not only arrested but they were beaten and manhandled too. So we want that a judicial enquiry should be conducted in this matter so that guilty persons should be punished and no such incident may be repeated in future.

श्री वेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : यह स्थगन प्रस्ताव केवल उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की

गिरफ्तारी के बारे में था किन्तु बाद में सामान्य शान्ति और व्यवस्था की बातें इसमें लाई जा रही हैं।

कुछ ज्यादातियां ऐसी होती हैं जिन्हें मंत्री स्तर की ज्यादातियां कहना उचित होगा। मंत्रियों द्वारा दिल्ली आकर अनुशासन तोड़ना या शान्ति व्यवस्था भंग करना भी मंत्रियों की ज्यादाती है। जिन लोगों पर देश के प्रशासन का भार, जिन पर देश में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी है, उन लोगों को क्या आवश्यकता थी कि वे ही अनुशासन तोड़ें या कानून भंग करें। कानून के सामने तो मंत्री या सामान्य व्यक्ति सब समान हैं। दूसरे एक विधायक के नाते जो विशेषाधिकार मंत्रियों को प्राप्त होते हैं, उनमें कानून भंग करने पर भी गिरफ्तार न किये जाने का विशेषाधिकार नहीं है। मंत्रियों ने कानून तोड़ा, उनको गिरफ्तार किया गया तो इसमें क्या गलत बात हुई। जो लोग स्वयं कानून तोड़ते हैं वे प्रजातन्त्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? अतः मेरी यह अपील है कि इस देश में मंत्रियों को इस बात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये कि वे कानून तोड़ें और विषम स्थिति पैदा करें।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : It is not the question of two U. P. Ministers who have been manhandled by the Police in Delhi but it is a point to be considered that if a Minister can be treated like this, what will be the position of an ordinary man. It is the fault of the Government that all the laws which were working under imperialistic rule, are still working and they have not been replaced till now even after the lapse of twenty years since independence. Moreover, bureaucracy is flourishing under the garb of democracy in our country. This is why the new complications are coming in the way of functioning of democracy. Our leaders these days have no courage to face the public or the criticism. They are always guarded by the police. Our Prime Minister moves only with a police party around her. But in countries like Sweden and Norway Prime Minister moves like an ordinary man. Our leaders should follow their example with these words I support the Adjournment Motion.

Shri Nihal Singh (Chandauli) * *

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही में सम्मिलित न किया जाये।

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : This Adjournment Motion has been brought in respect of two U. P. Ministers who were arrested by the police when they violated the law in Delhi. It has been alleged that police has manhandled the Ministers. In my opinion police have done the right thing by arresting the law-breakers, whosoever he may be—either a Minister or an ordinary man. On the other hand the Ministers of U. P. have not done right thing. If they wanted to violate Section 144 in Delhi in protest of language policy of the Central Government they should have first resigned their Ministerships.

(इसी समय सार्वजनिक दीर्घा से एक दर्शक ने कुछ नारे लगाते हुए सभा में नीचे कुछ पर्चे फेंके।)

(At this stage one visitor from the public gallery threw some pamphlets on the floor of the House and shouted some slogans.)

* * कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* * Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : उसे यहां से हटा दिया जाये । इस बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं । (अन्तर्बाधाएं) इस बात की सब दलों द्वारा निन्दा की जानी चाहिये ।

Shri Chandra Jeet Yadav : Our Home Minister has met him. So it is not right to say that the Home Minister is Dictator. Secondly he cannot interfere in the working of the court. If they thought that the Magistrate has not acted according to law, they should have made an appeal against his decision in higher courts. Moreover, all the facilities were given to the Ministers in Tihar Jail. As such, it is wrong to say that they have been meted out maltreatment. Such Ministers mislead the public they cannot guide them. It is a wrong practice. I also condemn the action of students who threw pamphlets on the floor of the House.

In the end, I would like to say that there is no excess on the part of police and there is no substance in this Motion so it should be withdrawn.

Shri J. B. Kripalani (Guna) : The Congress Government is still following the same system of administration which was introduced by Britishers for their benefit. It is a matter of sorrow. It should be remodelled according to the new circumstances prevailing in our country. It is our right, no doubt, to resort to satyagraha, but it should not be blended with the violence. At a time when the whole atmosphere was surcharged with the violence the U. P. Ministers should have not acted in such a irresponsible manner. After all they are Ministers and hold responsible position.

These days the Congress criticizes the non-Congress Governments and the Congress Government is bitterly criticized by the opposition, while both are sailing in the same boat. Even non-Congress Governments have not done remarkable reforms in their conduct. It is not good in the interest of the democracy as well as the country itself. The Congress and the opposition both should work in the interests of the country.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : दुर्भाग्य से चर्चा में विषयान्तर हो गया है । एक प्रश्न तो यह है कि स्वयं राज्य सरकारें क्यों हड़ताल पर उतारू हैं । उत्तर स्पष्ट है कि संविधान में व्यवस्था ऐसी है कि सभी समस्याओं का समाधान केन्द्र को करना होता है और राज्य सरकारों को अधिकार कम दिये गये हैं । यहां पर प्रश्न आता है धारा 144 को लागू करने का । किसी भी प्रकार का आन्दोलन हो धारा 144 तुरन्त लागू कर दी जाती है । यह धारा लागू करने का फैसला पुलिस का एक अधिकारी करता है जो मजिस्ट्रेट के सामने उस आशय का एक वक्तव्य देता है और मजिस्ट्रेट धारा 144 लागू कर देता है तथा उसके अधीन निषेधादेश जारी कर देता है ।

इन मंत्रियों को 'ए' श्रेणी का बन्दी न बनाकर 'बी' श्रेणी का बन्दी बनाया गया था । यह उचित नहीं । इस बारे में गृह-कार्य मंत्री को जांच करनी चाहिये । दूसरा आरोप यह है कि उनके साथ उचित बर्ताव नहीं किया गया । यहां पर तो एक विशेष मजिस्ट्रेट के विरुद्ध शिकायत है कि उसका व्यवहार ठीक नहीं था । जब मंत्री लोग कमरे से बाहर चले गये तो ऐसा कहा गया है कि मजिस्ट्रेट ने कहा कि उनको घसीट कर यहां लाओ । तीसरा आरोप यह है कि पुलिस के एक उच्चाधिकारी ने बड़े अभद्र शब्दों में उनसे व्यवहार किया । यह आरोप मंत्रियों के हैं । चह्माण साहब कहते हैं कि वह दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों से इस मामले की जांच करायेंगे ।

यहां पर अदालती जांच होनी चाहिये। तभी वास्तविकता का पता चले। उसके बाद दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। सरकार एक मुकदमा दर्ज करके इस मामले को टालना चाहती है। यह ठीक नहीं है। इस पूरे कांड की अदालती जांच होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हमें सभी दलों के सदस्यों को बोलने का अवसर देना है। जिस व्यक्ति ने पर्चे फेंके थे वह एस. एस. पी. के सदस्य के द्वारा यहां नहीं आया था। शायद एक कांग्रेसी सदस्य के द्वारा उसने पास लिया था। अतः कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिये।

Shri Shashi Bhushan Bajpai (Khargaon): Sir, I oppose this adjournment motion. I cannot understand Ministers indulging in such matters. They infringed the prohibitory orders which were in force over Parliament House. It is not in the interest of democracy. It is setting bad precedents. It is our misfortune that whenever some developmental task is taken up, people are instigated on narrow parochial or religious grounds and confusion is created to block the constructive work. This started right during the days of British Government.

Our servicemen cannot express their views on such matters but on the other hand politicians indulge in this type of acts to get cheap publicity. Shri A. K. Kapoor is a magistrate and is a young man. He was manhandled by these people. It is very improper on the part of ministers. They have not served the cause of Hindi by doing this. We have seen mammoth processions here and later last year many untoward happenings took place at the time of Sadhu's procession.

I also feel that a judicial inquiry should be held and those responsible for assaulting officers should be punished.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : पिछले कुछ दिनों में बहुत अप्रिय घटनाएं हुई हैं। अंग्रेजी समाचार-पत्रों में इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें छपी हैं। अंग्रेजी भाषा के नामपट मिटाये जा रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया बंगाल आदि राज्यों में हो रही है। यदि इस प्रकार की घटनाएं देश के सभी भागों में होने लगे तो बहुत गम्भीर समस्या खड़ी हो सकती है। इस समस्या पर सभी को विचार करना चाहिये।

पहले हम सुनते थे कि मंत्री लोगों को अधिकार और धन की लिप्सा होती है परन्तु यह पहली बार हुआ है कि एक राज्य के मंत्रियों ने दूसरे राज्य में जाकर एक जलूस निकाला और अपने आपको गिरफ्तार कराया। अब समय आ गया है जब हमें मंत्रियों के लिये आचार संहिता बनानी चाहिये। हमारे संविधान बनाने वालों ने यह नहीं सोचा होगा कि मंत्री लोग भी आन्दोलन करेंगे। इस सम्बन्ध में सभी पार्टियों को मिलकर विचार करना चाहिये। इसी तरह केन्द्रीय सरकार के मंत्री को भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

अब इस मामले में दो तरह की बातें कही गई हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है परन्तु मंत्री लोग यह कहते हैं कि उनको पीटा गया। इसलिये मैं भी यह मांग करता हूँ कि इस मामले की एक जांच होनी चाहिये और केवल तब ही वास्तविकता का पता चल सकेगा।

श्री शिवप्पा (हसन) : मेरे विचार में इस विषय पर पिछली या आगे की घटनाओं को ध्यान में न रखते हुए विचार करना चाहिये। इस विषय में हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि कानून के बनाने वालों ने स्वयं कानून का उल्लंघन किया है। इन मंत्रियों को केन्द्रीय सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिये थी और इस प्रकार कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिये था। यदि जिम्मेदार लोग ऐसा करने लगे तो विधि का शासन समाप्त हो जायेगा। आन्दोलन का तरीका अपनाते से कोई समस्या हल नहीं की जा सकती। इससे तो उलटी मुश्किलें खड़ी होती हैं। हमें समस्याओं का समाधान संवैधानिक तरीकों से करना चाहिये। यदि सभी लोग सड़कों पर न्याय की मांग करने लगे तो व्यवस्था तथा कानून समाप्त हो जायेगा और समूचे समाज को हानि होगी। हमें प्रत्येक प्रश्न के गुणों और अवगुणों पर निष्पक्ष रूप से विचार करके निर्णय करना चाहिये। जहां तक कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की बात है इसमें चाहे कोई मंत्री हो या संसद् सदस्य कोई रियायत नहीं की जानी चाहिये, बल्कि कानून के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिये। मेरे विचार में सभी लोगों का प्रयत्न होना चाहिये कि कानून तोड़ने वालों को उत्साहित न करें। जलूस निकालने, नारे लगाने आदि से प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता। इस समय तो हम दिल्ली में हुई एक विशेष घटना के बारे में ही विचार कर रहे हैं।

मेरे विचार में जांच कराये जाने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें देश के समक्ष दूसरी बड़ी-बड़ी समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिये। यह एक छोटी सी घटना थी और इसका जन-साधारण से किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं है। जिन लोगों ने कानून तोड़ा, उनके विरुद्ध कार्यवाही हुई। इसमें कोई विचित्र बात नहीं है और हमें किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। इस संसद् में भी हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के हित को ध्याय में रखकर बात करनी चाहिये। देश को सर्वोपरि माना जाना चाहिये। हम सबको देश के कानून का मान करना चाहिये। सभी को देश के प्रति निष्ठावान बनना चाहिये।

देश की व्यवस्था को समाप्त करने वाले को हमें किसी प्रकार भी बढ़ावा नहीं देना चाहिये। अतः मेरे विचार में जांच की आवश्यकता नहीं है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यह चर्चा वास्तव में दिल्ली में हुई कुछ घटनाओं के बारे में थी परन्तु कई वक्ताओं ने इसमें और भी बहुत से विषयों को उठाया है। मैं उन सभी बातों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि विद्यार्थियों को पीटा गया और बसें रोकी गयीं। पुलिस को देखना होता है कि सरकारी सम्पत्ति को कोई हानि न हो। पुलिस को इस काम के लिये बल का भी प्रयोग करना पड़ता है। मेरे विचार में तो आन्दोलन के उद्देश्य के लिये विद्यार्थियों का प्रयोग करना उचित नहीं है। इससे अनुशासन हीनता को बढ़ावा मिलता है और अन्ततः देश को हानि होती है। इस प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहिये।

दिल्ली में कुछ विद्यार्थियों ने भाषा के प्रश्न को लेकर गड़बड़ आरम्भ की। जब उन्हें अन्य लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। दिल्ली पुलिस दिल्ली

विश्वविद्यालय में दाखिल नहीं हुई परन्तु जब विद्यार्थियों ने सड़कों पर गैर-कानूनी कार्यवाही की तो पुलिस को आगे आना पड़ा और कुछ विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

सरकारी कर्मचारियों पर बिना कारण के आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये । उनके अपने भी बच्चे होते हैं और वे जानते हैं कि निर्दयता उचित नहीं । यह कहा गया कि पुलिस ने बहुत कठोरता का व्यवहार किया और कुछ ने यह भी कहा है कि गैर-हिन्दी क्षेत्रों के लोगों को पीटा गया है । मुझे पता चला है कि ऐसी कोई बात नहीं है । यह सब मिथ्या आरोप हैं । मैं इस प्रकार के सभी मामलों की छानबीन करता हूँ । गृह-कार्य मंत्री के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है और सभा को मैं उत्तरदायी हूँ । यदि मैं यह समझता हूँ कि पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं तो मुझे पुलिस के विरुद्ध भी कार्यवाही करनी होती है । पुलिस को भी अपनी कार्यवाही करनी पड़ती है । उसे स्थिति का ध्यान रखते हुये कार्यवाही करनी होती है । जब आवश्यक हो धारा 144 भी लागू करनी पड़ती है । संसद् भवन के क्षेत्र में सत्र के समय इसका लागू करना आवश्यक ही समझा जाता है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या यह हमेशा के लिये है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमेशा के लिये मैं कैसे कह सकता हूँ । मैं तो आज की स्थिति के बारे में कह सकता हूँ । मुझे याद है कि जब कोई घटना हो जाती है तो कहा जाता है कि पुलिस क्यों नहीं तैनात की गई ? पिछले दिनों भागलपुर में भाषा के प्रश्न को लेकर साम्प्रदायिक दंगे हो गये थे । आज देश में हिंसा की प्रवृत्ति बहुत फैल रही है । इसलिये धारा 144 का लगाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

मंत्रियों का मामला बहुत खेदजनक है । उन लोगों ने राजनीति के प्रभाव में यह सब कुछ किया है । अब यहां मांग की गई है कि इस मामले की अदालती जांच करायी जानी चाहिये । मैं जानना चाहता हूँ कि जांच किस बात की करायी जाये । इसमें जांच के लिये कोई बात ही नहीं है । मैं उन मंत्रियों को मिलने गया था । जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको पुलिस ने गलती से गिरफ्तार किया या आपने स्वयं धारा 144 का उल्लंघन किया है ? तो उनका उत्तर था कि हमने स्वयं इस धारा का उल्लंघन किया है । जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो कानूनी कार्यवाही होना स्वाभाविक ही है । यह एक साफ बात है ।

जब उन्हें बन्दी बनाया गया तो वे बहुत से व्यक्ति थे और 'ब' श्रेणी दी गयी परन्तु यह पता लगते ही कि उनमें दो मंत्री हैं उन दो को 'ए' श्रेणी दे दी गयी । इन मंत्रियों को वास्तव में बहुत अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध की गई थीं । उन्हें ट्रंक काल करने की सुविधाएं उपलब्ध थीं ।

दूसरे दिन जब अदालत में कार्यवाही पूरी नहीं हुई थी तो उठकर बाहर आ गये । उनका

रवैया ही गड़बड़ करने का था और पुलिस के साथ ऐसा बर्ताव करना था कि गड़बड़ फ़ैले। ऐसी स्थिति में जांच से कोई लाभ नहीं होगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
Mr. Speaker in the Chair

मेरे विचार में हमें कुछ ऐसी परम्पराएं स्थापित करनी चाहिये कि मंत्रियों को कैसे बर्ताव करना चाहिये ; मेरे विचार में मंत्रियों द्वारा ऐसे सत्याग्रह ठीक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जांच उचित नहीं है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूँ कि इस मामले में दिल्ली प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने इस कठिन स्थिति में बहुत दक्षता से काम किया है।

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : Sir, I had pointed out that police acted in a very irresponsible manner and indulged in suppressive activities. I do not agree that police acted with restraint. When I heard the Hon. Minister, I felt that we have a police raj and he was pleading the case of police. I am not saying this in a spirit of party politics. I had demanded that judiciary and executive should be separated in Delhi.....

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बारे में कार्यवाही हो रही है।

Shri Yajna Datt Sharma : The Hon. Minister has said that this was done and that was done. I want to know what was the justification in beating an eleven year old boy at too early in the morning. I can say that Congress Party is responsible for all this dirty politics and maladies found in other parties are just reaction of all that. Congressmen are responsible for anti-Hindi agitation in South India. He says that law and order has got to be maintained. I want to know why they are not doing it in Kashmir, Nagaland and on borders of the country. There the infiltrators come and indulge in loot and other acts of violence. No action is taken against the enemies of the country. Jan Sangh had demanded an inquiry into the happenings of 7th November, 1966. That would have made clear as how Congress conspired with anti-social elements at that time. This Government should change its policies.

श्री प० राममूर्ति : सरकार अदालती जांच की मांग को स्वीकार नहीं कर रही है। अतः हम सभा-भवन का त्याग करते हैं।

(श्री प० राममूर्ति तथा कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।)

(**Shri P. Ramamurti and some other Members then left the House**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि सभा अब स्थगित हो”

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

सभा का अवमान

CONTEMPT OF HOUSE

The Minister of Parliamentary Affairs and Communication (Dr. Ram Subhag Singh) : I move that :

“This House resolves that the person calling himself Shri Indra Deo Singh, who threw

pamphlets from the visitors' gallery on the floor of the House at 5.5 p. m. today and whom the Watch and Ward Officer took into custody immediately, has committed a grave offence and is guilty of the contempt of this House.

This House further resolves that he be sentenced to simple imprisonment till 6 p. m. on the 16th December, 1967 and sent to Tihar Jail, Delhi."

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, I support this motion. We want that Hindi language should be given its proper status. We should adopt constitutional methods for that. I support this motion on behalf of my party.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि जो व्यक्ति अपने आपको श्री इन्द्रदेव सिंह कहता है, जिसने आज सायंकाल 5 बजकर 5 मिनट पर दर्शक दीर्घा से सभा-भवन में पर्चे फेंके और जिसको वाच-एण्ड-वार्ड अधिकारी ने तत्काल हिरासत में ले लिया, उसने एक घोर अपराध किया है और वह इस सभा अवमान का दोषी है।

यह सभा आगे संकल्प करती है कि उसको 16 दिसम्बर, 1967 के सायंकाल 6 बजे तक के लिये साधारण कारावास का दण्ड दिया जाये और दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

जनरल कौल द्वारा लिखित पुस्तक के बारे में आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION Re: BOOK WRITTEN BY GENERAL KAUL

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Sir, it was stated on behalf of Government that no action was being taken against General Kaul for his book 'Untold Story'. I can say that it is nothing but favouritism. I understand that Law Ministry has stated that he has infringed the law of the land and has done harm to the security of the country. He should be prosecuted for that.

This is not the first such case. General Chaudhuri also did something like that. He contributed articles for a Daily paper. This tendency is not in the interest of country. I suggest that serious action should be taken in these matters. Their pension should be withheld. He has disclosed many secrets in his book.

Shri Prem Chand Verma : Sir, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

इसके पश्चात लोक-सभा शनिवार, 16 दिसम्बर, 1967/25 अग्रहायण, 1889 (शक)
के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, December 16, 1967/ Agrahayana 25, 1889 (Saka).